पंचम माला, खंड 50, अंक 23
Fifth Series, Vol. L, No. 23

गुरुवार, 20 मार्च, 1975/29 फाल्गुन, 1896 (शक)
Thursday, March 20, 1975/Phalguna 29, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र / Thirteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 50 में अंक 21 से 30 तक हैं / Vol. L contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 23—गुरुवार, 20 मार्च, 1975/29 फाल्गुन, 1896 (शक)

No. 23—*Thursday*, *March* 20, 1975/*Phalguna* 29, 1896 (*Saka*)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
उत्तर कोरियाई संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	Welcome to the North Korean Parliamentary Delegation	1
प्रश्नों केमौखिक उत्तर :	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*तारांकित प्रश्न संख्या 424, 425 और 427 से 429	*Starred Questions Nos. 424, 425, and 427 to 429	1–17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 426 और 431 से 443	Starred Question Nos. 426 and 431 to 443 . .	18–25
अतारांकित प्रश्न संख्या 4108 से 4124, 4126 से 4188, 4190 से 4211, 4213 से 4241 और 4243 से 4275	Unstarred Questions Nos. 4108 to 4124, 4126 to 4188, 4190 to 4211, 4213 to 4241 and 4243 to 4275	25–109
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table .	109–110
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	
सोवियत संघ के स्टेट बैंक द्वारा रुबल-रुपये के विनिमय दर का कथित एकतरफा पुनर्मूल्यन	Reported Unilateral revaluation of Rouble-Rupee exchange rate by the State Bank of U.S.S.R. . .	110–114
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	110–112
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	110–114
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति 12 वां प्रतिवेदन	Joint Committee on Offices of Profit Twelfth Report	114

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—15 LSS/ND/75

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
कराधान विधि (संशोधन) विधेयक—	Taxation Laws (Amendment) Bill—	
(एक) प्रवर समिति का प्रतिवेदन	(i) Report of Select Committee . . .	114
(दो) साक्ष्य	(ii) Evidence	114
सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	Code of Civil Procedure (Amendment) Bill—	
संयुक्त समिति के सदस्य की नियुक्ति	Appointment of Member to Joint Committee	115
नियम 377 के अधीन मामला—	Matter under rule 377—	
पाकिस्तान और भूतपूर्व पुर्वी पाकिस्तान में भारतीय लोगों की सम्पत्तियों के लिए अनुग्रहपूर्वक मुआवजे का भुगतान	Payment of *ex-gratia* compensation for proportions of Indians in Pakistan and former East Pakistan	115–116
गुजरात बजट, 1975-76—सामान्य चर्चा	Gujarat Budget, 1975-76—General Discussion .	116–121
लेखानुदान की मांगें (गुजरात), 1975-76 और अनुदानों की अनुपूरक मांगे (गुजरात), 1974-75	Demands for Grants on Accounts (Gujarat) and Supplementary Demands for Grants (Gujarat), 1974-75	116–121
पांडिचेरी बजट, 1975-76—सामान्य चर्चा—	Pondicherry Budget, 1975-76—General Discussion .	
लेखानुदान की मांगें (पांडिचेरी), 1975-76 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पांडिचेरी) 1974-75—	Demands for Grants on Account (Pondicherry), 1975 76 and Supplementary Demands for Grants (Pondicherry), 1974-75 .	122–139
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagdish Bhattacharrya	129–130
श्री फूल चन्द वर्मा	Shri Phool Chand Verma .	130–131
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvati Krishnan	131–132
श्री अरविन्द बाला पजनौर	Shri Arvind Bala Pajnor .	132
डा० कैलास	Dr. Kailas .	132–133
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	133–134
श्री ईरा सेझियान	Shri Ira Sezhiyan	134–135
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee . . .	135–136

विषय	Su ject	पृष्ठ Pages
पांडिचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1975—पुरःस्थापित तथा पारित किया गया	Pondicherry Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975—*Introduced and Passed*	139–140
पांडिचेरी विनियोग विधेयक, 1975—पुरःस्थापित तथा पारित किया गया	Pondicherry Appropriation Bill, 1975—*Introduced and passed*	140–142
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य), 1974-75—	Supplementary Demands for Grants (General), 1974-75—	142–153
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagdish Bhattacharyya	145–146
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	146–147
श्री महादीपक सिंह शाक्य	Shri Maha Deepak Singh Shakya . . .	147
श्री समर गुह	Shri Samar Guha .	147–148
श्री रामाकंवर	Shri Ram Kanwar .	148–149
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	149
श्री फूल चन्द वर्मा	Shri Phool Chand Verma	149
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik . .	149–150
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee . . .	150
विनियोग विधेयक, 1975— पुरःस्थापित तथा पारित किया गया	Appropriation Bill, 1975-*Introduced and passed* .	153–154
प्रेस परिषद (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1974 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प—	Statutory Resolution *re.* Disapproval of the Press Council (Second Amendment) Ordinance, 1974—	155
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandaya	155

लोक–सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 20 मार्च, 1975/29 फाल्गुन, 1896 (शक)
Thursday, March 20, 1975/Phalguna 29, 1896 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

उत्तर कोरियाई संसदीय शिष्ठमंडल का स्वागत
WELCOME TO THE NORTH KOREAN PARLIAMENTARY DELEGATION

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सर्व प्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

अपनी तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से मुझे महामहिम श्री हुंग जैंग याप, अध्यक्ष, कोरियाई गणतंत्र की सर्वोच्च जन-सभा तथा कोरियाई गणतंत्र के संसदीय शिष्ट मंडल के सदस्यों का, जो हमारे माननीय अथितियों क रूप में भारत की यात्रा पर हैं, स्वागत करते हुए अपार हर्ष होता है। शिष्ठमंडल के अन्य सदस्य य हैं :—

1. श्री रयू हो जुन
2. श्री सोन रयोंग सुन
3. श्री चोन जाई होंग
4. श्री आई० ए० जोंग सू।

शिष्ठमंडल आज सुबह यहां पहुंचा है और भारत में 25 मार्च तक रहेगा। वे विशेष बाक्स में बैठे हुए हैं। हम भारत में उनकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम वहां की संसद, सरकार तथा जनता को शुभ कामनाएं प्रेषित करते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा के भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भूतपूव राष्ट्रपति को दिया गया ज्ञापन

***424. श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पता है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्यों के प्रतिष्ठित भूतपूर्व सैनिकों का एक प्रतिनिधिमंडल वर्ष 1974 में भारत के तात्कालिक राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि से मिला था तथा उन्हें भरती संबंधी सरकार की नई नीति के विरुद्ध एक ज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिए गए ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने इस ज्ञापन पर क्या निर्णय किया है ; और

(ग) प्रतिनिधिमंडल में कौन, कौन भूतपूर्व सैनिक थे ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमन।

(ख) और (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1. ज्ञापन में उठाई गई मुख्य बातों इस प्रकार हैं :—

(1) सशस्त्र सेनाओं में विभिन्न राज्यों से भर्ती, भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या के आधार पर नहीं करनी चाहिए बल्कि केवल गुणावगुण के आधार पर की जानी चाहिए।

(2) सीमा राज्यों की प्रकृति एवं स्थान ऐसा है कि उन राज्यों के व्यक्ति सशस्त्र सेनाओं में सेवा करने के लिए अधिक उपयुक्त हैं और सशस्त्र सेनाओं में अन्य राज्यों से व्यक्तियों की अपेक्षा उन्हें कुल भर्ती का अधिक प्रतिशत आबंटित किया जाना चाहिए।

(3) सशस्त्र सेनाओं में उच्चतर पदों पर पदोन्नतियां और नियुक्तियां भी केवल गुणावगुण के आधार पर की जानी चाहिए और जन संख्या के आधार पर सशस्त्र सेनाओं के उच्चतर पदों पर भर्ती की यह नीति नहीं होनी चाहिए।

(4) विभिन्न राज्यों से भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या से भर्ती द्वारा सशस्त्र सेनाओं में अदक्षता आने की सम्भावना है।

2. ज्ञापन की बातों पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया था। उस समय कोई कारवाई करना आवश्यक नहीं समझा गया था क्योंकि कोई नई भर्ती नीति अथवा भर्ती नीति में परिवर्तन नहीं था। केवल "आल क्लास रेजीमेंट" कहलाई जाने वाली रेजीमेंटों में भर्ती, विभिन्न राज्यों में 17–25 वर्ष आयु समूह वाली भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या के अनुपात से की जाती है। "एक श्रेणी", "निश्चित श्रेणी" अथवा "मिश्रित श्रेणी" गठन वाली यूनिटों अथवा रेजीमेंटों के लिए भर्ती केवल अपनी-अपनी जातियों अथवा श्रेणियों के सदस्यों के लिए आरक्षित है।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्य

1. ले० कर्नल पी० एस० गिल
2. ब्रिगेडियर गुरप्रताप सिंह
3. रिस० मेजर राम सिंह बहादुर
4. सुब० मेजर शमशेर चन्द डोगरा
5. श्री रामेश्वर शर्मा
6. कर्नल कादम सिंह
7. मेजर त्रिलोक सिंह
8. एडमिरल मोहिन्द्रो

9. ब्रिगेडियर सी० एस० भूलर

10. ब्रिगेडियर हरमोन्द्र सिंह

11. श्री आई० एस० बालहरा ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : विवरण से ऐसा लगता है कि भारतीय सेना के 11 भूतपूर्व विशिष्ठ सैनिकों द्वारा पेश किए गए ज्ञापन में इन भूतपूर्व सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। इन लोगों ने अपनी जवानी, कुछने अपने पुत्र और किसी ने अपने अन्य सम्बन्धी देश की रक्षा के लिए कुर्बान किए हैं। वे यह महसूस करते हैं कि सरकार की भर्ती नीति पर कुछ विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने राष्ट्रपति को पेश किए गए ज्ञापन में चार बातों पर ध्यान देने का अनुरोध किया है। इन चार बातों में उनकी भावनाओं का निचोड़ है। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह सभा को विश्वास में ले कि क्या उनका राष्ट्रपति से मिलना तथा उन्हें ज्ञापन पेश करने में कोई औचित्य है और यदि हां, तो क्या ज्ञापन पर विचार किया गया है या नहीं ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम अवश्य इस पर विचार करेंगे। इन लोगों ने ज्ञापन में अपने विचार सामने रखे हैं। उनके कुछ विचारों से हम सहमत है और कुछ ऐसे विचार हो सकते ह जिनसे हम फिलहाल सहमत न हों।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : भूतपूर्व सैनिकों द्वारा अपने ज्ञापन में उठाये गए मूलभूत मामलों को जो संविधान के अनुच्छेद 16 में निहित हैं, ध्यान में रखते हुए डाक और तार आदि सेवाओं में भर्ती गुणावगुण के आधार पर की जाती है न कि क्षेत्र के दृष्टिकोण से। इसमें जन्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। क्या रक्षा मंत्री इस बात पर विचार करेंगे कि जब तक जाति, पांति तथा जन्म आदि का ध्यान न रखते हुए इसे समूचे देश में लागू नहीं किया जाता तब तक इस नई भर्ती नीति को लागू नहीं किया जायेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा कि सभा में कई बार कहा गया है कि भर्ती नीति में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रयास यही है कि गुणावगुण के आधार पर भर्ती हो। फिर भी सरकार चाहती है कि सशस्त्र सेनाओं में सभी क्षेत्रों के लोगों को सेवा करने का अवसर दिया जाये ताकि वे भी देश की रक्षा में भाग ले सकें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस ज्ञापन की तीसरी मद में एक मांग की गई है कि सशस्त्र सेनाओं में ऊंचे पदों पर पदोन्नति या नियुक्ति गुणावगुण के आधार पर की जानी चाहिए और सशस्त्र सेनाओं में ऊंचे पदों के लिए जनसंख्या के अनुपात के आधार पर भर्ती की नीति लागू नहीं की जानी चाहिए।

इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहूंगा कि जैसा कि मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है यद्यपि "एक वर्ग", "निर्धारित वर्ग" तथा "मिश्रित वर्ग" रेजीमेन्ट के लिए भर्ती केवल सम्माननीय जाति या वर्ग के लिए आरक्षित है, क्या इन रेजीमेंटों में उच्च पदों के लिए भर्ती या पदोन्नति या प्रवेश भी इन्हीं जातियों या वर्गों के लोगों के लिए आरक्षित है या उच्च पदों पर यह कार्य गुणावगुण के आधार पर भी किया जाता है ?

श्री स्वर्ण सिंह : ऊंचे पदों, तथा उच्चाधिकारियों के लिए भर्ती गुणावगुण के आधार पर की जाती है। इन ऊंचे पदों के लिए वर्ग को ध्यान में नहीं रखा जाता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह किन्ही विशेष वर्गों या जातियो तक ही सीमित है जहां से इन रेजोमेंटों की भर्ती की जाती है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी नहीं। उच्च अधिकारियों के पदों के लिए नहीं।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : माननीय मंत्री ने कहा है कि "एक वर्ग" या "निर्धारित वर्ग की रेजीमेंटों के लिए भर्ती विशेष वर्गो से की जाती है, जिससे वह विशेष रेजोमेन्ट बनती है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि क्या भारत सरकार "निर्धारित वर्ग" को बनाए रखने की नीति को चालू रखना चाहती है या क्या वे इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं और क्या यह मांग कुछ अन्य जातियों या वर्गो ने भी की गई है कि उन जातियों के नाम पर भी "निर्धारित वर्ग" रेजीमेंट" हो।

दूसरे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या अधिकारी पदों के लिए पदोन्नति कुछ सीमा तक अन्य कर्मचारियों के लिए आरक्षित है। कमीशन रैंकों के लिए पदोन्नत्ति करने हेतु कितनी प्रतिशतता आरक्षित है और क्या भारत सरकार को समय-समय पर भूतपूर्व सैनिकों को ओर से मांगें प्राप्त होती हैं कि इन लोगों द्वारा सेना में रहने के दौरान प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए रैंक से अधिकारी पदों के लिए पदोन्नति की प्रतिशतता बढ़ाई जानी चाहिए। इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : पहले प्रश्न के बारे में मैं माननीय सदस्य का ध्यान मैं विवरण क परा 2 की ओर आकर्षित करता हूं। इससे उनको उनके पहले प्रश्न का उत्तर मिल जायेगा।

यह सही है कि अन्य जातियों, वर्गों या क्षेत्रों ने भी अपने नामों की रेजीमेंटों को बनाने के सुझाव दिए हैं किन्तु चूंकि हम पुरानी ही रेजीमेंटों को बनाए हुए हैं इसलिए नई रेजीमेंटें बनाने का कोई विचार नहीं है।

अन्य रैंकों के पदोन्नति के अवसरों के सम्बन्ध में, हम आवश्य यह महसूस करते हैं कि उनको भी अधिकारी पदों पर पहुंचने के लिए समान अवसर दिए जाने चाहिएं। इसलिए उन्हें न केवल कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारी के लिए ही समझा जाता अपितु अन्य उपयुक्त रैंकों को प्रत्यक्ष रूप से कमीशन प्राप्त अधिकारियों के स्तर के पदों पर भर्ती किया जाता है। यह नीति पूरी तरह सफल सिद्ध हो रही है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि अधिकारी पदों के लिए पदोन्नति हेतु कितनी प्रतिशतता आरक्षित हैं और क्या इस तरह की कोई मांग है कि इस प्रतिशतता में वृध्दि की जाये और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे सूचना दी जाये क्योंकि आंकाड़ें के बारे में मुझे यहां कोई जानकारी नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : चूंकि यह एक महत्व पूर्ण प्रश्न है, अत: इसे किसी और दिन के लिए स्थगित कर दिया जाये। यह फिर बैलट में आये या न आये। अत: कृपा करके इसे किसी और दिन के लिए स्थगित कर दिया जाये। सौभाग्य से सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के बारे में यह पहला प्रश्न सामने आया है। देश की रक्षा के महत्व को समझते हुए इस प्रश्न को अधिक समय दिया जाना चाहिए।

श्री दरबारा सिंह : आप इस पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान चर्चा कर सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : माननीय मंत्री यह बताने के लिए तैयार नहीं हैं कि अन्य रैंकों से पदोन्नति के लिए कितनी प्रतिशतता आरक्षित है।

श्री समर गुह : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि सशस्त्र सेनाओं में अन्य रैंकों पर भर्ती के लिए बनाई गई नई नीति, भूतपूर्व रक्षा मंत्री, श्री जगजीवन राम द्वारा सभा में दिए गए वक्तव्य से विपरीत है। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से सभा को आश्वासन दिया था कि भविष्य में जाति, वर्ग या क्षेत्रों के आधार पर कोई भर्ती नहीं की जायेगी। किन्तु पुरानी ही नीति चल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इससे अन्य वर्गों पर रोक लग रही है, जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान गैरयोद्धा वर्ग समझा जाता था। मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समूची भर्ती नीति में परिवर्तन होना चाहिए, और सभी नागरिकों वर्गों तथा क्षेत्रों के लिए समान अवसर हों, क्या भर्ती केवल गुण/वगुण के आधार पर की जायेगी न कि वर्ग, जाति, क्षेत्र आदि के आधार पर।

श्री स्वर्ण सिंह : विवरण में नीति के बारे में स्पष्ठ रूप से कह दिया है, जिसकी एक प्रति मैंने सभा पटल पर रख दी है और मुझे पक्का यकीन है कि यदि माननीय सदस्य ने विवरण पढ़ा होता तो वह यह प्रश्न पूछते ही नहीं। मुझे यह कहना है कि विशेष वर्गों तथा निर्धारित वर्गों के लिए यूनिट चल रहे हैं और उस आधार पर कोई नया यूनिट नहीं बनाया जा रहा है। मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्त को यही उत्तर दिया है।

तीसरे शेष के लिए जाति या क्षेत्र अथवा किसी और विचार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यह गुणावगुणो पर होता है।

श्री समर गुह : किन्तु आंकड़ों से पता चलता है कि इसके लिए आधार कुछ क्षेत्र तथा कुछ वर्ग हैं।

श्री भागवत झा आजाद : क्या किसी वर्ग अथवा क्षेत्र के लिए कोई आरक्षण है? क्या आज सुरक्षा सेनाओं में इस तरह की कोई चीज है?

श्री स्वर्ण सिंह : बिहार रेजीमेंट, मद्रास रेजीमेंट जैसी कुछ रेजीमेंटें है। इन रेजीमेंटों में सैनिक इन्हीं राज्यों से भर्ती किए जाते हैं। निस्संदेह, भर्ती करते समय जाति आदि का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता।

स्वास्थ्य सेवाओं में सामंजस्य लाना

*425. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाओं में सामंजस्य लाने हेतु उनको एक मंत्रालय—स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत लाने को तैयार है ;

(ख) क्या इन सेवाओं का सामंजस्य एक ही मंत्रालय के अन्तर्गत करने से इनकी सेवा की शर्तों तथा वेतनों में समानता आ जायेगी तथा बहुत कुछ असंतोष तथा विवाद समाप्त हो जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या समय निर्धारित किया गया हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) रेल और रक्षा मंत्रालयों को छोड़कर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के अधीन चिकित्सा और जन स्वास्थ्य के पद केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत आते हैं। यह सेवा पहली जनवरी 1965 से चल रही है। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधीन कार्य कर रहे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सभी अधिकारियों की परिलब्धियां और सेवा शर्तें एक समान हैं।

श्री राजदेव सिंह : दिए गए उत्तर से स्पष्ट है कि 1965 से ही अपवाद की व्यवस्था की गई है। इससे पहले विभिन्न मंत्रालयों के अधीन कार्य कर रही चिकित्सा सेवाएं एक ही मंत्रालय के अधीन थी। रेल मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय की चिकित्सा सेवाओं के सम्बन्ध में अपवाद करने के क्या कारण है ?

डा० कर्ण सिंह : वास्तव में यह सही है। 1965 से पहले कोई केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नहीं थी। 1965 में सभी स्वास्थ्य सेवाओं में एकरुपता लाने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा आरम्भ की गई थी। फिर भी रक्षा मंत्रालय की अपनी ही कुछ समस्याएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं इसे सिविल सेवा में नहीं लाया जा सकता। रेलवे में चिकित्सा अधिकारियों की इतनी बड़ी संख्या है कि वे यह महसूस करते हैं कि वे इस सेवा को स्वयं संभाल लेंगे। जैसा कि मैंने कहा है, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय आरक्षित पुलिस, सीमा सुरक्षा बल आदि ऐसे कुछ संगठन हैं जिनकी अपनी विशेष समस्याएं हैं और उन्हें केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता। मैं यह भी कह दूं कि हम हर एक को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। जो मंत्रालय ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, वे जैसा चाहे कर सकते हैं।

श्री राजदेव सिंह : विभिन्न मंत्रालयों की अपनी अपनी स्थिति होते हुए भी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए इन्हें एक ही विभाग के अन्तर्गत लाने के लिए तैयार है ? क्या सरकार ऐसा करने के लिए तैयार है ?

डा० कर्ण सिंह : सरकार की सभी चिकित्सा सेवाएं वेतन आयोग के अन्तर्गत आती है और वह उनकी विभिन्न समस्याओं पर ध्यान देता है। इस समय इन सेवाओं का एक मंत्रालय के अधीन लाने का कोई विचार नहीं है। रक्षा मंत्रालय में चिकित्सा अधिकारियों की बहुत बड़ी संख्या है। हम उन्हें केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधीन आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, किन्तु जो आना चाहते हैं, उनसे हम बहुत खुश हैं।

श्री डी० एस० तिवारी : क्या आप रेलवे, रक्षा आदि मंत्रालय में चिकित्सा अधिकारियों की बड़ी संख्या होने से घबरा रहे हैं ? क्या वह यह नहीं समझते कि सबके एक मंत्रालय के अधीन आ जाने से सरलीकरण हो जायेगा और इससे व्यय में भी बचत होगी ?

डा० कर्ण सिंह : महोदय, मेरे विचार में बचत नहीं हुई है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इसके पिछे ऐतिहासिक कारण है। उदाहरण के तौर पर रक्षा सेनाओं की अपनी समस्याएं हैं। सेना के डाक्टरों को अपने अधीन काम करने के लिये कहना हमारे लिये सम्भव नहीं है। वे विभिन्न क्षेत्रों में तैनात हैं यही स्थिति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा दल के मामले में है। हमारे सी० एच० एस० के डाक्टर मुख्यत: महानगर और शहरों इनको पसन्द करते हैं। अन्य सेवाओं में वे लद्दाख और मिजोरम तक जाते हैं मेरे विचार म वित्तिय बचत का प्रश्न इसमें निहित नहीं है। इसी संगठन के अन्तर्गत अधिक से अधिक डाक्टरों को लाना वांछनीय होगा।

डाक्टर एन० एन० कैलास: महोदय, देश की एकता और अखंडता के लिये अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा चालू करने का प्रस्ताव है और यह प्रश्न काफी समय से लटक रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव का क्या स्थिति है क्योंकि चिकित्सा विभाग में एकता लाने और उसका **कार्य**करण कुशलता पूर्वक चलाने में इससे मदद मिलेगी।

डा० कर्ण सिंह: महोदय, अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा के अन्तर्गत न केवल केन्द्रीय सरकार के डाक्टर ही आते है अपितु राज्यों के डाक्टर भी आते है। यह प्रस्ताव 1969 में रखा गया था। और उस समय केवल कुछ राज्य ही इच्छुक थे। अधिकांश राज्य इच्छुक नहीं थे। और बाद में वे राज्य, जिन्होंने अपनी स्वीकृती दी थी इस प्रस्ताव से मुकर गये। अतः आज स्थिति यह है कि लगभग सभी राज्य अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा के गठन के विरुद्ध है। अतः हमारी नीति उनको इसे स्वीकार करने के लिये मजबूर करने की नहीं है। परन्तु यदि प्रस्ताव पुनः रखा गया तो मेरा मंत्रालय इस पर सहानुभति पूर्वक कार्यवाही करेगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has said that some State Govts. have backed out. Is it not a fact that they do not get as much assistance as they should have been ? What are the reasons for which State Governments are opposing setting up of such a service.

Dr. Karan Singh : I may clarify that C.G.H.S. is meant for Govt. of India only. Tne question asked by Dr. Kailash related to All India Medical Service such as I.A.S. etc. According to our constitution medical is a State subject Hence, they have their own view in this regard. They have said that they do not want All India Medical Service . They will run their separate services. There may be many reasons for it. I do not want to go into it. Hence we have also gave up this idea.

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र है और इसका उत्तरदायीत्व केन्द्रीय सरकार पर सीधे आता है। क्या यह सच है कि दिल्ली में चिकित्सा सेवा विभिन्न प्रकार की है। यहां पर नगरपालिका द्वारा चलाये जा रहे अस्पताल है। दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अस्पताल है भारत सरकार द्वारा और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल भी है । क्या यह सच है कि हाल में सरकार को कई अस्पतालों के कार्यकरण के बारे में गम्भीर शिकायतें प्राप्त हुई है और उन्होंने के सुधार के लिये एक किश्म का अभियान चलाया है। मै जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई मशीनरी है और क्या वह कोई ऐसी कार्यवाही करेगी जिससे राजधानी में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सेवाओं / एजेन्सियों के कार्यकरण में समन्वय हो सके। इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है और क्या सरकार ने उनके सुधार के लिये अभियान चालू किया है।

डा० कर्ण सिंह: यह बहुत ही रुचिकर और महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह एक बहुत अजीब बात है कि दिल्ली में अस्पतालों पर क्षेत्राधिकार भिन्न भिन्न प्रकार का है यहां पर भारत सरकार के, दिल्ली नगर निगम के, नई दिल्ली नगर पालिका के, और छावनी बोर्ड के अस्पताल है। दिल्ली में 6 या 7 प्रकार के प्राधिकार है। उनमें से बहुत से अस्पताल चलाते है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले अस्पताल सफदरजंग और विलिंगडन है। आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज एक स्वतंत्र निकाय है जिसे संसद ने स्थापित किया था। कुछ अस्पताल दिल्ली प्रशासन और कुछ दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाये जा रहे है । अब हम दो चीजें कर रहे है। पहली बात यह है कि हम दिल्ली के लिये एक हास्पीटल बोर्ड के गठन की सम्भावना के बारे में सोच रहे है जो राजधानी में विभिन्न अस्पतालों

की गतिविधियों का समन्वय करेगा। दूसरी, सुधार अभियान के अन्तर्गत जो अस्पताल हमारे नियंत्रण में उनका कार्यकरण सुधारने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें अचानक निरीक्षण भी शामिल है। हम समस्याओं से पूरी तरह परिचित हैं और इस सम्बन्ध में यथासम्भव कार्यवाही कर रहे हैं।

भारत में मेडिकल कालेज

*427. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री एन० आर० वेकारिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में, राज्यवार, कितने गैर सरकारी तथा सरकारी मेडिकल कालेज चल रहे हैं; और

(ख) इन कालेजों से प्रति वर्ष कितने छात्र एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम पास करते हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) इन कालेजों से प्रति वर्ष जो छात्र एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करते हैं, उनकी संख्या लगभग 11,500 है।

विवरण

भारत में राज्यवार चल रहे प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कालेजों की संख्या

1. आन्ध्र प्रदेश	8
2. असम	3
3. बिहार	9
4. गुजरात	5
5. हरियाणा	1
6. हिमाचल प्रदेश	1
7. जम्मू व कश्मीर	2
8. कर्नाटक	9
9. केरल	4
10. मध्य प्रदेश	6
11. महाराष्ट्र	12
12. मणिपुर	1

13. उड़ीसा	3
14. पंजाब	5
15. राजस्थान	5
16. तमिलनाडु	9
17. उत्तर प्रदेश	9
18. पश्चिम बंगाल	7
19. दिल्ली	4
20. गोवा, दमन और दीव	1
21. पांडिचेरी	1
योग	105

Shri Arvind M. Patel : I had asked the number of Government and private medical colleges separately which has not been given. Private Medical colleges are earning profit of lakhs of rupees. Whether Government want to check this profiteering in this field of education? Whether Goverment propose to close all these private medical colleges.

Dr. Karan Singh : Out of 105 colleges 17 colleges are private an 88 colleges are Government. So far as private medical colleges are concerned at present closing down of these colleges will not prove much beneficial. Some private colleges are doing good job. Taking over all these colleges at this moment will also not prove helpful. Huge amount has been invested therein. Crores of rupees will have to be spent. Instead of spending crores of rupees on them we should improve Government Colleges. We keep the standard under the Medical Council of India. I am pained to say that the standard of certain private colleges is much better than that of Government colleges. We want good standard for both types of colleges.

Shri Arvind M. Patel : Provision has been made for setting up a new medical college in Rajkot City in the Fifth Plan. When work on setting up this college will start and when it will be completed.

Dr. Karan Singh : Setting up of medical colleges is the responsibility of State Governments. We are not directly connected with it. We are of the view that our country needs no more medical college for some time more, because about 1000 M.B.B.S. doctors are coming out every month. There is no need for proliferation of more medical colleges but it is a state subject and we cannot legally bar them to do what they want in this matter.

श्री जगदीश भट्टाचार्य : महोदय, मै माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि देश में सरकारी और गैर-सरकारी चिकित्सा कालेजों का होना ब्रिटिश समय से है और क्या सरकार ने इन गैर-सरकारी और सरकारी चिकित्सा कालेजों को समाप्त करने के लिये कोई निती निर्धारित की है।

डा० कर्ण सिंह : महोदय, मेरे पास इस समय आंकड़े मौजूद नहीं है। परन्तु मैं कह सकता हूं की भारत में 17 गैर-सरकारी चिकित्सा कालेजों में से केवल 5 या 6 ब्रिटिश समय से चले आ रहें है। उनमें से बहुत से स्वतंत्रता के बाद शुरु किये गये थे। दूसरी बात यह है कि हम भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में संशोधन करने का विचार कर रहे है। इसके अन्तर्गत हम परिषद को न केवल स्तर बनाये रखने के लिये कारगर साधन ही बनाना चाहते है अपितु गैर-सरकारी कालेजों की गतिविधियों को भी नियमित करने के लिये सोच रहे है। यह विधान विचाराधीन है। सम्भव है कि इस वर्ष में शीघ्र ही सभा में संशोधन पेश करुंगा।

श्री के० मालन्ना : वक्तव्य के अनुसार देश में 105 कालेज है। समाचार पत्रों के अनुसार कुछ कालेजों की मान्यता वापस ले ली गयी है क्योंकि उनका स्तर ठीक नहीं था और वे नियमों और शर्तों का पालन नहीं कर रहे थे। उनके प्रबंधकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है कितने छात्रों को हानि हुई है और कितने प्रबंधको का हाथ है?

डा० कर्ण सिंह : चिकित्सा कालेजों की मान्यता वापस लेने का प्रश्न गत वर्ष उठा था। क्या कोई कालेज आवश्यक स्तर रख रहा है इसका निर्णय करने के लिए चिकित्सा परिषद ही सक्षम है। समय 2 पर चिकित्सा परिषद कालेजों का निरीक्षण करती है। प्राय: निरीक्षण के समय सुविधाएं स्तर से नीच होती है। इस समय चिकित्सा परिषद कहती है कि हम तब तक आपकी डिगरी को मान्यता नहीं देंगे जब तक आप अपना स्तर ऊंचा नहीं करेंगे। मेरे विचार में माननीय सदस्य कर्नाटक कालेज का उल्लेख कर रहे है। गत वर्ष 6 कालेज ऐसे थे जिनकी मान्यता इसलिए वापस नहीं ली गई क्योंकि मैं छात्रों के हितों की रक्षा करना चाहता था। हमने उनके प्रबन्धकों को कहा है कि वे इनका स्तर ऊंचा करें। मेरी सूचना के अनुसार उन कालेजों में सुधार हुआ है। चिकित्सा परिषद् शीघ्र ही उनका निरीक्षण करेगी और हमें आशा है कि त्रुटियां काफी हद तक दूर हो गई होंगी।

श्री के० गोपाल : माननीय मंत्री ने कहा है कि वह भारत में चिकित्सा कालेंजों की बढ़ोत्तरी के विरुध्द है। यह सच है कि एम० बी० बी० एस० डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से हिचकिचाते है। कुछ समय पूर्व माननीय मंत्री ने स्वयं कहा था कि डाक्टरों को ग्रामीण अथवा अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि प्रश्न की जांच हेतु कोई समिति बनाई गई है और यदि हां उस समिति के क्या निष्कर्ष है?

डा० कर्ण सिंह : जहां तक एम० बी० बी० एस० डाक्टरों का ग्रामीण क्षेत्रों में जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में दो पहलू है। हमारे देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी एम० बी० बी० एस० डाक्टर है। तथापि यह भी सच है कि हमारी चिकित्सा शिक्षा पद्धति में शहरी क्षेत्र का बहाना अधिक है और इसी का कारण हम परा मेडिकल कर्मचारियों का एक नया संवर्ग स्थापित कर रहे है। इस प्रयोजन के लिये एक समिति नियुक्त की गई है और उसका प्रतिवेदन 31 मार्च तक आने की संभावना है। यह एक महत्वपूर्ण बात होगी पैरा मेडिकल कर्मचारी एम० बी० बी० एस० डाक्टरों और निम्नतम ग्रामीण स्तर पर फील्ड कर्मचारियों के बीच सम्पर्क स्थापित करेंगे।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हुं कि गैर सरकारी चिकित्सा संस्था द्वारा ली जा रही प्रति व्यक्ति फीस की पद्धति को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है? ईस पद्धति से कालेजों म प्रवेश लनेवाले छात्रों का स्टेन्डर्ड कम होता है जब हम भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा चिकित्सा स्तर और शिक्षा स्तर के निरीक्षण की बात करते है तो म जानना चाहुंगी कि हमेंशा एकही तरह का चिकित्सा स्तर है यह निश्चित करने के लिए कौनसी मोनीटरिंग एजेन्सी नियुक्त की गई है। आप यह उत्तरदायित्व राज्य

सरकार पर नहीं सौंप सकतें क्योंकि केन्द्रीय सरकार भी समान रूप से समूचे देश में स्तर बनाये रखने के लिये उत्तरदायी है और यह सुनिश्चित करना भी केन्द्रीय सरकार का काम है कि अस्पतालों में उचित उपकरण हों ताकि स्नातकों को दी जाने वाली चिकित्सा शिक्षा का स्तर उंचा हो सक । उस मोनिटरिंग एजेन्सी का क्या नाम है ?

डा० कर्ण सिंह : प्रति व्यक्ति फीस के प्रश्न को हमें पूरी जानकारी है और इस सभा ने उस पर अपने विचार व्यक्त किये है। हम समूचे प्रश्न को चिकित्सा परिषद् अधिनियम का संशोधन करने के संदर्भ में विचार कर रहे है। समय समय पर व्यक्त किये गये विचारों का ध्यान में रखा जायेगा। हम समस्या से पूरी तरह परिचित है।

वर्तमान पद्धति के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा परिषद, जो इस संसद द्वारा स्थापित की गई है, ही मोनेटिरिंग एजेन्सी है। परन्तु मैं मानता हूं कि वर्तमान चिकित्सा परिषद् एक ऐसा निकाय है तीसरे सदस्य बहुत है..... (**व्यवधान**) इसका गठन इस ढंग से नहीं हुआ है कि यह एक कारगर मोनेटरिंग एजेन्सी सिद्ध हो सके। इसमें एक सौ अथवा एक सौ बीस निर्वाचित प्रतिनिधि है और हम इसे सुचारु और कारगर निकाय बनाना चाहते हैं। मैंने चिकित्सा परिषद् के प्रेसीडेन्ट से सम्पर्क स्थापित किया हुआ है। वह मुझे कल मिल रहे हैं और हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और मुझे आशा है कि इस वर्ष एक उपयोगी विधान पेश कर सकूंगा ।

Shri Chandra Shailani : Some time ago, Jawaharlal Nehru Medical College was set up in Aligarh Muslim University. The slips issued to patients there indicate the words Medical College Aligarh Muslim University, Aligarh and the name of Jawaharlal Nehru has been omitted. Wnether the hon. Minister is aware of it and if so, the reaction thereto ?

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न देश में कालेजों की संख्या के बारे में है। आपका प्रश्न सम्बन्धित प्रश्न नहीं है ।

Shri Chandra Shailani : Whether this college is one of those 105 colleges of which you have given a list ? Whether Govt. has changed its name ?

Dr. Karan Singh : No, Sir. Name has not been changed. The question of omitting the name does not arise. However, I will write to the Vice-Chancellor and will apprise him of the matter.

The statement laid by me indicates only numker of colleges statewise and not their names.

श्री मोहनराज कलिंगारायर : गैर-सरकारी चिकित्सा संस्थाओं और सरकारी चिकित्सा संस्थाओं को फन्ड नियत करने के बारे में मंत्रालय की नीति क्या है ?

डा० कर्ण सिंह : वेलोर मेडिकल कालेंज भारत में बहुत अच्छें कालेजों में से एक है। यह कालेज देश में बहुत अच्छी संस्थाओं में से एक माना जाता है ।

जहां तक निधि के नियतन का प्रश्न है सरकारी निधि केवल सरकारी कालिजों को नियत की जाती है। प्राइवेट फण्ड इनके द्वारा स्वयं फिस के माध्यम अथवा न्यास के माध्यम से इकट्ठे किये जाते हैं और स्वयं ही खर्च करते हैं। जहां तक हमारा संबंध है सरकारी धन केवल सरकारी कालेजों पर ही खर्च किया जाता है ।

श्री मोहनराज कलिंगारायर : गैर-सरकारी और सरकारी का प्रतिशत क्या है ।

डा० कर्ण सिंह : 17 और 83.

श्री पी० आर० शिनाय : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार के पास गैर-सरकारी चिकित्सा कालेजों को अनुदान देने की कोई योजना है ताकि वह प्रतिव्यक्ति फीस न ले सकें क्योंकि यह माननीय मंत्री के अनुसार भी अवांछनीय है ।

डा० कर्ण सिंह : यह एक बहुत बड़ी समस्या है । यदि हम गैर-सरकारी कालेजों को अनुदान देना शुरू कर दें तो हमारे स्वयं के स्वास्थ्य केन्द्रों के विस्तार के लिये बहुत कम धन बच रहता है । अतः इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि भारतीय चिकित्सा परिषद् को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरह ही एक संस्था बनाना संभव है ताकि यह न केवल स्तर ही निर्धारित करे अपितु किन्ही परिस्थितियों के अन्तर्गत कुछ अनुदान भी दे सके । प्रस्तावित संशोधन में हम इस पर विचार कर रहे हैं ।

उड़ीसा में विशेष पोषाहार कार्यक्रम के लिए धनराशि

*428. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा राज्य में विशेष पोषाहार कार्यक्रम के लिये कुछ धनराशि मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि मंजूर की है और कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या है तथा राज्य में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने नगरीय गन्दी बस्ती पोषण केन्द्र, आदिवासी पोषण केन्द्र तथा कितने ब्लाक्स (खण्ड) आते हैं ; और

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान विशेष योजनाओं की क्रियान्विति हेतु 'एप्लाइड न्यूट्रीशन प्रोग्राम ब्लाक्स' के लिये भी कोई धनराशि मंजूर की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

शहरी क्षेत्रों में स्थित गन्दी बस्तियों और जन-जाति वाले क्षेत्रों में रहनेवाले कमजोर वर्ग के सभी जरूरत मंद लोगों को जिन्हें रोग आसानी से हो जाता है, पूरक पौष्टिक आहार देने के लिये 1970–71 में एक विशेष पोषण कार्यक्रम चलाया गया था । 1970–71 में पूरक भोजन कार्यक्रम को 0–3 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों तक ही सीमित रखा गया था । 1971–72 में इस कार्यक्रम में 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे और गर्भवती महिलाओं तथा दूध पिलाने वाली माताओं को भी शामिल किया गया । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 0–1 वर्ष को आयु वाले बच्चों को 200 केलोरी और 8 से अधिक 10 ग्राम प्रोटीन, 1 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को 300 केलोरी और 10 से 12 ग्राम प्रोटीन तथा गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को 500 केलोरो तथा 20 से 25 ग्राम प्रोटीन वाला पौष्टीक आहार दिया गया ।

चतुर्थ योजना में यह कार्यक्रम केन्द्रीय क्षेत्र में था । पांचवी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए राज्य क्षेत्र में रखा गया है ।

भारत सरकार ने चौथी योजना की अवधि (केवल 1970–74) में और पांचवी योजना के प्रथम वर्ष अर्थात 1974–75 में शहरी क्षेत्रों में स्थित गन्दी बस्तियों और जनजाति वाले क्षेत्रों में पूरक आहार के लिये उड़ीसा सरकार को जो वार्षिक धनराशि दी वह इस प्रकार है :—

वर्ष	वित्तीय सहायता रुपये	
1970–71	1,68,013	
1971–72	78,41,000	
1972–73	101,71,000	
1973–74	137,18,000	
1974–75	53,49,000	(योजना आयोग ने 1974–1975 के लिये राज्य की वार्षिक योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत जो 123,00,000 रुपये स्वीकृत किये थे यह रकम उसके अलावा है)

चौथी योजना के अन्त तक इस कार्यक्रम से जिनको लाभ हुआ उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

	शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियां	आदिवासी क्षेत्र
लाभार्थियों की संख्या	40,410	3,30,600
अन्तर्हित किये गये केन्द्र	229	3,225
खण्डों की संख्या	लागू नहीं होता	143

व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम को चलाने हेतु सहायता के निर्धारित पैटर्न पर उड़ीसा सरकार सभी खण्डों के लिए 7,35,000 रुपये की केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने की हकदार है। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

खण्डों की श्रेणी	खण्डों की संख्या	सहायता रुपये
1. नये खण्डों को 1974–75 में 30,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति खण्ड की दर से	5	1,50,000

2—15 L.S.S.(ND)/75

खण्डों की श्रेणी	खण्डों की संख्या	सहायता रुपये
2. 1970–71 से 1973–74 के दौरान चलने वाले खण्डों को 30,000 रूपये की दर से	19	5,70,000
3. 1969–70 सीरीज के पोस्ट आपरेशनल खण्डों को 15,000 रूपये की दर से	1	15,000
		7,35,000

श्री अर्जुन सेठी : यह हम सभी के लिये प्रसन्नता की बात है कि सरकार समाज के दुर्बल वर्ग के लिये पौष्टिक भोजन की व्यवस्था कर रही है । चूंकि उड़ीसा की 65% जनता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित है अत : मैं जानना चाहता हूं कि वहां की कितनी प्रतिशत जनता को इस कार्यक्रम से लाभ पहुंचेगा । ऐसे क्या उपाय किये गये हैं जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पौष्टिक भोजन कार्यक्रम का लाभ उन लोगों को मिल रहा है जिनके लिय यह कार्यक्रम बनाया गया है ।

डा० कर्ण सिंह : विशेष पौष्टिक भोजन कार्यक्रम का लाभ 1 से 6 वर्ष के बच्चों के लिये तैयार किये गये हैं । मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि कितने प्रतिशत बच्चों को लाभ पहूंचेग लेकिन काफी व्यापक कार्यक्रम है । हमारा प्रयास यह है कि गर्भवती माताओं, स्तनपान करानेवाली माताओं और 0से 6 वर्ष तक के बच्चों को फायदा पहुंचाया जाये । सिंचाई मंत्रालय के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन देने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है । कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत व्यावहारिक पौष्टिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है । अन्य मंत्रालयों द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । हम क्लबों तथा बालवाडियों के माध्यम से ये काम किया जा रहा है क्योंकि डाक्टरी अध्ययन द्वारा यह सिद्ध हो गया है कि बच्चे के जीवन में पहले पांच - छह वर्ष बहूत महत्वपूर्ण है । शारीरिक और मानसिक वृद्धि के लिये उसे पौष्टिक भोजन चाहिये ।

श्री अर्जुन सेठी : बार बार समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि दुर्बल वर्ग के बच्चे 5से 10 वर्ष की आयु में अंधे ही जाते हैं । सरकार विटामिन 'ए' की सप्लाई करके अंधेपन को रोकने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

डा० कर्ण सिंह : दुर्भाग्य से यह कटु सत्य है कि प्रतिवर्ष 15 से 20 हजार बच्चे अंधे हो जाते है और विटामीन की कमी के कारण ऐसा होता है । अत: हमने विटामिन 'ए' की बहुत अधिक मात्रा वाली गोलियां तथा शर्बत तैयार किये है। उस शर्बत का एक चम्मच, जो विटामिन 'ए' के दो लाख अन्तर्राष्ट्रीय एककों के बराबर है, यदि वर्ष में दो बार दिया जाये तो वह विटामिन 'ए' की कमी पूरी कर सकता है। यदि माननीय सदस्य चाहे तो मैं शुभकामनाओं सहित उन्हें नमूने के रूप में भेट कर सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जब आप निर्वाचित हो तो आपको इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिये कि आप में किस विटामिन की कमी है ताकि पांच वर्ष तक आपको वे विटामिन दिये जा सकें ।

डा० कैलास : मंत्री महोदय ने कहा है कि शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यक्रम चल रहेहैं । क्या इन सभी को एक ही मंत्रालय के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है ?

डा० कर्ण सिंह : यह ठीक है कि यह कार्य कई मंत्रालयों द्वारा संचलित होता है। इसके कुछ ऐतिहासिक कारण हैं। यदि यह काय एक ही मंत्रालय द्वारा ही तो स्थिति में सुधार हो सकता है। हम एक समिति बना रहे हैं जो समन्वय कार्य करेगी। शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग आता है अत : उसका इस कार्य से सम्बन्धित होना आवश्यक है।

डा० कैलास: समाज कल्याण विभाग ही स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत होना चाहिये।

डा० कर्णसिंह : यह तो आपका सुझाव है।

Shri Hukum Chand Kachwai : The Hon. Minister has stated that large percentage of children in Orissa are covered by this programme. Whether it is a fact that a large number of children do not get nutrition meals instead hese meals are sold in the blackmarket? Will he investigate the matter ?

Dr. Karan Singh : No such thing has been brought to my notice. If the Hon. Member has any information, he may pass it on to me.

श्री जगदीश भट्टाचार्य : केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित यह कार्यक्रम राज्यों द्वारा चलाये जा रहे इसी प्रकार के कार्यक्रमों से किस प्रकार बेहतर हैं।

डा० कर्ण सिंह : यह कार्यक्रमों को बेहतर बनाने का प्रश्न नहीं बल्कि राज्यों के कार्यक्रमों की सहायता पहूंचाने की ही बात है। भारत सरकार इस प्रकार के विभिन्न केन्द्रीय कार्यक्रमों द्वारा राज्यों को उनके कार्य में सहायता पहुंचा ती है। दोनों एक दूसरे क विरोधी न होकर पूरक है।

श्री डी० बसुमतारी : जब भी मैं गांवों में जाता हूं तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बहुत से अन्धे बच्चे नजर आते हैं। मंत्री महोदय बतायें कि ऐसे बच्चों की संख्या क्या है ?

डा० कर्ण सिंह : मेरे पास अलग-अलग आंकड़े नहीं है। लेकिन यह सत्य है कि चूंकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, अत : उन में ही विटामिन की कमी और अंधेपन की अधिक घटनाएं होती हैं।

विदेश मंत्री का अमरीका का प्रस्तावित दौरा

*429. **श्री पी0 जी0 मावलंकर**
श्री एम0 ए0 मुरुगनन्तम

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका विचार अमरीकी राजनीतीक और सरकारी नेताओं से भारत-अमरीकी सम्बन्धों के बारे में विभिन्न मामलों पर व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने के लिए शीघ्र ही अमरीका का दौरा करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब और जिन विषयों पर चर्चा, किये जाने की सम्भावना है उनकी मुख्य रूप-रेखा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अमरीका का दौरा स्थगित करने अथवा रद्द करने के क्या कारण है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) से (ग) पाकिस्तान को शस्त्र सप्लाई पर लगी पाबंदी को उठाने के संबद्ध में अमरीकी सरकार के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में 26 फरवरी को यह घोषणा की गयी थी कि, वर्तमान परिस्थितियों में विदेश मंत्री भारत अमरीकी संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए वाशिंग्टन नहीं जा सकेंगे जो 13-14 मार्च को होनी थी। इस बारे में अभी तक कोई नयी बात नहीं हुई है।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में वाशिंग्टन जाना विदेश मंत्री के लिये संभव नहीं होगा। ऐसी विनम्र भाषा का प्रयोग क्यों किया जा 'रहा है ? वर्तमान परिस्थितियों' का तात्पर्य क्या यह है कि जब तक अमरीका नीति नहीं बदलता तब तक वह वहां नहीं जायेंगे। क्या मंत्री महोदय की अनुपस्थिति में 13 और 14 मार्च की वाशिंग्टन में बैठक हुई थी ?

श्री विपिन पाल दास : पहली बात तो यह है कि उन तारीखों को कोई बैठक नहीं हुई। दूसरे भाषा के मामले में हम मावलंकर जी से शिक्षा नहीं लेंगे। तीसरे जिस वातावरण में यह निर्णय लिया गया था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब तक उसमें परिवर्तन नहीं होता निर्णय नहीं बदला जायेगा।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने मूल उत्तर में कहा है कि तब से कोई नयी बात नहीं हुई है। क्या यह सच नहीं है कि अमरिकी राजदूत श्री सैक्सबी ने भारत में आने में विलम्ब किया और वह थाई लैंड में ही रूक गये। उनके यहां आने पर क्या उन्हें भारत सरकार के विचारों से अवगत कराया गया है ? कल स्टैन्समैन में यह भी प्रकाशित हुआ है कि सम्भवतया राष्ट्रपति फोर्ड दियागो गार्शिया में अड्डा बनाने का विचार छोड़ दे। क्या भारत सरकार वाशिंगटन के विदेश मन्त्रालय को इस महत्वपूर्ण मामले के बारे में भारत सरकार तथा भारत के लोगों के विचारों से अवगत करायेगी ?

श्री विपिन पाल दास : राजदूत सैक्सबी के आने से स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है। हमने इस मामले पर अपनी गहरी चिंता के बारे में उन्हें बता दिया है। दूसरे समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर ही हम भरोसा नहीं कर सकते। तीसरें पाकिस्तान को दी जानेवाली सैनिक सहायता से उत्पन्न स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि दियागो गार्शिया के कारण है। प्रेस समाचार केवल दियागो गार्शिया के बारे में ही है।

श्री दिनेश चन्द्रगोस्वामी : हाल ही की गत विधियों से स्पष्ट है कि यद्यपि अमरिका बाह्य तौर पर भारत-अम ीकी सम्बन्धों को सामान्य बनाने की बात कर रहा है लेकिन इस क्षेत्र में अस्थिरता बनाये रखना ही उसका उद्देश्य है। चूंकि विदेश मंत्री ने वाशिंग्टन न जाने का निर्णय किया है अत: आयोग का अब कार्य क्या होगा और यद्यपि विदेश मंत्री आयोग की बैठक में भाग नहीं लेंगे तो भी आयोग किस प्रकार कार्य करेगा ?

श्री विपिन पाल दास : हम घटनाक्रम को देखकर ही कोई निर्णय करेंगे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि मतभेद बढ़ते जा रहे हैं और अमरिका में हमारे राजदूत का उपहास किया जाता है, क्या यह समझा जाना चाहिये कि भारत-अमरीकी सम्बन्ध और खराब हुए हैं ?

श्री विपिन पाल दास : जब डा० किसिंजर वार्ता के लिये भारत आये तो ऐसा प्रतीत होता था कि भारत और अमरीका के सम्बन्ध सुधर जायेंगे लकिन पाकिस्तान को हाथियारों की सप्लाई पर लगे प्रतिबंध को हटा लिये जाने से नई स्थिति उत्पन्न हो गई। अब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अमरीकी राजदूत द्वारा वाशिंग्टन पोस्ट को दिये गये वक्तव्य के बारे में 'स्टेट्समेन' में प्रकाशित समाचार की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है :—

> 'यह केवल शस्त्रों का ही मामला नहीं है। मूर्त तथा अमूर्त अन्य मामले भी इस से सम्बद्ध हैं। भारत के रवैये में तो परिवर्तन होता ही नहीं। इसलिये मैं समझ सकता हूं कि वाशिंग्टन ने भारतके प्रति लापरवाही का रुख क्यों अपनाया है।
>
> अपने देश में अर्थ व्यवस्था और ऊर्जा के संकट के कारण इन्हीं दो क्षेत्रों की ओर सबसे पहले ध्यान दिया जाना है। भारत का प्रभाव इन दोनों क्षेत्र में ही नहीं। अतः अब भारत में अमरीका की रुचि केवल मानवीय और सांस्कृतिक सम्बधों में ही है। इन क्षेत्रों में भी हम उतना ही करेंगे जितने के लिये हमें भारत उत्साहित करेगा।,

जब अमरीका की सरकार का रवैया यह है तो भारत-अमरीका आर्थिक आयोग का क्या लाभ है ?

श्री बिपिन पाल दास : यह वक्तव्य आज सुबह ही प्रकाशित हुआ है। हम उसका अध्ययन करेंगे।

श्री हरिकिशोर सिंह : अमरीका पाकिस्तान को न केवल परीक्ष रुप से हथियारों को सप्लाई करता है बल्की अन्य देशों के माध्यम से भी हथियार दिये जाते हैं। अमरिका के प्रति तो अपने ठीक रवैया अपनाया है लेकिन उन तीसरे देशों के प्रति क्या रवैया है जो हथियार सप्लाई करते है।

श्री बिपिन पाल दास : हम उपमहाद्वीप में शस्त्रों की होड़ के विरुद्ध हैं। जो देश भी ऐसा करता है, हम उसका विरोध करेंगे।

श्री समर गुह : यह सर्वविदित है कि अमरीका अपने हितों के अनुसार ही कार्य करता है। जब उसे जरुरत थी तब उसने भारत के साथ मधुर सम्बन्ध बनाये और अब उसका रवैया बदल गया है। क्या भारत सरकार यथार्थवादी दृष्टीकोण अपनाकर राजनीतिक और आर्थिक सम्बंधों में भेद स्पष्ट करेगी। अमरीकी निति के विरुद्ध राजनिति के स्तर पर जबावी कार्यवाही की जाये और आर्थिक सम्बन्धों पर आंच नहीं आनी चाहिये।

श्री बिपिन पाल दास : पाकिस्तान को अमरीका द्वारा हाथियार दिये जाने के सैनिक, सामरिक राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि कई पहलू है। हम हर प्रकार से इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSEWRS TO QUESTIONS

पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्ड की नियुक्ति

***426. श्री एस० एम० मिश्र :**

श्री जनेश्वर मिश्र :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्र कर्मचारी पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्ड नियुक्त करने हेतु आन्दोलन करते रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) मज़दूरी बोर्डों के गठन के बारे में मैंने 18 मार्च, 1975 को सदन में एक वक्तव्य दिया था।

दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देना

***431. श्री शशि भूषण :**

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को किसी रूप में मान्यता देने के बारे में इस बीच कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस आश्वासन को पूरा करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) सरकार ने दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के साथ अधिक सीधा संपर्क और औपचारिक संबंध स्थापित करने का निर्णय लिया है। ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और ज्यों ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा, अस्थायी क्रांतिकारी सरकार नई दिल्ली में एक कार्यालय खोल देगी।

वर्ष 1974 में विदेशों में भेजे गये भारतीय कर्मचारी

***432. श्री वरके जार्ज :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 में इंजीनियरों और डाक्टरों सहित कितने भारतीयों को, उनके द्वारा अनुरोध किये जाने पर, अन्य देशों को भेजा गया और उनका देश-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या बड़ी संख्या में जनशक्ति को विदेश भेजना सरकार की नीति है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) 1974 के दौरान विदेशों में नियुक्ती के लिए सरकारी माध्यमों के जरिये 1592 भारतीय विशेषज्ञों का चयन किया गया था। देशवार एवं श्रेणीवार विवरण को एक सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—9250/75।**]

(ख) जी, नहीं। लेकिन, हम विकासशील मित्र देशों से, उनके आर्थिक विकास कार्यक्रमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय तकनीकी कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति के लिए, प्राप्त विशेष अनुरोधों पर अवश्य सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं बशर्ते कि वह उपलब्ध हों और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही हो।

कृषि श्रमिकों के बारे में दूसरा श्रम प्रतिवेदन

***433. श्रीमती पार्वती कृष्णन :**
श्री रानेन सेन :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि श्रमिकों के बारे में दूसरा श्रम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या उक्त प्रतिवेदन में बताया गया है कि पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में कृषि श्रमिक 28 पैसे कमाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इन कृषि श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने और उनकी मजूरी बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अनुमोदित स्कीम के रूप में श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा द्वितीय ग्रामीण श्रमिक जांच (1974-75) आरंभ की गई है। क्षेत्रीय कार्य 1 जुलाई, 1974 को आरंभ हुआ है और इसके 30 जून, 1975 तक जारी रहने की संभावना है। केवल उसके बाद ही रिपोर्ट उपलब्ध होगी।

यह अनुमान किया जाता है कि माननीय सदस्य का आशय पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा प्रकाशित की गई बंकुरा जिले में कृषि श्रमिकों की आर्थिक दशा सम्बन्धी द्वितीय रिपोर्ट (1973) से है।

रिपोर्ट ने प्रकट किया है कि :—

(1) अधिकतर कृषि श्रमिक भूमिहीन हैं।

(2) लिए गए 116 नमूनों में रोजगार की कुल अवधि, व्यवस्ततम मौसम और गैर-मौसम सहित पूरे वर्ष के लिए औसतन केवल 150 दिन है।

(3) कृषि श्रमिक, जिनके बड़ी संख्या में आश्रित होते हैं कम आय के कारण हर वर्ष उच्च सूद की दरों पर नकदी या वस्तु रूप में अथवा नकदी और वस्तु रूप में उधार लेने के लिए विवश होते हैं।

(4) कृषि श्रमिक शेडों में इकट्ठे रहते हैं। उनके इस प्रकार रहने को छप्पर की झौपड़ियों का एक साधारण प्रतिरूप कहा जा सकता है।

(ग) रिपोर्ट के अनुसार, पांच पुलिस स्टेशनों के अन्तर्गत आने वाले सत्रह मौजों के सम्बन्ध में, नमूने लिए गए परिवारों के प्रति सदस्य की औसत दैनिक आय केवल 0.33 पैसे हैं।

(घ) पश्चिमी बंगाल की सरकार ने हाल में कृषि श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी दरों को निम्न प्रकार संशोधित किया है :—

1968	1974
पुरुष : क्षेत्रों के अनुसार 3.00 रु० से 3.38 रु० तक प्रतिदिन	पुरुष और महिला दोनों के लिए 7.25 रु० (मूल 5.60 रु० और महंगाई भत्ता 1.65 रु०) प्रतिदिन और 123.38 रु० (मूल 80.60 रु० और महंगाई भत्ता 42.78 रु०) प्रतिमास।
महिला : क्षेत्रों के अनुसार 2.77 रु० से 3.40 रु० तक प्रतिदिन ।	

राज्य सरकार ने कृषि श्रमिकों की दशाओं को सुधारने के आवश्यक उपायों को बताने के लिए एक कृषि श्रमिक समिति भी गठित की है। कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में एक प्रारुप विधेयक पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

विजय नगर इस्पात संयंत्र

***434 श्री स० एम० सिद्दय्या** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगें कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विजयनगर इस्पात संयंत्र के लिए कितना अस्थायी आबंटन किया गया है ; और

(ख) अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या वर्ष 1975–76 के लिये कोई केन्द्रीय सहायता दी जाएगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। पांचवीं पंच वर्षीय योजना के मसौदे में विशाखापत्तनम और विजयनगर दोनों इस्पात प्रायोजनाओं के लिए कुल मिलाकर 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

(ख) इस्पात कारखाने तथा धातुमल डालने के लिए आवश्यक कुल 3,608.4 हेक्टेयर (9021) एकड़ भूमी में से अब तक 2641.6 हेक्टेयर (6,604 एकड़) भूमि अर्जित की जा चुकी है स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० आशा करती है कि वह इस कारखाने के लिए विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने का काम शीघ्र ही सौंप देगी। इस बीच अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए विस्तृत अध्ययन किए जा रहे हैं।

(ग) इस प्रायोजना के लिए वर्ष 1975–76 के लिये 1.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह प्रायोजना केन्द्रीय क्षेत्र में है।

दोहरे प्रयोजन वाले विमान

*435. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के असैनिक विमानों को दोहरे प्रयोजन वाले विमानों के रूप में बदलने के संबंध में कोई कार्यवाही की गई है जिससे कि आपात कालीन अथवा युद्ध की स्थिति में शीघ्र ही इन विमानों को रक्षा कार्यों के लिये प्रयोग किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) विशिष्ट प्रकार के कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के विमानों की आवश्यकता होती है। सिविलियन विमान केवल परिवहन कार्य में उपयोग किए जा सकते हैं। आपात स्थिति में इन विमानों को ऐसे उपयोग में लाया जाता है।

भारतीय वायू-सेना के लिए विमान

*436. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री जगन्नाथराव जोशी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 अक्तूबर, 1974 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस आशय की आलोचना की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है कि भारतीय वायुसेना को अविलम्ब और अपरिहार्य आवश्यकता पर्याप्त संख्या में लम्बी दूरी तक मार करने वाले विमानों को प्राप्त करने की है जो दो पीढ़ी पुराने विमानों का स्थान लेंगे, कि और समुद्री क्षेत्रों में टोह लेने तथा पनडुब्बी विरोधी युद्ध के मामले में भारतीय वायुसेना वस्तुत: "बेपरवाह और निष्प्रभावी" हैं ;

(ख) इस बारे में तथ्यों का ब्यौरा क्या है और क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भारतीय वायु सेना कितना समय लेगी?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने "एयरक्राफ्ट आफ दी इण्डियन एअर फोर्स (1933–73)" नामक पुस्तक को देखा है और इसके आधार पर 21 अक्तूबर, 1974 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में रिपोर्ट को भी देखा है। लेखक द्वारा व्यक्त किए गए विचार उसके अपने विचार हैं। इस सम्बंध में प्रस्तावना के निम्नांकित दो अंशों की ओर ध्यान दिलाया जाता है जो भूतपूर्व वायुसेनाध्यक्ष द्वारा लिखे गये थे।

> (1) "यदि प्रमाण की आवश्यकता पड़ती तो 1971 के युद्ध से सिद्ध हो जाता कि भारतीय वायु सेना अब पूर्ण रूप से विकसित, शक्तिशाली तथा बहुमुखी सेना है जो कि विश्व की अन्य वायु सेनाओं के साथ अपना स्थान ग्रहण करने के योग्य है" और कुछ मामलों में सरकारी सूचना की कमी होते हुए; (लेखक ने) अपना यह मत दिया है कि कुछ बात इस प्रकार क्यों हुई हैं ।"
>
> वायु सेना को दी गई सुपुर्दगी को पूरा करने के लिए, उपलब्ध स्रोतों के समनुरूप और हमारे द्वारा जिस प्रकार के विमानों की आवश्यकता है भारतीय वायु सेना का आधुनिकीकरण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है । इसमें दूर तक मार करने वाले विमान और समुद्र म टोह लेने वाने तथा पनडुब्बी रोधी जंगी विमान का अधिष्ठापन सम्मिलित है ।

उड़ीसा में मलेरिया का फैलना

***437. श्री डा० के० पंडा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में मलेरिया फैल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : उड़ीसा राज्य में मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है :—

1. केन्द्रीय सरकार ने छिड़काव कार्य के लिए राज्य को कीटनाशी दवाईयों और औषधियों की पर्याप्त मात्रा दे दी है ।

2. निगरानी कार्यकर्ता, निरीक्षक और प्रयोगशाला तकनीशियन बढ़ा दिए गए हैं।।

3. पुरानी गाड़ियों को चरणवार बदल कर उनके स्थान पर नई गाड़ियां दी जा रहीं हैं ।

4. जिन क्षेत्रों में मलेरिया का बार बार संक्रमण होता रहता है वहां विशेष जांच कार्य किये जाते हैं ।

5. मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के केन्द्रीय निदेशालय के अधिकारि-नेयोंने राज्य स्वास्य प्राधिकारियों का मौके पर ही तकनीकी मार्गदर्शन करने के लिए राज्य का अनेक बार दौरा किया। मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का निदेशालय जहां आवश्यक समझता है कीटविज्ञान सम्बन्धी अध्ययन भी कर रहा है।

6. राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि जिन क्षेत्रों में छिड़काव कार्य आदि चल रहे हों वहां पर देख-रेख तथा निगरानी कार्य में सुधार किया जाए तथा मलेरिया के गढ़ी वाले क्षेत्रों में छिड़काव करने तथा वहां पर मलेरिया के रोग सापेक्ष रोगियों के इलाज को शीघ्र व्यवस्था करने के लिए उपचारात्मक उपाय बरते जायें ।

उगांडा से निष्कासित भारतीयों को मुआवजा

***438. श्री भगतराम राजाराम मनहर :**

श्री भागीरथ भंवर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत अनेक वर्षों के दौरान उगांडा से कितने भारतीयों को निष्कासित किया गया है ;

(ख) इस निष्कासन के क्या कारण हैं क्या विरोध प्रकट किया गया है अथवा निष्का-सन आदेश को रद्द करने हेतु उगांडा सरकार को राजी करने के लिये राजनयिक स्तर पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या निष्कासित भारतीयों को अदा किये जाने वाले मुआवजे के बारे में उगांडा के राष्ट्रपति और भारतीय उच्चायुक्त के बीच कोई बातचीत हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) उगांडा को अर्थ व्यवस्था में देशीकरण करने के राष्ट्रपति इदी अमीन के निर्णय के परिणामस्वरुप 1972 में उगांडा से करीब 5,000 भारतीय राष्ट्रिक निकाले गये थे। भारत सरकार ने सर्वोच्च स्तर पर उगांडा सरकार पर इस बात का ज़ोर दिया था कि इस मामले में मानवीय और न्यायोचित ढ़ंग से विचार करने की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) जी हां। राष्ट्रपति अमीन ने निष्कासित भारतीय राष्ट्रिकों को मुआवज़ा देने के अपनी सरकार के वचन को दुहराया है और हमारे हाई कमिशनर को बताया है कि वे इस बारे में दोनों सरकारों के बीच विचारविमर्श आमंत्रित करेंगे।

बी० बी० सी० द्वारा भारत के प्रधान मंत्री के साथ हुई भेंट-वार्ता का प्रसारण

*439. **श्री विजयपाल सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि बी बी० सी० ने 28 जनवरी, 1975 को प्रधान मंत्री के साथ हुई भेंट वार्ता को, सप्ताह के मध्य में होने वाले कार्यक्रम में प्रसारित किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या बी० बी० सी० ने इस भेंट-वार्ता के कुछ अंशों को अपने प्रसार में शामिल नहीं किया था; और

(ग) यदि हां, तो भेंट वार्ता का कौन सा भाग प्रसारण में शामिल नहीं किया गया था तथा क्या भारत सरकार के परामर्श से इसको शामिल नहीं किया गया था ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) छुटे हुये अंश अनुलग्नक में देखे जा सकते हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०--9251/75**] इस पर सहमति हो गई थी कि बी० बी० सी० टेलीविजन कार्यक्रम सुलभ समय के अनुकूल इन्टरव्यू को संक्षिप्त कर सकता है।

Building of Permanent Military Cantonments and Air Strips by Pakistan and activities of Pakistani Spices in Fazilka Sector

*440. **Ch. Ram Prakash** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government have received definite information regarding scheme to build permanent military cantonments and air strips for use of the airforce as also about Pak spies being again active in Fazilka Sector near Western Border ;

(b) if so, the facts thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c) Government are aware that Pakistan has established military cantonments and air strips near the Western Border, However, they have no information of any recent schemes by Pakistan to build such additional facilities. Nine Indian Nationals and four Pakistani nationals were arrested in the Ferozepor district of Punjab during the period 1-1-1973 and 15-3-1975 for suspected espionage activities on behalf o Pakistan. The concerned agencies are taking all possible measures to prevent espionage from across our borders. All related developments in Pakistan bearing on our security are kept under constant review.

ब्रिटेन में सिक्खों द्वारा "क्रैश हेलमेट" पहनना

***441. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में सिख्खों को पगड़ी पर "क्रैश हेलमेट" पहनने के लिये ब्रिटिश सरकार बाध्य कर रही है ;

(ख) क्या वहां सिख्खों ने ब्रिटिश सरकार के इस गैर कानूनी आदेश का विरोध किया है ;

(ग) क्या ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्च आयुक्त ने ब्रिटिश सरकार से इस समस्या पर विचार करने का अनुरोध किया है ; और

(घ) क्या भारत सरकार का विचार इस मामले पर ब्रिटिश सरकार से विरोध प्रकट करने का है क्योंकि टोपी या हेलमेट पहनना सिख धर्म के विरुद्ध है और यदि हां तो कब ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) ब्रिटिश यातायात विनियमों के अधीन जो 1 जून 1973 से लागू हुए हैं, सभी मोटर साइकिल चालकों के लिए "क्रैश हेलमेट" पहनना अनिवार्य है ।

(ख) सिक्खों ने ब्रिटिश सरकार से विरोध प्रकट किया है कि उन्हें इन विनियमों में छूट नहीं दी गयी है ।

(ग) और (घ) इस मामले को कई बार ब्रिटिश सरकार के साथ उठाया गया है । ब्रिटिश सरकार ने सिख्खों के इन विरोधों के प्रति सहानुभूति प्रकट की और यह बताया कि मृत्यु और घातक चोट से बचाव, जो कि इस कानून का लक्ष्य है, उनकी दृष्टि में, इन विरोधों से अधिक महत्वपूर्ण है और ब्रिटिश सरकार किसी विशेष वर्ग को छूट देना न्यायोचित नहीं समझती । बहरहाल, भारत सरकार सिख्खों की दृढ़ इच्छाओं को समझती है और उपयुक्त अवसरों पर उनकी इन इच्छाओं को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाती रहेगी ।

बीड़ी के बंडलों पर "धूम्रपान स्वास्थ्य के लिये हानिकर" वाक्य का छापा जाना

***442. श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री सिगरेट निर्माताओं द्वारा सिगरेट के प्रत्येक पैकेट पर "स्मोकिंग इज ए हैल्थ हेजार्ड" (धूम्रपान स्वास्थ्य के लिये हानिकर) छापे जाने के बारे में 27 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1493 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बीड़ी बंडलों पर भी इस प्रकार का वाक्य छापने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : जी नहीं ।

Zinc accumulation With Hindustan Zinc Ltd.

***443. Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Zinc worth Rs. 7 crores has got accumulated with the Hindustan Zinc Limited, Udaipur for the last some months;

(b) the reasons for which Zinc is not being sold ; and

(c) whether the traders are not purchasing it as price is falling ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Chandrajit Yadav): (a) Yes, Sir.

(b) & (c) Zinc metal is sold by Hindustan Zinc Ltd. only to Government Departments and other actual users registered with sponsoring authorities like DGTD, and not to traders. There is a large accumulation of Zinc metal in the country, mainly with the MMTC and partly with the two indigenous producers of zinc because offtake has been affected for some months due to several reasons. The credit squeeze has compelled the actual users to reduce their inventory to the minimum. Consuming industries have been affected by power cuts. Capital expenditure of the Government Departments and public sector companies as also reduced. Actual users are also expecting further reduction in the internal selling price in view of the lower LME prices.

महानगरों में सार्वजनिक परिवहन के लिये ऋण

4108. श्री गजाधर मांझी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1974-75 के दौरान महानगरों में सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने के लिये कुछ ऋण मंजूर किये हैं, और

(ख) यदि हां, तो शहर-वार इसके आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है ।

क्रम संख्या	राज्य/शहर का नाम	स्वीकृत ऋण की राशि
		(रुपय करोड़ों में)
1	तमिलनाडु (मद्रास शहर के लिये)	3.00
2	महाराष्ट्र (बम्बई शहर के लिये)	7.00
3	दिल्ली (दिल्ली परिवहन निगम के लिए)	7 92
4	पश्चिम बंगाल (कलकत्ता राज्य परिवहन निगम और कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी के लिये ।	4.00

Location of Mica Mines

4109. Shri Martand Singh : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether a survey has been conducted by Government for locating Mica mines;

(b) if so, the State-wise location thereof; and

(c) the schemes for development of these Mines during Fifth Five Year Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukh dev Prasad) : (a) and (b) Surveys have been conducted by Geological Survey of India for Mica all over the country and such sur veys are being continued. As a result of such surveys, G.S.I. has delineated the promising Mica bearing belts in different States. Producing Mica Mines areas, where G.S.I. conducted detailed surveys, are located in Hazaribagh, Gaya, Santhal Parganas and Mongbyr districts of Bihar ; Nellore and Vishakhaptnam districts of Andnra Pradesh; Ajmer Bhilwara, Jaipur, Sikar, Tonk and Udaipur districts of Rajasthan ; Nilgiri district, of Tamil Nadu and Purulia district of West Bengal. During the current field season of G.S.I. for 1974-75, test integrated survey is in progress in Bhilwara district in Rajasthan to evolve the method of identifying Mica bearing Pegmatites in covered areas. Besides, detailed mapping of important pegmatities of Bihar and Andhra Pradesh is also proposed to be carried out.

(c) Working Group on Mica, has for mulated a number of schemes for development of Mica industry, particularly in tne Fifth and Sixth Five Year Plan periods Establishment of Mica Trading Corporation , a public Sector Undertaking, will, to a very large extent facilitate growth of the mica industry on well-defined linies

Plant for Mining and Refining of Copper Reserves in Balaghat

4110. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state the progress made in regard to setting up of a plant for Gining and refining the large reserves of copper found in Balagat District in Madhya Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukh. dev Prasad) : The task of preparation of a Detailed Project Report for Mining and Concentrator Complex based on Malanjkhana Copper Deposit, District Balahat, Madhya Pradesh, was entrusted to a Soviet Agency. The Dtailed Project Report for Mining has been received and is being scrutinized. The Detailed Project Report for Concentrator is expected to be received by September, 1975.

तांबा खानों का कार्यक्रम

4111. श्री शंकर नारायण सिंह देव : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तांबे की खाने ठीक प्रकार से काम कर रही है ;

(ख) उक्त कन्सेन्टेटों में कितनी मात्रा में तांबे का परिशोधन किया गया; और

(ग) खेतड़ी परियोजना से, जो अभी हाल में ही चालू हुई है, कितने तांबे का निर्यात किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) सम्भवतः, अभिप्राय शुद्ध तांबे के उत्पादन से है। 1973–74 के दौरान देश में (ब्लिस्टर) तांबे का कुल उत्पादन 12,899 टन हुआ। 1974–75 के दौरान उत्पादन बढ़कर लगभग 14,500 टन होने की आशा है।

(ग) देश में तांबा धातु की मांग उसके देशी उत्पादन से कहीं अधिक है। अतएव खेतड़ी ताम्र परियोजना से उत्पादित होने वाले तांबे के निर्यात का प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की मांग

4112. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी (एक) दो दरवाजे वाली बसों पर दो कंडक्टरों (दो) कर्मचारियों को सेवा से हटाने/बर्खास्त करने के सभी मामलों की जांच के लिये द्विपक्षीय समिति (तीन) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम के कंडक्टरों के लिये सिलेक्शन ग्रेड और (चार) प्रोत्साहन योजना अथवा शहरी सेवाओं में 5 पैसे प्रति किलोमीटर और अन्तर्राज्यीय सेवाओं में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से कैश हैंडलिंग एलाउन्स दिये जाने की मांग कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की इन विशिष्ट मांगों की अब तक उपेक्षा करने क्या कारण है; और

(ग) इन विशिष्ट मांगों को क्रियान्वित करने के लिये परिवहन निगम के प्रबन्धक क्या कदम उठा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग) (2) और (3) के बारे में निगम के कर्मचारियों से कोई मांग प्राप्त नही हुई है। दो दरवाजों वाली बसों में दो संवाहकों को नियत करने की मांग पर निगम के प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के बीच विचार विमर्श किया गया और उसके बाद जांच की गई। परन्तु संवाहकों के वर्तमान कार्यभार कई प्रारम्भिक स्थानों पर अग्रिम टिकिट बुक करने की पद्धति तथा चेकिंग करने वाले कर्मचारियों को दी गई बिना टिकट यात्रियों पर दण्ड लगाने की प्रत्यायोजित शक्ति की दृष्टि से प्रबंधकों ने इस मांग का कोई औचित्य नहीं देखा। रोकड़ से संबंधित संवाहकों को भत्ता देने की मांग में भी कोई औचित्य नही पाया गया। परन्तु संवाहकों की उत्पादन पर सीधा प्रभाव डालने वाली प्रोत्साहन योजना शुरु करने के प्रस्ताव पर निगम जांच कर रहा है।

शिक्षित बेरोजगार महिलाएं

4113. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में राज्यवार, शिक्षित बेरोजगार महिलाओं की संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : उपलब्ध सूचना रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वाली शिक्षित महिलाओं की संख्या के संबंध में है। यह सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(आंकड़े हजारों में)

राज्य/संघशासित क्षेत्र	30-6-1974 को रोज़गार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वाली शिक्षित* महिलाओं की संख्या
1	2
राज्य	
1. आंध्र प्रदेश	24.2
2. असम	5.0
3. बिहार	8.4
4. गुजरात	22.9
5. हरियाणा	13.3
6. हिमाचल प्रदेश	3.6
7. जम्मू-कश्मीर	1.2
8. कर्नाटक	29.2
9. केरल	16.7
10. मध्य प्रदेश	18.4
11. महाराष्ट्र	54.9
12. मणिपुर	1.8
13. मेघालय	1.5
14. नागालैण्ड	—
15. उड़ीसा	3.4
16. पंजाब	20.6
17. राजस्थान	8.9
18. तमिलनाडु	72.0
19. त्रिपुरा	6.7
20. उत्तर प्रदेश	19.2
21. पश्चिम बंगाल	89.7

1	2
संघशासित क्षेत्र	
1. अंदमान और निकोबार द्वीप समूह** . .	..
2. अरुणाचल प्रदेश**	..
3. चंडीगढ़	3.6
4. दादर और नागर हवेली** . . .	..
5. दिल्ली	30.8
6. गोवा, दमन और दीउ .	3.1
7. लक्षद्वीप	0.1
8. मिजोराम	
9. पांडिचेरी	0.8
अखिल भारतीय योग :	560.0

*मैट्रिक पास और उससे अधिक।

नोट.—1. रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वाले सभी व्यक्ति अनिवार्यतः बेरोजगार नहीं हैं।

**2. इन राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों में कोई भी रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

3. दिल्ली में स्थित दो केन्द्रों को छोड़कर विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन केन्द्रों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

4. चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वाल शिक्षित व्यक्तियों (पुरुषों और महिलाओं) के बारे में सूचना प्रत्यक वर्ष जून और दिसम्बर के अंत में अर्धवार्षिक अन्तरालों पर एकत्र की जा रही है। दिसम्बर, 1974 के संबंध में आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

बस्तर जिलें में दण्डकारण्य कर्मचारियों को जलवायु भत्ता दिया जाना

4114. श्री जगदीश भट्टाचार्य : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश क सम्पूर्ण बस्तर जिले में दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों को खराब जलवायु भत्ता मंजूर करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : इस विषय में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और उसे दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण को जांच करने के लिए भेज दिया गया है।

दण्डकारण्य परियोजना के कार्य प्रभावित कर्मचारियों का वर्गीकरण

4115. श्री समर मुखर्जी : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के सभी कार्य प्रभारित कर्मचारियों को दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण ने "गैर-औद्योगिक" कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो गत 14 वर्षों से उन्हें वर्गीकृत न करने के क्या कारण है ; और

(ग) उक्त वर्गीकरण कब तक किया जायेगा और सेवा-निवृत्त हो चुके या/और मृत कर्मचारियों को ऐसे वर्गीकरण से होने वाले लाभ देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) जबकि दण्डकारण्य परियोजना के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को 'औद्योगिक' और 'गैर-औद्योगिक' कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था, यह मामला उड़ीसा उच्च न्यायालय में रिट याचिका का विषय बन गया कि क्या परियोजना के कार्यकलाप उद्योग के स्वरूप के हैं जैसा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (जे) में निर्धारित किया गया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में निदेश दिया कि केन्द्रीय सरकार को समुचित रूप में मामले की जांच सक्षम न्यायालय द्वारा करवानी चाहिए । मामले पर अब आगे कार्यवाही की जा रही है।

दण्डकारण्य परियोजना में प्लामैन का वेतनमान

4116. श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्य अधीक्षक, दण्डकारण्य के **औपचारिक नियुक्ति आदेश सं० 8** (6)/62-एम० ई० (4) /757, दिनांक 14 जून, 1962 द्वारा पांच प्लामैन नियमित आधार पर नियुक्त किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें उसी प्रकार के उन कर्मचारियों की तरह के वेतनमान देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; जिन्हें काफी पहले वेतनमान मंजूर कर दिये गए थे ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस मामले के सम्बन्ध में दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगी गई है ।

विजयानगरम और विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्रों के लिए धनराशि का नियतन

***4117. श्री एम० एम० जोजफ :**

श्री वरके जार्ज :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के विजयानगरम इस्पात संयंत्र और आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र दोनों के लिए 2.15 करोड़ रुपये की नाम मात्र की धनराशि नियत की गई है ;

(ख) क्या विशाखापत्तनम के इस्पात संयंत्र को छोड़ दिया गया है, जिस पर वर्तमान कीमतों के अनुसार 1200 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार निकट भविष्य में दक्षिण के तीनों नये इस्पात संयंत्रों पर काम के लिए फिर से शुरु करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (घ) वर्ष 1975–76 में विजयनगर तथा विशाखापत्तनम इस्पात प्रायोजनाओं के लिए 2.15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

ये दोनों प्रायोजनाएं अभी प्रारंभिक चरणों में है और वर्ष 1975–76 के कार्यक्रम का मुख्य काम भूमि अर्जन तथा विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करना होगा। आशा है विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने का काम शीघ्र ही सौंपा दिया जाएगा। ऊपर दिये गये कार्यक्रम को पूरा करने के लिए प्रस्ताविक धनराशि रखी गई है।

परामर्शी इंजीनियरों को इन प्रायोजनाओं को विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए लगभग 21 मास समय का लगेगा। विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदनों के प्राप्त हो जाने तथा उनकी जांच कर लेने के बाद ही स्थल कार्य आरम्भ किया जा सकता है।

वर्ष 1972–73 में यह अनुमान लगाया गया था कि इन प्रायोजनाओं में से प्रत्येक प्रायोजना पर लगभग 854 करोड़ रुपये खर्च होंगे। विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदनों के प्राप्त हो जाने के बाद ही अनुमानित लागत का ठीक ठीक पता चल सकेगा।

विशाखापत्तनम इस्पात प्रायोजना छोड़ी नहीं गई है।

संसाधनों की अत्यधिक कठिनाई के कारण वर्ष 1975–76 के और अधिक धनराशि की व्यवस्था करना सम्भव नहीं हो सका है। फिर भी उपलब्ध संसाधनों की उपलब्धि को ध्यान म रखते हुए इसकी समय समय पर समीक्षा करने तथा तीन दक्षिणी इस्पात कारखानों के काम को जल्दी पूरा करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा गा ।

मेरठ में युवकों को सेना में भर्ती करने वाले एक गिरोह का पता लगाना

4118. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेरठ, उत्तर प्रदेश में हाल ही में युवकों को सेना में भर्ती करने वाले एक गिरोह का पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) ब्रांच भर्ती कार्यालय मेरठ में भर्ती के दौरान यह पता लगा कि कुछ अभ्यर्थी झूठे शक्षणिक प्रमाण-पत्र लिए हुए थे। अत: मामले की जांच पड़ताल के लिए पुलिस को सूचना दी गई; इस संबंध में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।

चाय बागानों में दैनिक मजूरी

4119. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चाय, रबड़, काफी तथा सरकारी क्षेत्र के कोयला तथा अन्य उद्योगों में और पटसन तथा कपड़ा उद्योगों में लगे श्रमिकों की दैनिक मजूरी कितनी-कितनी है ;

(ख) श्रमिकों की उक्त श्रेणियों में प्रत्येक को खाद्यान्नों तथा अन्य सुविधाओं में कितनी धनराशि के मूल्य की रियायत प्राप्त होती है ; और

(ग) बागानों तथा सरकारी और गैर-सरकारी उद्योगों में लगे श्रमिकों की उक्त श्रेणियों के लिए कितनी न्यूनतम मजूरी निर्धारित की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है [**ग्रंथालय में रखा गया. देखिए संख्या एल० टी० 9252/75**] जिसमें बागान और कोयला श्रमिकों की दैनिक मजदूरियों की दरें दी गई हैं। कतिपय उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी दरों के बारे में सूचना उस विवरण में दी गई थी, जो 17-2-1975 को उत्तर दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1430 के उत्तर में सदन की मेज पर रखा गया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित/संशोधित की गई न्यूनतम मजदूरी दरों के बारे में सूचना भारतीय श्रम सांख्यिकी, 1974 में प्रकाशित की जा चुकी है, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में भेजी जा चुकी हैं।

(ख) एक विवरण जिसमें उपलब्ध सूचना दी गई है, सभा की मेज पर रखा है [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9252/75**]

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में पुनर्वास योजनाएं

4120. **श्री मधु दंडवते :**

श्री भाऊसाहेब धामनकर :

क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों से आने वाले तथा अन्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में बसने वाले लोगों के पुनर्वास की क्या योजनाएं हैं ; और

(ख) ये योजनाएं कहां तक कार्यान्वित की गई हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) इस समय पुनर्वास विभाग की लिटल अंडमान, ग्रेट निकोबार और कच्छल में पुनर्वास/पुनर्व्यस्थापन की योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति इस प्रकार है :—

(i) लिटल अंडमान—249 नए प्रवासी परिवारों को बसाया जा चुका और 89 प्रवासी परिवार एवं 15 श्रीलंका प्रत्यावासी परिवार पुनर्वास की प्रक्रिया में हैं।

(ii) ग्रेट निकोबार—भूतपूर्व सैनिकों के 100 परिवारों को बसाया जा चुका है और 138 परिवार पुनः बसाए जाने की प्रक्रिया में हैं।

(iii) कच्छल—श्री लंका से आए 15 प्रत्यावासी परिवारों को बसाया जा चुका है।

अंडमान और निकोबार द्वीपों में पुनर्वास/पुनर्व्यवस्थापना की प्रगति कई आवश्यक पहलुओं पर निर्भर करती है जिन्हें ध्यान में रखना पड़ता है।

कर्नाटक को लोहे तथा इस्पात का आवंटन

4121. श्री के० लकप्पा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 की तुलना में वर्ष 1973–74 के दौरान कर्नाटक को केन्द्रीय स्रोतों से कितने मूल्य का और कितनी मात्रा में लोहे तथा इस्पात आवंटन किया गया ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक को कितने मूल्य का और कितनी मात्रा में लोहे और इस्पात का आवंटन करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इससे कर्नाटक के आम उपभोक्ताओं को लोहे और इस्पात की सुगम सप्लाई किस सीमा तक सुनिश्चित हो सकेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) पिछले एक वर्ष में इस्पात की प्रदाय स्थिति में काफी सुधार हुआ है अप्रैल' 1974 से जनवरी, 1975 के 10 महीनों में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का उत्पादन पिछले वर्ष की किसी अवधि के उत्पादन की तुलना में 3.569 लाख टन अधिक हुआ है और इस तरह उत्पादन में 10% की वृद्धि हुई हैं। माल सूचियों को सक्रिय बनाने के लिए किए गये विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप उपर्युक्त 10 महीनों की अवधि में इस्पात कारखानों से देश की अर्थव्यवस्था को 6,34,000 टन अधिक इस्पात मिला है जो पिछले वर्ष के 10 महीनों की सप्लाई की तुलना में 18% अधिक है। इस समय कच्चा लोहा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। ईस बात को देखते हुए यह आशा की जाती है कि कर्नाटक तथा देश के दूसरे भाग के लोहा और इस्पात के उपभोक्ताओं को अधिकांश श्रेणियों का लोहा और इस्पात अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मिल सकेगा।

पंजाब सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को अधिक भुगतान करना

4122. श्री भान सिंह भौरा : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1961 में पंजाब सरकार को आवंटित की गई निष्क्रान्त भूमि के लिए पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार को 3 करोड़ रु० से अधिक की राशि का अधिक भुगतान कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस अधिक भुगतान को पंजाब सरकार के साथ समायोजित किया जायेगा ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) पंजाब सरकार द्वारा फालतू निष्क्रान्त भूमि इत्यादि के लिए दी गई राशि और अधिक भुगतान का, यदि कोई है, पता लगाने की आवश्यकता है। इस बारे में देय राशि/भुगतान की गई राशि का मेल मिलाप करने के बाद आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

प्रवासियों को कृषि क्षेत्र में पुनर्वास के लिए दी जाने वाली सहायता की मात्रा

4123. **श्री नाथू राम अहिरवार :**

श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रवासियों को कृषि और लघु उद्योगों में बसाने के लिए उनको कितनी मात्रा में सहायता दी जा रही है ;

(ख) क्या सहायता की मात्रा बहुत पहले निर्धारित की गई थी, जो मूल्यवृद्धि के कारण अब पुरानी पड़ चुकी है; और

(ग) क्या मात्रा के पुनरीक्षण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; यदि हां, तो सुझाई गई सहायता की पुनरीक्षित मात्रा कब लागू की जायेगी ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के प्रवासियों को कृषि और लघु व्यापार में बसाने के लिए दी जा रही सहायता के विवरण पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) की 1973–74 वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के परिशिष्ट iv, v, vii और viii में उपलब्ध हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) पुनर्वास के क्रम में दी जाने वाली भरण पोषण सहायता की दरों में अब वृद्धि कर दी गई है। जैसा कि अपेक्षित है, अब मंजूर की जा रही योजनाओं में समुचित दरें प्रदान की गई हैं जो वर्तमान दरों की सीमा से अधिक हैं।

डाकघरों के जरिये महत्वपूर्ण औषधियों का वितरण

4124. **श्री सी० जनार्दनन :**

श्री एम० कतामुतु :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महत्वपूर्ण औषधियों का वितरण डाकघरों के जरिये करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत किन औषधियों को शामिल करने का विचार है और तत्सम्बन्धी अन्य मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय द्वारा गठित की गई औषधि और फार्मास्यूटिकल उद्योग सम्बन्धी समिति (जो हाथी समिति के नाम से प्रसिद्ध है) ने आम जनता को विशेषकर गांवों में रहने वाली जनता को अनिवार्य दवाईयां और आम घरेलू उपचार सुलभ करने के उपायों के बारे में अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया है कि इस सम्बन्ध में डाक विभाग, इण्डियन आयल कम्पनी डिपुओं आदि से सहायता मांगी जाए। जिन दवाइयों का डाक विभागों द्वारा बांटे जाने का

विचार है वे घरेलू उपचार की और आम प्रयोग में आने वाली दवाइयां होंगी जिनके लिए रजिस्टर्ड चिकित्सक के नुस्खे की जरुरत नहीं होती है। इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

एल्यूमीनियम की कीमतें

4126. श्री अनादि चरण दास :

श्री पी० गंगादेव :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्यूमीनियम की कीमतों में वृद्धि करने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने एल्यूमिनियम (नियंत्रण) आदेश 1970 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का० आ० 133 (ई) दिनांक 11 मार्च, 1975 के द्वारा एल्यूमिनियम तथा इसके उत्पादों (एल्यूमिनियम कतरनों और पन्नियों को छोड़कर) के कारखाना-बाह्य मूल्य तत्काल से 40-41 रुपए प्रति टन (उत्पादन शुल्क को छोड़कर) बढ़ा दिए हैं।

सशस्त्र सेनाओं को सरकार के आदेशों को न मानने के लिए आह्वान

4127. श्री वयालार रवि : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उन वक्तव्यों को देखा है जिसमें सशस्त्र सेनाओं को सरकार के आदेशों को न मानने के लिए कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) ऐसे वक्तव्य खेदजनक हैं। तथापि, ऐसे वक्तव्यों से सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों की ड्यूटी भावना पर कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

Adoption of Indian Way of Life by Envoys Abroad

4128. Shri Bibhuti Misra : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) where the Government of India encourage our envoys abroad to lead a western way of life; and

(b) the steps proposed to be taken to persuade them to adopt Indian way of life and food habits?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): No, sir.

(b) There are standing instructions to our Foreign Service officers in this regard which are reiterated whenever deemed necessary.

Supply of Bad Quality Wine to Military Canteens by Udaipur Distillery, Udaipur

4129. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Defence** be pleased to State :

(a) whether the Udaipur Distillery, Udaipur (Rajasthan) is supplying bad quality wine to military canteens ;

(b) if so, the action taken by Government against it ; and

(c) the value of the wine purchased by the military canteens from this distillery in 1974?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) to (c) The Canteen Stores Departments (India) has not purchased any wine, but has purchased 18,900 dozen bottles of Sohanphil rum and 40,950 dozen bottles of five year old matured rum from the Udaipur Distillery in 1974, at a total cost of approximately Rs. 25·7 lakhs for sale to the entitled persons. No complaint has been received in respect of these supplies.

राउरकेला इस्पात संयंत्र में आग

4130. श्री पी० गंगादेव :

श्री डी० डी० देसाई :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र में जब दिसम्बर, 1974 में आग लगी थी तो करोड़ों रुपयों का नैफ्थालीन का स्टाक नष्ट हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले एक वर्ष में आग की दस घटनाएं हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(घ) क्या इस दुर्घटना की जांच का आदेश दे दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ग) 2 दिसम्बर, 1974 की शाम चार बजकर पांच मिनट के आसपास राउरकेला इस्पात कारखाने के नेप्थलीन संयंत्र के निकटवर्ती अहाते में डिफिनोलाइजड आयल टैंक के बीच मध्यवर्ती क्षेत्र में आग लगने की घटना हुई थी। आग पर शाम 6.15 बजे तक काबू पा लिया गया था और शाम 6.30 बजे तक पूर्णतया आग बुझा दी गई थी। पूरी तरह बुझने से पहले आग उस इमारत तक पहुंच गई थी जहां नेपथेलीन की बोरियां रखी हुई थी जिससे कुछ बोरियों को भी आग लगी गई थी।

आग लगने से नेफथेलीन कैरियर, प्रेसों से लेकर निचले तल तक नालियों और पाइप लाइनों तथा कुछ मोटरें, केबल तथा सहायक साज-सामान को क्षति पहुंची थी। इससे लगभग 2.5 लाख रुपये की क्षति हुई थी।

(ख) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) कारखाने की एक जांच समिति ने आग लगने के कारणों का पता लगाया था। इस समिती की राय में आग अकस्मात लगी थी और इसके लिए किसी व्यक्ति विशेष अथवा अभिकरण को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का आगामी सम्मेलन

4131. **श्री बनमाली बाबू :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का आगामी सम्मेलन इस वर्ष सितम्बर में कोलम्बो में आयोजित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन को सफल बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) गुट-निरपेक्ष देशों का अगला शिखर सम्मेलन, कोलम्बो में सितम्बर 1976 के आसपास होना निश्चित हुआ है।

(ख) गुट-निरपेक्ष देशों के समन्वयन ब्यूरों के सदस्य के रूप में, भारत सरकार अगले शिखर के लिए तैयारी कार्य से लगातार निकट सम्पर्क बनाये हुए है। हम लगातार गुट-निरपेक्ष देशों की एकता को बनाये रखने और मजबूत करने पर ज़ोर दे रहे है जो कि उनकी सफलता और प्रभाव के लिए अनिवार्य है।

भारत सरकार इस मामले में श्री लंका की सरकार से भी सम्पर्क बनाये हुए है।

भारत में स्थित ब्राजील के दूतावास द्वारा कर्मचारियों की बर्खास्तगी

4132. **श्री एन० श्रीकांतन नायर :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्राजील के दूतावास में कार्य कर रहे 13 कर्मचारियों को मनमाने ढंग से तथा तुरन्त बर्खास्त कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) बर्खास्त कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) से (ग) ब्राजील के राजदूतावास में काम करने वाले 13 स्थानीय भारतीय कर्मचारियों की सेवाएं हाल ही में समाप्त कर दी गई थीं। विवाद को निबटाने के लिए विदेश मंत्रालय ने अपने प्रभाव से काम लिया था और इसके परिणामस्वरुप इन व्यक्तियों को ब्राज़ील के राजदूतावास द्वारा समुचित मुआवजा दिया जा रहा है।

बेरोजगारी के बारे में "इंटक" का सुझाव

4133. श्री सी० वाई कृष्णन् :

श्री गजाधर माझी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) ने बेरोजगारी के बारे में सभी सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों में विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता के उपयोग सात दिन के सप्ताह और रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए समयोपरि काम न करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने इंटक के सुझावों को नोट कर लिया है।

विशाखापत्तनम के लिये विदेशी सहायता

4134. श्री एम० कतामुतु :

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन आर्थिक दबावों जिनसे विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के क्रियान्वयन में विलम्ब हो रहा है, को दूर करने के लिए विदेशी सहायता लेने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Food Adulteration Cases in Delhi

4135. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of food adulteration cases in Delhi which were brought to the notice of Government during the last six months; and

(b) the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) :

(a) 88 cases of food adulteration were detected from September, 1974 to February, 1975.

(b) Prosecutions have been Launched in the Courts of Law against the offenders.

बम्बई पत्तन पर घाट संबंधी अपर्याप्त सुविधायें

4136. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन पर जहाजों को घाट लगानें संबंधी सुविधायें अपर्याप्त हैं,

(ख) क्या बम्बई पत्तन का विकास समुद्री यातायात में वृद्धि के अनुरुप नहीं हुआ है, और

(ग) वहां पर्याप्त घाट संबंधी सुविधायें प्रदान करने के लिये सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) 22 हजार टन कुल भार और 95 फुट चौड़े और 34 फुट डुबाव के जहाजों के लिए बम्बई गोदी में घाट सुविधायें उपलब्ध हैं। तेल पोती के लिये ये सीमाएं 53 हजार डी० डब्ल्यु० टी० और 36 फुट डुबाव हैं।

(ख) बम्बई गोदियां, 1880 से 1914 के दौरान बनाई गई। तब से दो बड़ी परियोजनायें पूरी की गई हैं, अर्थात् (1) बूचर द्वीप में 3 तेल जेटियां, जिनमें से दो, 53 हजार टन कुल भार तक के तेल पोतों को ले सकते हैं, और (2) सूखे माल के लिए 4 भीतरी और 3 बाहरी घाट तथा गोदी विस्तार योजना के अंतर्गत एक आधुनिक यात्री टर्मिनल। इन परियोजनाओं से अधिक लम्बे और अधिक गहरे जहाजों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हुई है। इन्दिरा गोदी जलपाश और प्रिंस तथा विक्टोरिया गोदियों के प्रवेश द्वारों की चौड़ाई सीमाओं तथा घाट शीड में और इर्दगिर्द पिछले स्थान की कमी, ऐसी लाचारी है जिसका उपचार नहीं हो सकता।

(ग) बम्बई पत्तन न्यास ने 80 हजार डी० डब्ल्यू० टी० तक और 42 फुट डुबाव तक के तलपोतों को लेने में समर्थ एक चौथे तेल घाट का तथा तट पर समान घरा उठाई सुविधाओं सहित 42 फुट डुबाव तक के 65 और 80 हजार डी० डब्ल्यू० टी० के भारी माल वाहकों और आधान जहाजों को लेनें में समर्थ न्हावा शेवा में एक सहायक पत्तन का प्रस्ताव किया है। ये दोनों प्रस्ताव, सिद्धान्त रुप में, स्वीकृत हो चुके हैं। मामले में अगली आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

महाराष्ट्र को दिये गये तलकर्षक (ड्रेजर्स)

4137. श्री शंकरराव सावंत : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने गत तीन वर्षों में महाराष्ट्र सरकार को कोई तलकर्षक (ड्रेजर्स) दिये हैं,

(ख) यदि हां, तो कितने और कब तथा किस किराये पर और किन शर्तों पर, और

(ग) किन भागों में तलकर्षण किया गया है और किन भागों में तलकर्षण करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय राजपथों के रखरखाव और पुलों के निर्माण के लिये केरल को सहायता

4138. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने वर्ष 1975–76 में राज्य में राष्ट्रीय राजपथ के रख-रखाव और पुलों के निर्माण और देख-रेख की आवश्यकता पूरी करने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सहायता दे दी है और यदि हां, तो कितनी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) : संवैधानिक रुप में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, विकास, अनुरक्षण और मरम्मतों की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है। इस पर हुआ सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार वहन करती है। अतः इसके लिये वित्तीय सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता। 1975–76 में राष्ट्रीय राजमार्गों और इन पर पुलों के निर्माण, विकास अनुरक्षण तथा मरम्मतों के लिए धनराशि आवंटित करने के लिए प्रस्ताव केरल सहित सभी राज्यों से प्राप्त हुए हैं। विभिन्न राज्यों के साधनों और आवश्यकताओं एवं उन आवश्यकताओं की स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए धन के आवंटन पर तभी विचार किया जा सकता है जब संसद् द्वारा बजट पर मतदान हो जाये।

ग्रेट ब्रिटेन के चीफ ऑफ रायल एयर फोर्स का भारत का दौरा

4139. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रेट ब्रिटेन के चीफ आफ रायल एयर फोर्स ने इस वर्ष भारत का दौरा किस प्रयोजन के लिए किया, ;

(ख) क्या भारत और ब्रिटेन के वायु सेनाध्यक्षों के बीच वायुयानों के रखरखाव और निर्माण के आधुनिक तकनीकी तरीकों पर कोई विचार विमर्श हुआ था; और

(ग) क्या उन्हें हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स कारखाना दिखाया गया था ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) यह एक सद्भाव यात्रा थी।

(ख) जी नहीं श्रीमन्।

(ग) जी नहीं श्रीमन्।

ओषधियों के मानक और किस्म नियंत्रण विषयक नाथवानी उप-समिती के प्रतिवेदन को क्रियान्वित करना

4140. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री 14 नवम्बर 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 45 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने औषधियों के मानक और किस्म नियंत्रण विषयक नाथवानी उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम में संशोधन के बारे में उप-समिति के सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उनको रूपरेखा क्या है; और

(ङ) इस संशोधन के कब पेश किये जाने को संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) 14 नवम्बर, 1974 को लोक सभा में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 45 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में जो स्थिति बतलाई गई थो उसके अलावा इस स्थिति में कोई तबदीली नहीं हुई है।

(ग) और (ङ) औषधि एवं प्रसाधन सामग्रो अधिनियम के संशोधन के बारे में नाथवानो उप समिति के सुझावों पर विचार कर लिया गया है और जहां तक व्यवहार्य हो सकता था इन्हें औषधि एवं प्रसाधन सामाग्रो अधिनियम के संशोधन विषयक विधेयक के प्रारुप में शामिल कर लिया गया है, विधेयक के प्रारुप पर विचार किया जा रहा है और इसे यथाशोघ्र संसद् में पेश किया जायेगा ।

काकीनाडा बंदरगाह का आधुनिकीकरण

4141. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्रो यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काकोनाडा बंदरगाह का आधुनिकोकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो उसको मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार पांचवी योजना अवधि के दौरान काकोनाड़ा पत्तन के विकास के लिए एक ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ बालू-खते का निकर्षण कर के बालू खड्डों का स्थिरोकरण, खाद के कारखाने के लिए कच्चे माल के लिए धरा-उठाई करने के लिए पनकट दीवार, बजरें तथा घाटों की व्यवस्था और घाट जेटटी ट्रांसिट शेड, संचार साधन आदि को अन्य तटोय सुविधाओं की व्यवस्था शामिल हैं जिससे प्रत्याशित अतिरिक्त यातायात आवश्यकता पूरो हो सके ।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में रिक्त पड़े राजनयिक पद

4142. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या विदेश मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित भारतोय मिशनों में क्रमशः गत एक वर्ष, छः महीनों और तोन महोनों से अधिक को अवधि से मिशनों के प्रधानों के रिक्त पड़े हुए पदों सहित राजनयिक पदों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन पदों के रिक्त पड़े रहने के क्या कारण है ; और

(ग) मिशनों के प्रधानों के कितने पदों पर राजनीति और समाज सेवा, विदेशो तथा-अन्य अखिल भारतोय सेवाओं के व्यक्तियों को नियुक्ति को गई है और उन पदों को प्रतिशतता क्या है जहां पर राजनोतिज्ञों की नियुक्ति को गई है ।

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न वक्तव्य में दी गयी है।

(ख) किफायत के उपाय के रुप में कुछ पदों को खाली रखा गया है। अन्य पदों के लिए उपयुक्त व्यक्ति चुने जा रहे हैं या चुन लिए गए हैं।

(ग) मिशनों के प्रधानों के कुल 81 पदों में से 60 पदों पर भारतीय विदेश सेवा संवर्ग अधिकारियों और 21 पदों पर राजनीति, सामाजिक और शैक्षिक वर्ग के व्यक्ति काम कर रहे हैं जिसमें वे अधिकारी शामिल है जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पुनः रोजगार मिला है। संवर्ग बाह्य पदों की नियुक्तियों की वर्तमान प्रतिशतता 26 है।

विवरण

राजनयिक पदों का विवरण जिसमें मिशनों के प्रधानों के वे पद भी शामिल है जो विदेश स्थित भारतीय मिशनों में इस समय स्थित है, परन्तु वें पद इनमें शामिल नही है जो अन्य मंत्रालयों के बजट संबंधी एवं प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं

क्रम सं०	पदों का विवरण	उन पदों की संख्या जो नीचे बताई अवधि से रिक्त हैं		
		एक वर्ष	छः महीने	तीन महीने
1	2	3	4	5
1.	भारत का राजदूत, सांतियागो	..	..	1
2.	भारत का राजदूत, साना		1	..
3.	द्वितीय सचिव		4	3
4.	प्रेस सहचारी	..	2	
5.	तृतीय सचिव	2	1	..
6.	द्विभाषिया (प्रवर वेतनमान)	..	..	1

Conference of All India Cantonment Citizens Association

4143. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether a Conference was organised in Delhi on the 21st and 22nd February under the auspies of All India Cantonment Citizens Associations ;

(b) if so, whether some resolutions were also passed in the Conference

(c) if so, the broad features thereof ; and

(d) Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d) Resolutions, if any, passed in the conference have not so for been received by Government.

लौह अयस्क बोर्ड

4144. **श्री एम० राममोपाल रेड्डी :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोह अयस्क बोर्ड के सांविधिक निकाय बनाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे क्या लाभ होंगे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) और (ख) : लोह अयस्क बोर्ड को सांविधिक निकाय बदलने के पक्ष और विपक्ष पर विचार किया जा रहा है। अभी कोई फैसला नहीं किया गया है।

रक्षा निरीक्षण संगठन में अधिकारियों का बारी बारी से नियुक्त किया जाना (रोटेशंस)

4145. **श्री एस० एन० बनर्जी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय द्वारा यह निर्णय किया गया था कि रक्षा निरोक्षण संगठन में अधिकारियों को कुछ अवधि के बाद बारो-बारो से नियुक्त किया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय कब किया गया था और इस प्रकार बारो-बारो से नियुक्त को क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई थो ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) रक्षा निरोक्षण संगठन के जनरल स्टोर प्रभाग के अफसरों को बारो-बारो से नियुक्त करने के लिए अक्तूबर 1971 में एक निर्णय लिया गया था। बाद में यह निर्णय ट्रेड द्वारा सप्लाई किए गए स्टोर्स के निरीक्षण से सबंधित रक्षा निरोक्षण संगठन के अन्य प्रभाग को भो लागू कर दिया गया था। यह नियुक्ति की अवधि उन प्रतिष्ठानों के कार्य संचालन पर निर्भर करतो है और 3 से 6 वर्ष तक भिन्न-भिन्न समय के लिए होती है। तथापि जो अफसर एक वर्ष के अन्दर सेवानिवृत होने वाले हैं उन्हें इस निर्णय से छूट है।

छावनी बोर्ड अधिनियम के स्थान पर नया विधान

4146. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने छावनी बोर्ड अधिनियम के स्थान पर नया विधान लाने का आश्वासन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जानकी वल्लभ पटनायक) : (क) और (ख) यह कहना सही नहीं है कि वर्तमान छावनी अधिनियम 1924 के "स्थान पर" कोई "नया" विधान लाने का आश्वासन दिया गया है। 28-11-1974 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2584 के उत्तर में सदन के पटल पर रखे गये विवरण में सही स्थिति बताई गई है।

भारत में मनोनीत नए अमरीकी राजदूत के आगमन में विलम्ब

4147. **श्री मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मनोनित नए अमरीकी राजदूत के आगमन में विलम्ब हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या पाकिस्तान को शस्त्रास्त्रों पर लगी रोक को हटाने के अमरीकी सरकार की घोषणा से उनके आगमन में विलम्ब का कोई संबंध है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अमरीका के मनोनीत राजदूत 22 फरवरी 1975 को यहां पहुंचने वाले थे लेकिन, उनके राजदूतावास के कार्यवाहक राजदूत ने 29 फरवरी को हमें सूचना दी कि मनोनीत राजदूत को लगभग एक सप्ताह का विलंब हो जाएगा। इस विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया गया था।

राजदूत महोदय 2 मार्च, 1975 को आ गये थे।

कलकत्ता में होमियोपैथी संस्थान के स्थापना स्थल का चुनाव

4148. **श्री कुमार मांझी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में 'साल्ट लेक' पर प्रस्तावित होमियोपैथी संस्थान के प्रस्तावित अनुसंधान केन्द्र के लिय एक भू-भाग का चयन किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) प्रस्तावित होम्योपैथी संस्थान के अनुसंधान केन्द्र को खोलने के लिए कलकत्ता में साल्ट-लेक पर पश्चिम-बंगाल सरकार से एक भू-भाग प्राप्त करने की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

Problems of Nurses

4149. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to an article "Women As Nurses" published in the "Hindustan Times Sunday Edition" dated the 9th February, 1975 ;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) whether there are pressing problems of Nurses even today and if so, the outlines thereof and the measures contemplated by Government to solve them and the steps already taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishague) : (a) The Government has seen the article "Women As Nurses" published in the Hindustan Times Sunday Edition dated the 9th February, 1975.

(b) The article, on the whole, speaks well of the nursing profession

(c) There are no pressing problems of the nurses at present. The Government is, however, trying to solve accommodation problem of the married nurses. to the extent funds are available for the purpose.

तटवर्ती जहाजरानी सेवा की दरों में वृद्धि

4150. **श्री के० माल्लन्ना :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा कपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तटवर्ती जहाजरानी सेवा को दरों में वृद्धि करने का कोई फार्मूला बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) जहाजों के व्यवहार्य और आर्थिक परिचालन के आधार पर तटीय नौवहन परिचालनों को सुधारने के लिये दूसरी शर्तों के साथ साथ किफायती भाड़ा दरों और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये परिचालन टनभार की पर्याप्तता की व्यवस्था के प्रबन्धों के युक्तियुक्त ढांचे के निर्माण के सारे मामले पर सरकार विचार कर रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि जमा न करवाने के कारण मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड सीमेंट फैक्टरी के विरुद्ध कार्यवाही

4151. **श्री सरजू पाण्डे :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **श्रम** मंत्री 29 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3896 और 9 मई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9733 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आलोक उद्योग समूह के स्वामित्व वाली मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड सीमेन्ट फैक्टरी ने भविष्य निधि को देय राशि का भुगतान कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) 9 मई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9733 के उत्तर में कथित की गई कार्यवाही के क्या परिणाम निकले ; और

(घ) उक्त फर्म के विरुद्ध क्या अतिरिक्त कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (घ) यह प्रतिष्ठान अगस्त 1974 से नियमित रूप से भविष्य निधि के अंशदानों का भुगतान करता रहा है । फरवरी,

1974 से जुलाई, 1974 तक की भविष्य निधि की 6.91 लाख रुपये की बकाया राशियों के संबंध में, प्रतिष्ठान की उक्त राशि को छः किस्तों में भुगतान करने की सुविधा स्वीकृत की की गई है, एक लाख रुपये की पहली किस्त का भुगतान 20-12-1974 को किया गया था।

एयर फोर्स में सिविलियन स्टोर कीपर पदों की पदोन्नति

4152. **श्री हरी सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेना में सिविलियन स्टोर कीपरों की सभी ग्रेडों में पदोन्नति 3 अप्रैल, 1968 के एयर एच क्यू/20613/191/ओ एण्ड ई/2913/डी (ए-iii)/116 द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेशों के अनुसार प्राधिकृत संस्थापन सूची के आधार पर लागू की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय वायु सेना में सिविलियन कर्मचारियों की प्राधिकृत संस्थापन सूची क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) भारतीय वायु सेना में सिविलियन स्टोर कीपरों की प्राधिकृत स्थापना 1445 है।

बेतूल जिले के शाहपुर क्षेत्र में प्रवासियों का पुनर्वास

4153. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ नये/पुराने प्रवासियों को बेतूल जिले के शाहपुर क्षेत्र की भूमि पर स्थायी रूप से बसाये जाने का प्रस्ताव हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रवासियों को प्रति परिवार पांच एकड़ सिंचित भूमि प्रदान की जायेगी ;

(ग) क्या सरकार ने वहां पर सिंचाई सुविधाओं को प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई है ; यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रयोजन के लिए बिछुआ लतिमा परियोजना को आरम्भ करने का सुझाव दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए नए प्रवासियों को बेतूल जिले के शाहपुर क्षेत्र की भूमि पर स्थायी रूप से बसाया जा रहा है।

(ख) ऐसी स्थितियों में जहां वर्षा के पानी पर ही निर्भर रहना होता है प्रवासियों को 5 एकड़ प्रति परिवार की दर से भूमि आवंटित की जाती है। जोत के आवंटन की सामान्य पद्धति इस प्रकार है :—

3 एकड़ सिंचित भूमि

या

परिरक्षी सिंचाई वाले क्षेत्र में 4 एकड़ भूमि

या

वर्षाधीन स्थितियों में 5 एकड़ बरानी भूमि

(ग) से (ङ) जी, हां। दो लिफ्ट सिंचाई योजनाएं एवं एक टैंक सिंचाई योजना पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं। बिछुआ लतिया परियोजना सहित कुछ और सिंचाई योजनाएं संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से विचाराधीन हैं। सिंचाई की व्यवस्था हो जाने पर जोत का पुन: आवंटन करना होगा।

शराब की बोतलों पर चेतावनी

4154. श्री आर० एन० बर्मन : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिगरेट के पैकिटों पर चेतावनी संबंधी हाल ही के निर्णय की पद्धति पर शराब की बोतलों पर भी 'स्वास्थ्य के लिये हानिकर' चेतावनी अंकित करने के प्रश्न पर विचार करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रक्रिया कब तक आरंभ कर दी जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

दंडकारण्य परियोजना के विभिन्न संस्थाओं का मध्य प्रदेश और उड़ीसा की राज्य सरकारों को हस्तांतरण

4155. श्री महम्मद इस्माइल : क्या सप्लाई और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वयं दण्डकारण्य परियोजना के पूर्ण होने के साथ-साथ या उसे धीरे-धीरे बन्द करने के रूप में उससे सम्बद्ध संस्थानों को मध्य प्रदेश और उड़ीसा की राज्य सरकारों को हस्तांतरित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे संस्थानों के स्थानान्तरित कर्मचारियों को कार्मिक विभाग के केन्द्रीय (फालतू) सैल के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में पुनर्रोजगार के विकल्प का लाभ दिया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) नियमन की दिशा में कार्यवाही करने की दृष्टि से कुछ संस्थानों को संबंधित राज्य सरकारों को हस्तांतरित किया जा रहा है। ऐसे हस्तांतरणों को परिसमापन प्रक्रिया का भाग नहीं कहा जा सकता है।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर में स्पष्ट की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इन संस्थानों के कर्मचारी कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल के माध्यम से फिर से रोजगार की सुविधाओं के पात्र नहीं हैं।

न्हावा शेवा में पत्तन का निर्माण

4156. **सरदार महेंद्र सिंह गिल : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई बन्दरगाह के पार न्हावा शेवा पत्तन परियोजना के निर्माण का अंतिम रूप से अनुमोदन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आयेगी और इसका निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ताकि परियोजना चलाने में विलम्ब न हो और इस बीच निर्माण लागत में वृद्धि न होने पाये ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) न्हावा शेवा में एक सहायक पत्तन का निर्माण शुरू करने के लिए योजना आयोग सिद्धान्त रूप से सहमत हो गया है।

(ख) लागत अनुमान की स्वीकृति और कार्य निष्पादन प्रारम्भ करने तथा उस पर लगने वाली समय का प्रश्न उस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर निर्भर करेगा जिसे तैयार किया जायेगा।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की परिवीक्षा समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

4157. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या स्वास्थ्य और** परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की परिवीक्षा समिति (1968) परिषद् के वैज्ञानिक कर्मचारियों की काम की शर्तें तथा उनकी पदोन्नति की सम्भावनाओं से सम्बन्धित मुख्य सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस में अत्याधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में सेवा समाप्ति की खतरे की तलवार से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के शासी निकाय ने वैज्ञानिक कर्मचारियों के काम की शर्तें और उनकी पदोन्नति की संभावनाओं के बारे में उक्त परिषद् की परिविक्षा समिति की सिफारिशों की जांच करने के लिए एक उप समिति का गठन किया था। इस उप समिति की दो बैठके हुई किंतु इन शिफारिशों के बारे में कोई निर्णय नही लिया गया। वैसे, यह उल्लेखनीय है कि तृतिय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मेडिकल तथा गैर-मेडिकल वैज्ञानि कों के वेतन मानों के संशोधन संबंधी मामले पर कार्यवाही की जा रही है। (ग) 1973 तक परिषद के अधीन सभी पद पूर्ण रूप से अस्थाई थे। तथापि, 1973 में भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि जो अस्थाई पद 1-3-70 से तीन वर्ष की अवधि तक चले आ रहे है और जिनके लम्बे समय तक चालू रहने की सम्भावना है उनमें से 80 प्रतिशत पदों को स्थायी कर दिया जाए यह निर्णय कार्यान्वित कर दिया गया है। वैसे, अर्धस्थायी युनिटों और अनुसंधान योजनाओं के पद अभी अस्थाई आधार पर चल रहे है। अनुसंधान योजनाओं के संबंध मे यह निर्णय किया गया है कि भविष्य मे केवल वरिष्ठ और कनिष्ठ अनुसंधान कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे और यदि कोई गैर-वैज्ञानिक सहायक कार्मिक नियुक्त किए गए तो उन पर संस्थान की सेवा शर्तें लागू होंगी जिस मे वह योजना चल रही है।

Operations under Family Planning Programmes

4158. Shri Mulki Raj Saini : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of persons operated upon under Family Planning Programme during 1973-74 whose health was adversely affected, as a result thereof ;

(b) the number of persons, religion-wise who underwent such operations; and

(c) the Government's proposal to bring people of all faith, religions and sects under Family Planning Programme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) This information is not maintained. However, there is no evidence that sterilization operations in any way adversely affect the health of the acceptors.

(b) The religion-wise break-up of the cases who underwent sterilization during 1973-74 is not available. The percentage of acceptors of sterilization by religion for the year 1972-73, which is the latest figure available, is given below :—

Hindus .	. 88.1%
Muslims	6%
Christians	1.6%
Sikhs	1.9%
Others	2.4%

(c) All communities and religious groups are practising Family Planning. The Family Planning Programme is an educational and voluntary programme. The motivational work is carried out to create acceptance amongst all sections of the people.

जनरल मेनेजर, भिलाई इस्पात संयंत्र

4159. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भिलाई इस्पात संयंत्र के जनरल मेनेजर के विरुद्ध कोई शिकायत मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो शिकायत का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन चार इस्पात कारखाने हैं जिनमें एक भिलाई इस्पात कारखाना है। इस प्रकार के मामले इस कंपनी के क्षेत्राधिकार में आते हैं। उचित कार्रवाई अवश्य ही तथा यथाशीघ्र की जाएगी।

श्री लंका से आये शरणार्थियों का अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पुनर्वास

4160. **श्री भाऊ साहिब धामनकर :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री लंका तथा अन्य स्थानों से आये कितने शरणार्थी अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में बसाये गये है ;

(ख) प्रत्येक परिवार को भूमि, ऋण, कृषि-उपकरणों, आवास और पशुओं के रूप में क्या सुविधायें दी गई हैं और गत तीन वर्षों में इन द्वीपों में पुनर्वास कार्यक्रम पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ग) क्या ये शरणार्थी, उन्हें दी गई अपर्याप्त सुविधाओं के बारे में आन्दोलन कर रहे हैं और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) पुनर्वास विभाग के कार्यक्रम के अन्तर्गत भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए 776 प्रवासी परिवारों एव श्री लंका से आए 26 तथा बर्मा से आए 37 प्रत्यावासी परिवारों को अंडमान और निकोबार द्वीपों में बसाया जा चुका है। इसमें भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए वे प्रवासी परिवार शामिल नहीं जिन्हें अंडमान प्रशासन की पुरानी उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत बसाया गया है।

(ख) पुनर्वास विभाग के अन्तर्गत द्वीपों में भूमि पर बसाए गए परिवारों को दी गई सहायता की दरें विभाग की वार्षिक रिपोर्ट (1973–74) के परिशिष्ट VIII में दी गई हैं। 1971–72 से 1973–74 के दौरान कृषक परिवारों के पुनर्वास पर कुल 128.39 लाख रुपए (विभागीय आंकड़े) खर्च किए गए हैं।

(ग) कोई आन्दोलन नहीं है। समय-समय पर प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्यवाही की जाती है और पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने एवं उठाए गए अन्य मामलों के बारे में यथा-आवश्यक उपयुक्त कार्यवाई की जाती है।

Revision of Grades of Teachers of Sainik School, Chittor

4161. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether there has not been an upward revision in the grades of the teachers of Sainik School, Chittor for the last 12 years ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b) It is correct that the grades have not been revised, although enhanced D.A. and Interim Relief have been sanctioned from time to time. However, the question of revision of grades have now been taken up with the State Governments and Union Territories Administrations.

इसराईल के प्रेजिडेंट की नेपाल यात्रा का रद्द किया जाना

4162. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन समाचारों की ओर दिलाया गया है जिनमें इसराईल के प्रेसिडेंट को नेपाल यात्रा रद्द किये जाने के लिए भारत को दोषी ठहराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्थिति को स्पष्ट करने के लिये संबंधित सरकार को लिखा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : सरकार ने जेरूसलम की उन अखबारी खबर को देखा है जिनमे यह कहा गया है कि नेपाल के प्राधिकारियों ने इसराईली राष्ट्रपति को काटमांडु यात्रा के विरुद्ध इसलिए परामर्श दिया था कि भारतीय और चोनी उग्रवादियों द्वारा प्रदर्शन को सम्भावना थो । बाद की रिपोर्टों में अखबारो ने खुद ही इस आरोप के पर बेतुकेपन की और संकेत किया था और ये आरोप इतने निस्सार थे कि उन पर सरकार की ओर से किसी स्पष्टोकरण की आवश्यकता नहीं थी ।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता

4163. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक इस्पात संयंत्र को वास्तविक अधिष्ठापित क्षमता पुस्तकों में दिखाई गई क्षमता से 0.2 से 0.4 मिलियन टन कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इस असंगति के क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Permission to Israel for Opening office in India

4164. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the reasons for not giving permission to Israel for opening an Office in India ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipin pal Das) : Israel has a Consulate in Bombay.

Service Code for Indian Employees of Foreign Missions in India

4165. **Shri R. V. Bade :**

Shri Madhavrao Scindia :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the demand that security of service and safeguarding of other interests of the Indian nationals working in Foreign Embassies and Missions in India should be brought under some well-recognised code ;

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action taken in this regard ; and

(c) when such a demand was made during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipin-pal Das) : (a) to (c) Representations from the local employees of foreign Missions stationed in Delhi have been received by the Government from time to time. We are in the process of formulating a model contract for Indian nationals serving with foreign Missions and the terms and conditions of this contract, as and when ready, will be circulated to all foreign Missions stationed in India.

Chemical Factories Benefit to Workers of Sri Ram Rayons, Kota, Rajasthan

4166. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of Labour be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 470 on the 14th November, 1974 and state the Chemical factories' benefits to which the workers of the Sri Ram Rayons, Kota, Rajasthan are entitled to, but which have not been given to them by the factory since its inception to date ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): The Government of Rajasthan has informed that Sri Ram Rayons Kota, Rajasthan is not a chemical factory as such the benefits, which are available to the factories covered under the group 'Heavy Chemical' is not available to the workers of this factory.

British Apartheid Policy

4167. Shri N. E. Horo : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the fact that apartheid is being practised in the case of Indian nationals settled in England;

(b) whether white population is given priority in employment in every field in England ; and

(c) if so, whether Government of India have sent any protest note in this egard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) We are not aware of apartheid being practised in Britain.

(b) & (c) If there are cases of discrimination by individuals or organisations, facilities are available to the aggrived party to seek redress through special bodies in Britain like the Race Relations Board.

भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास की योजना

4168. **श्री समर गुह :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास करने के बारे में 20 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 460 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों के उन 3,000 परिवारों के पुनर्वास करने संबंधी सरकार की योजना क्या है जिन्हें आगामी पांचवी योजनावधि में पुनर्वास करने संबंधी प्रस्तावित योजना में शामिल नहीं किया गया है ;

(ख) सरकार द्वारा प्रस्तावित 21,300 परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा बनाई गई ठोस योजनायें किस प्रकार की हैं ;

(ग) क्या इन शरणार्थियों का पुनर्वास अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में भी किया जायेगा ;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में बनाई योजनायें कौन-कौन सी है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) विभिन्न शिविरों में अभी तक भटक रहे 25,300 शरणार्थी परिवारों का शीघ्र पुनर्वास करने के लिए किस प्राधिकरण का गठन किया गया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) शिविरों में रह रहे पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रवासी परिवार जो पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बसाने के लिए रह जाते हैं उन्हें छटी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बसाने का प्रस्ताव है।

(ख) जैसा कि 20 फरवरी, 1975 को अतारांकित प्रश्न संख्या 460 के भाग (च) उत्तर में पहले ही कहा गया है, प्रवासी परिवारों को कृषि भूमि तथा गैर कृषि व्यवसायों, जिनमें रोजगार की व्यवस्था भी शामिल है, बसाया जायेगा जोकि उपयुक्त भूमि तथा निधि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ग) जी, हां, किन्तु यह द्वीपों में वन साफ करने की समीक्षा के अधीन है।

(घ) जैसा कि वर्तमान पद्धति है प्रवासियों को मुख्यतया कृषि भूमि पर बसाया जायेगा।

(ङ) प्रवासी परिवारों का पुनर्वास, विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र की एजेंसियों तथा दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण के माध्यम से किया जायेगा।

Strike of Students of Ayurvedic Colleges

4169. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether students went on strike in many Ayurvedic Colleges during 1973-74 ; and

(b) if so, State-wise number thereof and the steps taken by Government to remove their grievances ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) and (b) The information is being collected and will be furnished as soon as it is received.

राज्यों को औषध नियंत्रण एजेंसियों को निदेश

4170. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषध नियंत्रण एजेंसियों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिये राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं ताकि वे नकली औषधियों का व्यापार करने वाले अपराधियों का पता लगाने में अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) जी हां। इस मामले पर स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री ने सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के स्वास्थय मंत्री को पत्र लिखा है। उनके 28 जनवरी, 1974 के पत्र के साथ साथ एक नोट की प्रतिलिपि संलग्न है [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०—9253/75**] जिसमें नकली औषधियों के विरुद्ध अभियान को सख्त करने के लिए जो उपाय आवश्यक हैं उनका उल्लेख किया गया है।

जलमार्ग परिवहन सुविधाओं का सुधार

4171. **श्री अनन्तराव पाटिल :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्देशीय जल परिवहन का परिवहन के अन्य साधनों से समन्वय करने की दृष्टि से देश में जल मार्ग परिवहन की आवश्यकताओं का इस बीच कोई अध्ययन किया गया है; और हां, तो इसका सार क्या है ;

(ख) क्या वर्तमान जलमार्ग परिवहन की सुविधाओं का सुधार करने के लिए योजनाय बनाई गई हैं ; और

(ग) क्या ऊर्जा संकट और इंधन को अधिक लागत को ध्यान में रखते हुए परिवहन निदेशालय ने देश में जलमार्गों की तात्कालिक आवश्यकताओं और दीर्घकालिक योजना का अध्ययन किया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०एम० त्रिवेदी) : (क) समस्त देश को परिवहन आवश्यकताओं का अध्ययन किया गया है, परन्तु देश के विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन के अन्य प्रकारों के सहयोग से अन्तर्देशीय जल परिवहन की आवश्यकताओं की जांच के लिये किये गए कुछ महत्वपूर्ण अध्ययनों का सार निम्न प्रकार से है—

(i) फरक्का (1971) के बाद गंगा-भागीरथी पर अन्तर्देशीय जल परिवहन के यातायात संभाव्य के परिवहन अनुसंधान के निदेशालय की रिपोर्ट में, 1975-76 के लिए 20.31 लाख टन प्रतिवर्ष यातायात कर अनुमान लगाया गया।

(ii) नदी सेवा समिति, 1972 की रिपोर्ट में सर्व प्रथम असम और अन्य उत्तरी-पूर्वीय राज्यों से कलकत्ता तक यातायात 3 लाख टन का अनुमान लगाया गया। कलकत्ता से उत्तर-पूर्वी राज्यों तक का यातायात 3 लाख टन का अनुमान लगाया गया। भारत और बंगाला देश के बीच नदी यातायात के 5 लाख टन तक होने की संभावना थी, जिसमें से भारत का अंश 2.5 लाख टन हो सकता है। इस प्रकार कुल यातायात 8.5 लाख टन का अनुमान लगाया गया।

(iii) वंकिघम नहर (1974) के विकास संबंधी अध्ययन दल की रिपोर्ट में, सिफारिश अनुसार यंत्रीकृत नावों के चालन के लिए इसे उपयुक्त बनाने हेतु सुधार कार्यों के पूरे हो जानेके बाद उत्तर वंकिघम नहर का यातायात 6.50 लाख टन प्रति वर्ष और दक्षिण वंकिघम नहर का यातायात 0.30 से 0.40 लाख टन प्रतिवर्ष का अनुमान लगाया गया। विचार किया जाता है कि यदि नाविक सहकारी समितियों के निर्माण और नहर के नियमित रखरखाव जैसे आवश्यक उपाय किये गए तो कुल यातायात 9.00 लाख टन तक बढ जाएगा।

(iv) व्यावहारिक अर्थ अनुसंधान (1974) की राष्ट्रीय परिषद द्वारा किये गए थानाक्रीक उल्हास नदी वसीन क्रीक जलमार्गों के यातायात तथा अर्थ सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कुल यातायात जिसे जलमार्गों की ओर मोड़ा जा सकता था, 1971-72, 1975-76 और 1990-91 के दौरान क्रमश, 28.5 लाख टन, 48.52 लाख टन और 123.17 लाख टन होने का अनुमान था।

(v) पश्चिम बंगाल सरकार के कहने पर केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम ने गंगा/भागीरथी-हुगली में तकनीकन अर्थ सर्वेक्षण और अन्य जांच की हैं परन्तु रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(vi) व्यावहारिक अर्थ अनुसंधान राष्ट्रीय परिषद् गंगा में अन्तर्देशीय जल परिवहन के संभाव्य यातायात का विस्तृत मूल्यांकन अनुमान लगा रहा है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने चौथी योजना के अवधि दौरान जलमार्ग परिवहन में सुधार के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनओं के तौर पर 23 योजनाओं को स्वीकृति 773.18 लाख रुपये की लागत पर की। उक्त अवधि के दौरान ईन योजनाओं के लिए चौथी योजना में 271.31 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता दी गई। 1974-75 के दौरान (28-2-1975 तक) 78.87 लाख रुपये की और केंद्रीयसहायता दी गई। जल मार्गों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तौर पर पांचवी योजना मसौदे में 17.82 करोड़ रुपये अनुमानित लागत पर, 24 योजनाओं को अस्थायी तौर पर शामिल किया गया है। इनमें से 15 योजनाओं के बारे में राज्य सरकारों ने परियोजना रिपोर्टें तैयार की हैं और शेष 9 योजनाओं की प्रतीक्षा है।

(ग) ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

क्षय रोग निवारक परिक्षण करने के लिये बंगलौर में एक कार्यालय की स्थापना

4172. श्री पी० आर० शिनाय : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिंगलेपुट जिले में क्षय रोग निवारक परीक्षण करने के लिए बंगलोर में एक कार्यालय स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो बंगलोर में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं; और

(ग) क्या बंगलौर से इस कार्यालय को अन्यत्र ले जाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां तो उन कर्मचारियों की क्या दशा होगी जिनके परिवार बंगलौर में हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) कुल 215 कर्मचारियों में से लगभग 40 व्यक्ति बंगलौर में काम कर रहे है और शेष व्यक्ति मद्रास में कार्य कर रहे है।

(ग) क्षय रोग निवारक परीक्षण कार्यालय को बंगलौर से मद्रास ले जाया गया है। सभी कर्मचारियों की बदली मद्रास को कर दी गई है।

भारत में पाकिस्तानी युद्धबंन्दियों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति

4173. श्री एन० के० सांघी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तानी युद्धबन्दियों के रखरखाव और उन्हें स्वदेश भेजने पर भारत ने कुल कितनी धनराशि खर्च की;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत इस राशि में से कितनी धनराशि पाकिस्तान द्वारा देय है; और

(ग) क्या पाकिस्तान से अपना ऋण चुकाने के लिए औपचारिक रूप से अनुरोध किया गया है और यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसका निपटारा किस प्रकार किया जाएगा ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) भारत ने कुल मिलाकर 35,07,97,000 रुपये की राशि खर्च की।

(ख) इसमें से 3,69,55,000 रुपये की राशि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन वसूली योग्य है।

(ग) इस मामले को मौखिक रूप से और लिखित रूप से भी पाकिस्तान के साथ उठाया गया है। पाकिस्तान सरकार का रवैया अब तक तो सहायक नहीं रहा है। लेकिन, भारत सरकार इस मामले को तब तक उठाती रहेगी जब तक कि कोई समझौता न हो जाए।

महिलाओं में बेरोजगारी और उनके प्रति भेदभाव का व्यवहार

4174. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) कुल श्रमजीवी वर्ग की तुलना में महिलाओं की बेरोजगारी कितने प्रतिशत है;

(ख) क्या महिलाओं के प्रति भेदभाव बरता जाता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार श्रम कानून के जरिए इस भेदभाव को दूर करने का है?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज काम चाहने वाली महिलाओं की संख्या से संबंधित उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिसम्बर, 1974 के अन्त में काम की तलाश करने वालों की कुल संख्या का 11.5 प्रतिशत महिलाएं थीं।

(ख) कानून में रोजगार के मामले में महिलाओं के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं है।

(ग) पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाने हेतु एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

केरल जहाजरानी निगम के लिए विदेशी जहाजों की खरीद

4175. **श्री वयालार रवि** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल जहाजरानी निगम के लिए कुछ विदेशी जहाज खरीदने के लिए योजना आयोग की अनुमति के लिए अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्यप्रदेश में मैंगनीज अयस्क का उत्पादन

4176. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के उन क्षेत्रों में मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं, जहां उनका उत्पादन पहले ही शुरु हो चुका है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : मध्य प्रदेश में मैंगनीज अयस्क का खनन कार्य मैंगनीज ओर (इंडिया) लि० अथवा निजी क्षेत्र में खनन पट्टे-धारियों द्वारा किया जा रहा है। मैंगनीज ओर इंडिया लि० के पास पहले ही मैंगनीज अयस्क का काफी स्टाक है। हाल में मैंगनीज ओर (इंडिया) लि० का स्टाक कम करने के लिए विशेष उपाय करने पड़े थे निजी क्षेत्र में उत्पादन सामान्यतः मांग और पूर्ति नियम के आधार पर होता है। मैंगनीज अयस्क के खनन पट्टों के लिए गैर-सरकारी पार्टियों के आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है बशर्ते कि ऐसे क्षेत्र मैंगनीज ओर (इंडिया) लि० द्वारा पट्टे पर लिए गये क्षेत्र के निकट न हो अथवा वह क्षेत्र सरकारी क्षेत्र में मैंगनीज अयस्क निकालने के लिए आरक्षित न रखा गया हो।

कर्मचारी भविष्य विधि अधिनियम के अन्तर्गत बागान कर्मचारियों को लाभ

4177. श्री एस० एन० सिंह देव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम चाय बागान कर्मचारियों पर भी लागू होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बागान कर्मचारियों को भी लाभ प्राप्त हो रहा है ; और

(ग) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1972–73 से अब तक चाय बागान कर्मचारियों ने कुल कितनी राशि जमा कराई है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख) जी हां, असम राज्य में चाय बागान को छोड़ कर।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

केरल में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र

4178. श्री वयालार रवि : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के अन्त तक केरल में कितने औद्योगिक क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की सुविधाएं दी गई है ;

(ख) उस राज्य में इस योजना के अन्तर्गत कितने औषधालय तथा यूनिटें कार्य कर रहे हैं; और

(ग) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के अन्तर्गत किन क्षेत्रों को लाया जायेगा तथा राज्य में कितने नए औषधालयों और यूनिटों को खोला जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना दी है :—

(क) 54

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे औषधालयों/एककों की संख्या निम्न प्रकार है :—

पर्णकालिक कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय	68
अंशकालिक कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय	15
चलते-फिरते औषधालय	2
नियोजकों के उपयोग हेतु औषधालय	1
कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	11
कर्मचारी राज्य बीमा उपभवन	1
विशेषज्ञ केंद्र	28

(ग) इस योजना को कार्यान्वित का कार्यक्रम, राज्य सरकारों से सलाह करके वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर बनाया जाता है। यह कार्यक्रम, 1974–75 और 1975–76 वर्षों के लिए इस योजना के निम्नलिखित क्षेत्रों में विस्तारण की परिकल्पना करता है :–

1–पंगाप्पारा (चेट्टी विलाकोम)

2–किडनगूर और चंगनचेरी

3–मयुयानाद

4–नेंट्टिटस्सेरी और ओल्लुरकारा

5–ब्राडावकनवेरी और भुल्लुरकारा

6–पट्टेम्बी।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन डाक्टरी देख-रेख की व्यवस्था करना राज्य सरकारों की कानून जिम्मेदारी होने के कारण, योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित अतिरिक्त व्याप्ति को ध्यान में रखते हुए नए औषधालयों और अन्य एककों खोलने का प्रश्न एक ऐसा मामला है जिस पर केरल सरकार ने विचार करना है।

बोकारो इस्पात संयंत्र में बोकारो होटल

4179. **श्री सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या इस्पात और खान मंत्री बोकारो स्टील लि० में बोकारो होटल के बारे में 18 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न सं० 7137 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो होटल का संचालन अभी भी प्राइवेट ठेकेदार दवारा किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त ठेकेदारी फर्म के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) बोकारो स्टील लि० न ठेकेदार के पट्टे को समाप्त करने के लिए एक नोटिस जारी किया था। परन्तु ठेके दार ने इस नोटिस के विरुद्ध न्यायालय से स्थगत आदेश प्राप्त करा

लिया। बोकारो स्टोल लि० ने निचली अदालत के व्यादेश को चुनौती देने के लिए पटना उच्च न्यायालय में एक पुनरोक्षण याचिका दायर को है। बोकारो स्टोल लि० ने इस मामले में अन्तिम निर्णय पर्यन्त एक रिसीवर नियुक्त करने के लिए एक याचिका भी दायर को है।

बार्डर रोड डिवीजन द्वारा एशियाई राजमार्ग की स्वीकृति

4180. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बंगला देश और बर्मा के बीच संपर्क स्थापित करने वाला एशियाई राजमार्ग का सम्भावित मार्ग बार्डर रोड डिवोजन दवारा स्वीकृत कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या त्रिपुरा को इस राजमार्ग में सम्मिलित करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) कब तक निर्णय कर लिये जाने को संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग) एशियाई राजमार्ग योजना इस क्षेत्र के विभिन्न देशों को मिलाने वाले अन्तर्राष्ट्रोय राजमार्गो को जाल को व्यवस्था करने के लिये इकाफे (अब इसकैप कहा जाता है) सचिवालय द्वारा एक दशक से भी पूर्व तैयार को गई और इस पद्धति में आने वालो सड़कों के संरेखन विभिन्न संबंधित देशों के प्रतिनिधियों के परामर्श से निश्चित को गई। अत: कोई देश या संगठन एशियाई राजमार्ग पद्धति के अन्तर्गत आने वालो सड़कों का संरेखन से संबंधित नहीं है। इस दृष्टी से प्रश्न के भाग (क) और (ग) में उठाई गई बातें पैदा नहीं होतो। हाल हो में इकाफे (इसकैप) द्वारा प्रकाशित मानचित्र के अनुसार प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित संरेखन त्रिपुरा होकर नहीं गुजरता।

सेन्ट्रल सोल्जर्स, सेलर्स एण्ड एयरमेन्स बोर्ड का गठन तथा उसकी बैठक

4181. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1975 को सैन्ट्रल सोलजर्स, सेलर्स एण्ड एयरमैन्स बोर्ड का गठन किस प्रकार का था ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में बोर्ड को कितनी बैठकें हुयी ; और

(ग) उन सदस्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने प्रत्येक बैठक में भाग लिया और इन बैठकों में सदस्यों द्वारा को गयी प्रमुख भागों को संक्षिप्त रूप रेखा क्या है तथा बोर्ड द्वारा क्या निर्णय किया गया ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० –9254/75]**

सैनिक स्कूल सोसाइटी के सदस्यों के नाम और उसकी बैठक

4182. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1975 को सैनिक स्कूल सोसाइटी के सदस्यों के नाम क्या थे ; और

(ख) इस समिति ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी बैठकें आयोजित की थीं तथा इस सोसाइटी द्वारा लिए गए मुख्य निर्णयों का सारांश क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9/255/75**]

(ख) सैनिक स्कूल सोसाइटी के बोर्ड आफ गवर्नरों की चालू वित्तीय वर्ष में बैठक नहीं हुई है ।

एक कन्डक्टर से 500 रुपये का नुकसान हो जाने के बारे में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा जांच

4183. **श्री चंद्रशेखर सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली -भिवानी मार्ग पर नियुक्त दिल्ली परिवहन निगम के एक कन्डक्टर द्वारा 30 जून, 1973 को 500 रुपये का कथित नुकसान हो जाने जिसको उसने दरयागंज पुलिस स्टेशन में उसी दिन किसी डिपो मैनेजर की साठगांठ से झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि यह राशि उसकी जेब काटकर निकालली गई, के बारे में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा कोई जांच कराई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या उस कन्डक्टर ने उसी दिन रिपोर्ट दर्ज कराने से ठीक आधा घंटा पूर्व अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर राशि की जांच की थी और वहां टाइम-कीपर के रजिस्टर में दर्ज किया था कि 499.75 रुपये उसके पास हैं ; और

(घ) यदि हां, तो आई० पी० डिपो को आते हुये मार्ग में यह राशि कैसे गायब हुई जबकि उस समय बस में कोई यात्री नहीं आने दिया जाता है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम के एक संवाहक ने, जो दिल्ली-भिवानी रुट पर ड्यूटी पर था, 30 जून, 1973 को लगभग 500 रु० कम जमा करवाया और उसने संबंधित डिपो प्रबन्धक को रिपोर्ट की कि उसकी जेब कट गई है और उसके 500 रु० निकल गये हैं। साधारणतया यदि किसी दिन कमी 5 रु० से अधिक हो जाती है तो संवाहक को ड्यूटी से हटा दिया जाता है और उसे फिर ड्यूटि पर तब लिया जाता है जब वह घाटा पूरा कर दे। इस मामले में उक्त घटना के दो दिन पश्चात संवाहक की सेवाएं समाप्त कर दी गई जिसका कारण कुछ आरोपों के आधार पर उसके विरुद्ध पहले की गई कार्यवाही थी। अत : कम रोकड़ जमा करने के लिए संवाहक के विरुद्ध कोई अलग से विभागीय कार्यवाही शुरु करने का कोई अवसर नहीं था ।

(ख) और (ग) इन मामलों की सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

दिल्ली परिवहन निगम के डिपो मनेजरों की शक्तियां

4184. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के डिपो मैनेजरों को कर्मचारियों को आरोप पत्र जारी करने, उन आरोपों के बारे में स्वयं जांच करने तथा स्वयं सजा देने व उस सजा का प्रवतन करने की शक्तियां प्राप्त है ;

(ख) यदि हां, तो ये शक्तियां उन्हें किन विनियमों अथवा नियमों के अन्तर्गत प्रत्यायोजित की गई है जब कि दिल्ली परिवहन निगम के स्थायी आदेशों में उनका कोई उल्लेख नहीं हैं ;

(ग) क्या उनकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(घ) सरकार द्वारा इस असंगति को दूर करके स्थिति को उच्चतम न्यायालय के इन निर्णयों के अनुरूप बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे है ताकि एक ही अधिकारी आशय-पत्र जारी करने वाला, जांच करने वाला तथा सजा देनेवाला अधिकारी नहीं हो सकता ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली परिवहन विधि (संशोधन) विनियम, 1971 के अधीन दिल्ली सड़क परिवहन निगम के अधिनियम, 1950 जिसका विस्तार दिल्ली तक किया गया है की धारा 12 के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम के बोर्ड ने शक्तियां प्रत्योजित की हैं।

(घ) निगम ने बताया है कि कर्मचारियों के विरूद्ध आरोपपत्र बनाने और कार्यवाही करने के लिए निगम के डिपो प्रबन्धकों द्वारा प्रत्योजित शक्तियों का प्रयोग करने से कोई असंगति पैदा नहीं हुई है । परन्तु निगम को सलाह दी गई है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर मामले की समीक्षा करें और यदि आवश्यक हो तो वतमान आदेशों में संशोधन करें।

दण्डकारण्य परियोजना में राजपत्रित पदों पर पदोन्नति

4185. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के कुछ तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा या अन्य प्रकार से राजपत्रित पदों पर तीन महीने या अधिक अवधि के लिए पदोन्नति के उपयुक्त पाया गया था और बाद में बिना कोई कारण बताये एक महीने के भीतर ही उनकी पदावनति कर दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों की पदावनति की गई और इसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) दण्डकारण्य परियोजना प्रशासन ने यह सूचित किया है कि एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी की 3 महीने के लिए द्वितीय श्रेणी राजपत्रित पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति की गई थी जिसे बाद में उसको अपने पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया क्योंकि विभागीय कार्यवाही के पूरा होने पर दण्ड के रुप में उसे एक वर्ष के लिए पदोन्नति के लिए वर्जित कर दिया गया था ।

5—15 LSS/ND/75

दण्डकारण्य परियोजना में तदर्थ नियुक्तियां

4186. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भर्ती सम्बन्धी सभी औपचारिकतायें पूरी करने के बाद अनेक व्यक्तियों को दण्डकारण्य परियोजना में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में उनकी वर्ष-वार और श्रेणी-वार संख्या कितनी रही और तदर्थ नियुक्तियां करने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

दण्डकारण्य परियोजना में कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया जाना

4187. **श्री समर मुखर्जी :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के कुछ कार्य-प्रभारित कर्मचारियों (जिनमें तथाकथित फालतू श्रेणियों के कर्मचारी भी शामिल हैं) को त्यागपत्र देने और वर्ष 1971 से तदर्थ नियुक्तियों या नियमित अस्थायी नियुक्तियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें अपने कार्य-प्रभारित पदों से त्यागपत्र देने और नियमित नियुक्तियों के बजाय उन्हें तदर्थ नियुक्तियों के दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसे प्रभावित कर्मचारियों के प्रति न्याय करने के लिए कार्यवाही की जा रही है?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों द्वारा आंदोलन

4188. **श्री समर मुखर्जी :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारी और श्रमिक 4 दिसम्बर, 1974 से आन्दोलन कर रहे हैं और अपनी शिकायतों को, जिनमें उनके ऐसोसियेशन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं/सदस्यों को सताये जाने की कार्यवाहियों से उत्पन्न शिकायतें भी शामिल हैं, दूर कराने के लिए उन्होंने अनिश्चित काल के लिए हड़ताल की थी ;

(ख) क्या दण्डकारण्य परियोजना के मुख्य प्रशासक ने आन्दोलनकारी कर्मचारियों के साथ अत्यधिक भद्दा व्यवहार किया था और इस कारण वर्तमान मुख्य प्रशासक सहित तीन निश्चित अधिकारियों को हटाये जाने की कर्मचारियों ने मांग की है ;

(ग) यदि हां, तो अधिकारियों के विरूद्ध क्या निश्चित शिकायतें हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या आन्दोलनकारी कर्मचारियों और मंत्री महोदय के बीच कोई बातचीत हुई थी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और किस सीमा तक उनकी शिकायतों को दूर कर दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) दण्डकारण्य परियोजना के कुछ कर्मचारियों ने दिसम्बर, 1974 के प्रथम सप्ताह से आन्दोलन आरंभ किया था और उनमें से कुछ कर्मचारियों ने यह सूचित किया था कि वे अतिरिक्त काल के लिए भूख हड़ताल पर हैं। मुख्य प्रशासक ने बताया है कि परियोजना के किसी कर्मचारी को सताया नहीं गया है।

(ख) और (ग)। मुख्य प्रशासक के अनुसार यह पूर्णतया असत्य है कि आन्दोलनकारी कर्मचारियों के साथ मुख्य प्रशासक या किसी अन्य अधिकारी या परियोजना के किसी कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार का भद्दा व्यवहार किया गया है। तथापि, एक अमान्यता-प्राप्त संघ के पदाधिकारियों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें भद्दे व्यवहार का आरोप लगाया गया है और कुछ अधिकारियों को हटाने की मांग की गई है।

(घ) आन्दोलनकारी कर्मचारियों और मंत्री महोदय के बीच कोई बात-चीत नहीं हुई है। तथापि, अमान्यता-प्राप्त संघ के कुछ पदाधिकारी, अपनी कथित शिकायतों से उन्हें अवगत कराने के लिए, विगत माह में मंत्री महोदय से मिले थे। मंत्री महोदय ने उन्हें सारे आन्दोलन समाप्त करने की सलाह दी।

भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्मिक प्रबंधक

4190. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्मिक प्रबन्ध के पद को संयंत्र के एक अधिकारी के पद का दर्जा बढ़ाकर भरा गया है और क्या पद के दावेदार ऐसे अधिकारियों के अन्तर संयंत्र रूप स विचार किये जाने की परम्परा के यह प्रतिकूल है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन भिलाई इस्पात कारखाने में कार्मिक प्रबन्धक के पद पर नियुक्ति का मामला एक ऐसा मामला है, जो सरकारी उपक्रम के दिन प्रतिदिन के प्रशासन के क्षेत्र में आता है और जिस पर सरकार को सुचित किए बिना स्वत: कंपनी द्वारा निर्णय लिया जाता है। इस कंपनी ने सरकार को सूचित किया है कि यह पद चयन द्वारा पदोन्नति से और सभी पात्र कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर कंपनी के नियमों तथा विनियमों के अनुसार भरा गया था।

इथौपिया में भारतीय कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

4191. **डा० हरिप्रसाद शर्मा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इथौपिया की सैनिक सरकार ने खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों, कपड़ा और चमड़े के सामान का उत्पादन करनेवाली उस देश में काम कर रही सभी 101 विदेशी स्वामित्व वाली फ़र्मों का राष्ट्रीयकरण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सैनिक सरकार की इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप इथौपिया में काम कर रही कितनी भारतीय कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया है ; और

(ग) इन कम्पनियों को आस्तियों का मूल्य कितना है और उन कम्पनियों के लिए पर्याप्त मुआवजा प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) से (ग) अद्यतन सूचना के अनुसार इथौपिया की आगामी सैनिक सरकार ने अभी तक लगभग 90 नीजि-स्वामित्व वाली औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कम्पनियों (जिसमें से बहुत सी कम्पनियों में विदेशी पूंजी लगी थी) का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। खाद्यान्न, पेय पदार्थों, सूती वस्त्र एवं चर्म वस्तुओं का व्यापार करनेवाली किसी भी पूर्ण विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनी का राष्ट्रीयकरण नहो किया गया है, यद्यपि उनमें से कुछ में अस्थायी सैनिक सरकार ने नियंत्रक शेयर ले लेने के निर्णय की घोषणा की है ।

फिर भी, भारतीय स्वत्व की कुछ कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया है । उनकी संख्या के बारे में और उसमें निहित पूंजी की सीमा के बारे में विस्तत सूचना का अभी मूल्यांकन किया जा रहा है ।

इथौपिया की अस्थायी सैनिक सरकार ने मुआवजा देने के अपने वायदे की घोषणा की है और मुआवजे देने संबंधी प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति की नियुक्ति कर दी है ।

वाशिंगटन में भारत-अमरीकी संयुक्त आयोग की बैठक

4192. **श्री शशि भूषण :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी , 1975 में भारत-अमरिकी संयुक्त आयोग की वाशिंग्टन में एक बैठक हुई थी ;

(ख) उक्त बैठक के मुख्य निर्णयों अथवा निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) भारत-अमरीकी संयुक्त आयोग की अगलो बैठक कब होनी निश्चित हुई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जस्ता उत्पादन में आत्म-निर्भरता

4193. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के भीतर जस्ते का कुल कितना उत्पादन होता है और क्या इस महत्वपूर्ण अलौह धातु में हमारे देश के आत्मनिर्भर होने को कोई सम्भावनायें हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : जस्ते की वर्तमान, कार्यान्वियनगत और प्रस्तावित क्षमता के बारे में नीचे सारणी में जानकारी दी गई है :—

		टन
(i)	दो वर्तमान चालू प्रद्रावकों की स्थापित क्षमता . . .	38,000
(ii)	उत्पादन :—	
	(क) वास्तविक; 1973–74	20,776*
	(ख) अनुमानित; 1974–75	23,000*
(iii)	1976–77 के दौरान स्थापित होने वाले अतिरिक्त गलाई क्षमता के लिये जारी कार्य	57,000
	जोड़ (i) व (iii)	95,000
(iv)	आशय पत्र के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षमता	20,000
	जोड़	115,000

*हिन्दुस्तान जिंक लि० द्वारा पैदा जस्ता कैथोड़ के बराबर जस्तापिंड शामिल है।

उपर्युक्त क्षमता से देश की लगभग 60–70 प्रतिशत क्षमता की पूर्ति होगी। जस्ता प्रद्रावण क्षमता में अतिरिक्त वृद्धि देश में इस धातु के अतिरिक्त अयस्क भंडारों की पुष्टि पर निर्भर है।

विश्व हिन्दी सम्मेलन

4194. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में नागपुर में आयोजित विश्व हिन्दी सम्मेलन में कितने देशों को उनकी सरकारों द्वारा अपने-अपने प्रतिनिधियों को भेजने के लिए कऔपचारिक रूप से निमंत्रण भेजा गया था तथा कितने देशों ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे और उनको किस हैसियत से भेजा गया था ;

(ख) क्या इसकी सूचना देने के बावजूद भी नेपाल सरकार को औपचारिक रूप से आमंत्रित नहीं किया गया था और नेपाल का प्रतिनिधित्व भारत में उनके दूतावास के कर्मचारियों द्वारा किया गया था ;

(ग) क्या हिन्दी 'धर्म युग' के नवीनतम विशेषांक और 21 फरवरी, 1975 को दैनिक हिन्दुस्तान में यह समाचार छपा था कि नेपाल ने विश्व हिन्दी सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे थे ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) से (घ) इन अखबारों में जो खबरें छपी थी वे सरकार ने देखी हैं। इस सम्मेलन के लिए निमंत्रण सीधे विश्व हिंदी सम्मेलन के महासचिव द्वारा ही भेजे गए थें जो कि एक गैर-सरकारी संगठन है। मारिशस के प्रधान मंत्री को जिन्होंने सम्मेलन की अध्यक्षता करना स्वीकार किया था, सरकार की ओर से निमंत्रण भेजा गया था। जिन देशों से प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था उनकी एक सूची संलग्न है।

काठमांडू स्थित हमारे राज दुतावास के माध्यम से दो नेपाली प्रतिनिधियों के लिए निमंत्रण भेजा गया था जो त्रिभुवन विश्वविद्यालय द्वारा चुने जाने थे। विश्वविद्यालय ने अपने उत्तर में असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा था कि आसन्न सेमेस्टर परीक्षा के कारण वह किसी को भेज नहीं सकेगा। लेकिन दिल्ली-स्थित नेपाली राजदूतावास के सांस्कृतिक सहचारी ने इस सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था।

विवरण

उन दशों की सूची जिनके प्रतिनिधियों ने संमेलन में भाग लिया

1. बंगला देश
2. बेल्जियम
3. बर्मा
4. कनाड़ा
5. चेकोस्लोवाकिया
6. डेनमार्क
7. फिजी
8. फ्रांस
9. जर्मन जनवादी गणतंत्र
10. जर्मन संघीय गणराज्य
11. गुयाना
12. हंगरी
13. ईरान
14. इटली
15. जापान
16. श्री लंका
17. मारिशस
18. मंगोलिया

19. नीदरलैण्डस्

20. पोलैण्ड

21. स्वीडन

22. थाइलैण्ड

23. ट्रिनिडाड

24. यूनाइटेड किंगडम

25. संयुक्त राज्य अमरीका

26. सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ

27. यूगोस्लाविया

28. दक्षिण अफ्रीका

29. सूरीनाम

30. नेपाल

रूस के साथ करारों और समझौतों की क्रियान्विति

4195. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस के साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति (सेंट्रल कमेटी) के प्रथम सचिव श्री ब्रेझनेव के भारत आगमन पर उनके तथा हमारे प्रधान-मंत्री के बीच हुए विभिन्न करारों और समझौतों की प्रभावी क्रियान्विति के लिये रूस से सहयोग से भारत सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है ; और

(ख) अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) नवम्बर, 1973 में सोवियत संघ के साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति के महासचिव महामान्य श्री एल० आई० ब्रेजनेव की भारत यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने उद्योग, लोह एवं इस्पात उत्पादन, पेट्रोलियम एवं रसायन, कोयला, व्यापार, उत्पादन में सहयोग, योजना आदि की दिशा में विभिन्न क्षेत्र तय किये थे।

दोनों ओर के विशेषज्ञों द्वारा एक-दूसरे देश की यात्रा के माध्यम से और आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए भारत-सोवियत संयुक्त आयोग के तत्वावधान में भी इन क्षेत्रों की प्रगति के बारे में निरन्तर विचार होता रहा है ।

(ख) इस विचार-विनिमय के परिणामस्वरूप दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में एक कदम आगे बढ़े हैं जिसका विवरण अनुबंध 'क' में दिया गया है।

विवरण

भारत-सोवियत सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति

1. कृषि :—प्रत्यक्षतः राजस्थान और जम्मू और काश्मीर काराकुल भेड प्रजनन के लिए उपयुक्त समझे गए हैं। ऐसा भी प्रतीत होता है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र मेरीनो भेड़ प्रजनन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं।

2. व्यापार :—दोनों पक्षों ने वर्ष 1976–1980 की दीर्घावधि व्यापार योजना तैयार करने के लिए बातचीत को तेज किया है। अगले कुछ महीनों में इसे अंतिम रूप जाने की संभावना है। एक वरिष्ठ व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में मास्को में विचार–विमर्श किया। 1975 में सोवियत संघ के साथ व्यापार योजना में कुल 750 करोड़ रुपये का व्यवसाय होने का अनुमान है जो दीर्घावधि व्यापार योजना के लिए आधार होगा। 1974 में लगभग 618 करोड़ रुपये का व्यावसायिक लेन-देन होने की संभावना है।

3. कोयला :—दोनों पक्षों ने सिंगरौली और रानीगंज में कोयला क्षेत्रों के विकास की संभाव्यता रिपोर्टों के लिए संयुक्त तैयारी पूरी कर ली है। दोनों पक्षों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सोवियत पक्ष रानीगंज में कोयला धोने का कारखाना स्थापित करने में सहायता देने को राजी हो गया है।

4. डम डम—कलकत्ता में टालीगंज भूमिगत परियोजना :—उपर्युक्त परियोजना के लिए कुछ उपस्कर सप्लाई करने के बारे में सोवियत संघ ने अपना जबाब भेज दिया है। यह सरकार के विचाराधीन है।

5. खानें :—मध्य प्रदेश के बाक्साइट प्रक्षेपों पर आधारित एक अल्यूमिना संयंत्र पर आधारित एक संभाव्यता रिपोर्ट सोवियत संघ से मई 1975 में किसी समय मिल जाने की उम्मीद है। मलंजखंड तांबा परियोजना से संबद्ध विस्तृत परियोजना रिपोर्ट हमें 1975 में मिल गई थी जिस पर विचार हो रहा है। कोरबा एलमूनियम प्रगालक का प्रथम चरण अप्रैल 1975 में चालू हो जायेगा। कोरबा एलमूनियम कम्प्लेक्स से 30 हजार टन एलमूनियम सोवियत संघ को सप्लाई किया गया है।

6. इस्पात :—बुखारो इस्पात संयंत्र की क्षमता को बढ़ा कर 40 लाख टन करने से संबंद्ध विस्तार कार्यक्रम पर विचार विमर्श करने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल 16 मार्च, 1975 को मास्को के लिए रवाना हो गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार करके उसकी क्षमता को 40 लाख टन ले जाने पर भारत सरकार विचार कर रही है। सोवियत पक्ष में रांची के भारी मशीन निर्माण संयंत्र की निरंतर ढलाई मशीनों के निर्माण में सहायता देना स्वीकार कर लिया है जिनकी भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तार में जरूरत है।

7. पेट्रोलियम और रसायन :—मथुरा तेल शोध कारखाने के बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र ही मिल जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त सोवियत पक्ष ने एक ड्रिलिंग रिग की सप्लाई के सिलसिले में जहाज से माल भेजना पहले ही शुरू कर दिया है। विभिन्न उपस्कर और पूरक हिस्से भी हमारे तेल एवं उत्पादन कार्यक्रम के लिए भेजे जा चुके हैं।

8. **उद्योग** :—रांची के भारी मशीन निर्माण संयंत्र के लिए 1974 में सोवियत संघ से हमें 10,800 टन पुरजे और पूरक-वस्तुएं प्राप्त हुई थीं। इसके अतिरिक्त 6 हजार टन पूरक हिस्से और पुरजे 1975 में सप्लाई किये जायेंगे। सोवियत पक्ष ने भारत में धातुक उपस्कर के लिए एक डिजाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए भारी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के साथ सहयोग करना भी सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है।

9. **उत्पादन सहयोग** :—सोवियत संघ के ऊर्जा एवं परिवहन तथा भारी उद्योग मंत्री की हाल की भारत यात्रा के दौरान ऐसी कई वस्तुओं के तीसरे देश में सम्भावित निर्यात के बारे में सहमति हुई थी जोकि सोवियत सहायता प्राप्त परियोजनाओं में तैयार किये जाते हैं। दोनों पक्षों के बीच उत्पादन सहयोग के क्षेत्र में प्रारम्भिक विचार-विमर्श भी हुआ है।

10. **आयोजन** :—भारत सोवियत संयुक्त आयोजन दल की दो बैठकें हुई है। दूसरे अधिवेशन में वार्षिक, मध्यावधि, और संभावित आयोजन की क्रिया पद्धति तथा सांख्यकिय कार्य का संगठन, ईंधन ऊर्जा संतुलन संरचना की आयोजना, दोनों देशों के बीच उत्पादन सहयोग, संभावना के आकलन का सिद्धान्त और क्रिया पद्धति जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।

11. **कौंसलो अभिसमय** :—इस अभिसमय के अनुसमर्थन में कुछ महीने और लग जायेंगे क्योंकि इसमें हमारी ओर से कानून बनाने की आवश्यकता है।

बन्दरगाहों पर मरम्मतों तथा शुष्क गोदी में ले जाने की अपर्याप्त सुविधाएं

4196. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बन्दरगाहों पर मरम्मतों तथा शुष्क गोदी में ले जाने की सुविधायें बहुत ही अपर्याप्त है;

(ख) क्या जहाजों के बहुत से मालिक अपनी इच्छाओं के विरुद्ध, अपने जहाजों को विदेशों में शुष्क गोदी में लाना अधिक वांछनीय पाते है जिससे राष्ट्र पर विदेशी मुद्रा का बहुत अधिक भार पड़ता है;

(ग) क्या कुछ मास पूर्व भारत के लिये खाद्यान्न लाने वाला एक अमरीकी जहाज बम्बई बन्दरगाह में रेत में फंस गया था और उसे पुन: पानी में उतारने के लिये 'टग' कोलम्बो से मंगवाने पड़े थे; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क), (ख) और (ग) भागों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उक्त प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) भारतीय पत्तनों में मरम्मत और सूखी गोदी के लिए मौजूदा सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं जिसका मुख्य कारण यह है कि हाल के कुछ वर्षों के दौरान भारतीय जहाजों, पत्तन जलयानों तथा नौसेना के जहाजों में काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा विदेशी जहाज भी मरम्मत और सूखी गोदी की इन सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं। परन्तु अभी कुछ वर्षों में प्राप्त कुछ जहाज आकार में इतने बड़े हैं कि वे मौजूदा सूखी गोदी की सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए कुछ पोत स्वामियों को विदेशी यार्डों में अपने जहाजों की मरम्मतों

घाट पर मरम्मत करवानी पड़ती है। परन्तु उनका केवल निम्नलिखित शर्तों के अधीन विदेशो में अपने जहाजों की मरम्मती घाट पर मरम्मत करवा सकते हैं:—

(1) जब अन्तर्राष्ट्रीय दो तरफा व्यापार में लगने अथवा विदेशी कम्पनी के पास लम्बे समय के लिए भाटकित किये जाने के कारण जहाज के काफी लम्बे समय तक वापिस भारत आने की संभावना नहीं हो।

(2) जब जहाज को भारत में सूखी गोदी की सुविधा अनिश्चित काल के लिए नहीं मिल सकती और पोत स्वामी के बहुत से जहाज मरम्मत की प्रतीक्षा में हों।

(3) विदेश में किसी दुर्घटना, क्षति अथवा आपातकालीन स्थिति में।

(4) जब जहाज बहुत बड़े आकार का हो और भारत में अपेक्षित आकार की गोदी न होने से भारत की सूखी गोदी में मरम्मत न हो सके।

(ग) जी, हां।

(घ) मरम्मत और सूखी गोदी की सुविधाओं में वृद्धि करने के प्रश्न पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है। कोचीन शिपयार्ड की जिसमें पोत मरम्मत की क्षमता होगी। इस वर्ष के अन्त तक पूरे होने की संभावना है। पांचवीं योजना अवधि में दो नये शिपयार्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है और यह भी विचार किया गया है कि पोत निर्माण के अतिरिक्त नये शिपयार्डों में पोत मरम्मत घाट भी बनाये जायेंगे। देश में और सूखी गोदियों की स्थापना के बारे में निर्णय देश में नये शिपयार्डों के स्थान संबंधी निर्णय लेने के बाद किया जायेगा। भारत में एक सालवेज आर्गनाइजेशन की स्थापना का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

उद्योग के संगठित क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि या कमी

4197. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान उद्योग के संगठित क्षेत्र में रोजगार में कितनी वृद्धि या कमी हुई है; और

(ख) चौथी योजना पूरी हो जाने के बाद की अवधि के दौरान इस की क्या स्थिति रही है?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—9256/75]

लम्बी दूरी के पनडुब्बी भेदी युद्ध के लिए तैयारी

4198. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री के० मालम्मा :

श्री गजाधर माझी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी रक्षा सेनाएं सतह से सतह पर मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्रों (मिसाईल) और पनडुब्बियों की चुनौतियों का सामना करने के लिये लम्बी दूरी के पनडुब्बी भेदी युद्ध और जासूसी विमानों के मामले में पूर्णतया सक्षम हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की यदि कोई योजना है तो वह क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) सरकार समुद्र में उत्तम तथा और अधिक कारगर लम्बी प्रासीय वायु टोह क्षमता की आवश्यकता के विषय में पूरी तरह से सचेत है। पनडुब्बी-रोधी कार्य पर विशेष बल दिया जाता है। हमारी रक्षा योजनाओं में इन खतरों को ध्यान में रखा जाता है।

पत्तन सेवाओं की लागत में वृद्धि

4199. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन सेवाओं की लागत में वृद्धि करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) बड़े पत्तन न्यास के प्राधिकरणों का निम्नलिखित कारणों से पत्तन प्रभार बढ़ाने का प्रस्ताव है :--

(1) अखिल भारत पत्तन तथा गोदी कर्मचारी हड़ताल के बाद 1-1-1974 से बड़े पत्तनों के कुछ कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने के लिए श्रमिकों के साथ हाल ही में हुए समझौते के परिणामस्वरूप बडे पत्तनों पर पड़े अतिरिक्त आर्थिक बोझ को पूरा करने के लिए।

(2) सामान और सेवाओं की लागत में वृद्धि को पूरा करने के लिए।

(3) अन्य बातों के साथ साथ ब्याज प्रभार, स्थानपूर्ति, पूंजी परिसम्पत्तियों के आधुनिकीकरण तथा पुर्ननिवेश और विकास, ऋणों की अदायगी और आकस्मिक व्यय के लिए आरक्षण को पूरा करने के लिए पूंजी निवेश पर उचित प्रतिलाभ प्राप्त करने के लिए।

छावनी क्षेत्रों में रह रहे लोगों की सम्पत्तियां जब्त करना

4200. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छावनी क्षेत्रों में रह रहे लोगों की भूमि सम्पत्तियां बहुत कम मुआवजा देकर जबरदस्ती अधिकार में ले ली जाती हैं अथवा जब्त कर ली जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उक्त भूमि सरकार की है और यदि हां, तो इस के क्या प्रमाण हैं?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जानकी वल्लभ पटनायक) : (क) और (ख) जहां सरकारी प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता होती है अथवा जहां धारण-अधिकार की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है अथवा जहां धारण-अधिकार की शर्तें ऐसी हैं कि पुनर्ग्रहण करने का अधिकार है तो छावनियों में पुनर्ग्रहण, धारण-अधिकार पर रखी गई भूमि

का पुनर्ग्रहण, धारण-अधिकार की शर्तों के अनुसार किया जाता है। पुनर्ग्रहण लेने के लिए प्राधिकृत निर्माण के लिए मुआवजा दिया जाता है। यदि वे दिए गए मुआवजे की राशि से सन्तुष्ट नहीं तो वे निर्धारित शर्तों के अधीन मध्यस्थता प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) सरकारी रिकार्ड और न्यायिक निर्णय के अनुसार छावनियों में भूमि सरकार की होती है इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं।

अहमदाबाद नगर परिवहन सेवा को वित्तीय सहायता

4201. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद नगर परिवहन सेवा को तेजी से विकसित हो रहे अहमदाबाद नगर के लिए कुशल और सक्षम परिवहन व्यवस्था के संचालन और अनुरक्षण के लिए बसों की कमी, धन के अभाव और समुचित सुविधाओं की कमी और डिपुओं की कमी के कारण कठिनाई हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरे तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या स्थिति में सुधार करने के लिये केन्द्रीय सरकार का विचार अहमदाबाद नगर परिवहन सेवा को वित्तीय सहायता देने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कैसे और कब ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) भारत सरकार को गुजरात सरकार तथा नगर निगम, अहमदाबाद के प्रशासक से पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें यह बताया गया कि निरन्तर वित्तीय कठिनाइयों के कारण अहमदाबाद नगर पालिका परिवहन उपक्रम के लिए यह संभव नहीं हुआ है कि वह अपनी बस सेवाओं में वृद्धि कर सके और गाड़ियों की मरम्मत तथा रखरखाव की सुविधाओं में सुधार कर सके जिससे नगर की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। यह अनुमान लगाया गया है कि उपक्रम को 1975-76 से 1979-80 तक क्रमशः 9.525 करोड़ रुपये तथा 1.25 करोड़ रुपए की लागत से 635 बसों की खरीद तथा 5 अतिरिक्त डिपुओं का निर्माण करना होगा। 121 बसों की खरीद करने तथा एक अतिरिक्त बस डिपो के निर्माण के लिए भारत सरकार से 2.05 करोड़ रुपए की तुरन्त वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) सरकार को अन्य महानगरीय परिवहन उपक्रमों से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। पांचवीं योजना के शेष चार वर्षों में उन संसाधनों के अतिरिक्त जो वह स्वयं जुटा सके, इन उपक्रमों की वित्तीय आवश्यकता का मूल्यांकन करने का प्रस्ताव है। इस मूल्यांकन के पूरे हो जाने पर सरकार इस बात पर विचार करेगी कि क्या इन उपक्रमों को वित्तीय सहायता दी जा सकती है और कहां तक।

गुजरात के डाक्टरों को मानदेय का भुगतान

4202. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल अस्पताल, अहमदाबाद और गुजरात के अन्य सरकारी अस्पतालों के अवतनिक डाक्टरों और सर्जनों को गत कई महीनों से और नियमित मासिक आधारपर अपना मानदेय नहीं मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने और अवैतनिक डाक्टरों के ऐसे अपमान को समाप्त करने के लिये गुजरात सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर यथा शीघ्र भेज दी जायेगी।

गैर सरकारी लौह अयस्क खानों का विकास

4203. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** :

श्री डी० के० पंडा :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह 28 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2479 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क बोर्ड ने बड़ा जमदा समिति की सिफारिश के क्रियान्वयन की सम्भावनाओं का पता लगाने की दृष्टि से गैर-सरकारी खान मालिकों के साथ समझौता किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या बेल्लारी 'होस्पेट' संबंधी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस की रूप रेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) बड़ाजमदा समिति ने अनुमान लगाया था कि वर्ष 1978-79 तक 80 लाख टन वार्षिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट खानों के विकास पर 12 करोड़ रुपया खर्च होगा। यह भी अनुमान लगाया गया था कि एक केन्द्रीय स्क्रीनिंग और क्रशिंग संयंत्र लगाने पर 5 करोड़ रुपया और खर्च होगा।

बड़ाजमदा समिति द्वारा निर्दिष्ट निजी खानों के उचित विकास के लिए पर्याप्त पूंजी निवेश के लिए विभिन्न उपायों का पता लगाने के लिए लौह अयस्क बोर्ड ने भारतीय खनिज उद्योग संघ के प्रतिनिधियों के साथ दो बैठकें की हैं।

खान मालिकों के प्रतिनिधियों ने यह स्वीकार कर लिया है कि वह इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक पूंजी लगाने को तैयार है बशर्ते कि बढ़े हुए समस्त उत्पादन को दीर्घकालीन आधार पर खरीद और ढुलाई का आश्वासन दिया जाए। भारतीय खनिज उद्योग संघ का अनुमान है कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुल 7.5 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। लौह अयस्क बोर्ड इस मामले पर आगे विचार कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात की मूल्य निर्धारण नीति

4204. श्रीमती पार्वती कृष्णन :

श्री एच० एन० मुकर्जी :

क्या इस्पात और खान मंत्री इस्पात की विभिन्न मूल्यनिर्धारण नीति के बारे में अध्ययन दल के प्रतिवेदन से संबंधित 14 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 480 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इस्पात के विभिन्न मूल्य निर्धारणों नीति के बारे में अध्ययन दल के प्रतिवेदन की सिफारिशों के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री इन्द्रजीत यादव) : (क) और (ख) सरकार ने सिद्धांत: यह बात मान ली है कि राज्य लघु उद्योग निगमों की मार्फत दिया जाने वाला लोहा और इस्पात लघु से उद्योग इकाइयों को लगभग उन मूल्यों पर मिलना चाहिए जिन पर मुख्य इस्पात कारखानोंसे सीधे माल लेने वालों को मिलता है। अभी इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इसनिर्णय को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाए।

मुख्य उत्पादकों के स्टाकयार्डों की मार्फत सप्लाई किये जाने वाले लोह और इस्पात के मूल्यों को मुख्य इस्पात कारखानों से सीधे प्रेषणों के मूल्य के बराबर करने का विचार नहीं है।

बंगलौर में मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये कर्नाटक राज्य का प्रस्ताव

4205. श्री एस० एम० सिद्धय्या : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये कर्नाटक राज्य से कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) मैसूर शहर में एक मेडिकल विश्वविद्यालय खोलने के बारे में एक प्रस्ताव कर्नाटक सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

समुद्र तटीय राज्यों द्वारा पृथक जहाजरानी निगम बनाया जाना

4206. श्री बी० वी० नायक : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक पृथक केरल जहाजरानी निगम बनाये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) इस निगम की कुल नौकाओं का कितना टन भार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में अन्य तटवर्ती राज्यों को भी ऐसे ही निगम बनाने की अनुमति देने अथवा उनके ये ऐसे निगम बनाने का है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) संस्था की नियमावली के अनुसार केरल शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निर्गमित है जिस के मुख्य कार्य जहाज खरीद कर नौवहन सेवाओं की स्थापना और परिचालन करना तथा पोत वणिकों और पोत स्वामियों का कार्य करना है।

(ख) निगम ने अभी तक कोई जहाज नहीं लिया है।

(ग) जबकि सांविदिक स्थिति यह है कि कोई भी कम्पनी जो व्यापार पोत अधिनियम 1968 की धारा 21 की शर्तें पूरी करती हो, नौवहन के क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। भारत सरकार राज्य सरकारों द्वारा ऐसी नौवहन कम्पनियों की स्थापना करवाने के लिए तैयार नहीं है।

विजयनगर, विशाखापत्तनम और सलेम में इस्पात संयंत्र

4207. **श्री बालकृष्ण वेंकन्नानायक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयनगर, विशाखापत्तनम और सलेम में प्रत्येक स्थान पर इस्पात संयंत्रों के निर्माण पर कितनी कितनी राशि खर्च हुई है; और

(ख) इन संयंत्रों के पूरा होने की तिथियां क्या क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) अब तक विजयनगर विशाखापत्तनम और सलेम इस्पात कारखानों पर खर्च करने के लिए मंजूर की गई धनराशि नीचे दी गई है:—

	(करोड़ रुपये)
1. विजयनगर	1.81
3. विशाखापत्तनम्	1.65
3. सलेम	8.24

(ख) ये सभी कारखाने अभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं अतः इनके तैयार होने की तारीखों के बारे में बताना समयपूर्व होगा।

हरियाणा में मेडिकल कालेजों की स्थापना

4208. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का किन-किन राज्यों में नये मेडिकल कालेज स्थापित करने का विचार है। और

(ख) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हरियाणा राज्य में मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारुप में नये मेडिकल कालज खोलने की कोई व्यवस्था नहीं है। हरियाणा राज्य का भी चालू वित्तीय वर्ष में नया मेडिकल कालेज खोलने का कोई विचार नहीं है।

भारतीय श्रम सम्मेलन के निर्णयों की क्रियान्विती

4209. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभा को यह सूचित करेगी कि मजदूर संघों, नियोक्ताओं तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक त्रिपक्षीय निकाय भारतीय श्रम सम्मेलन की गत बैठक किस तारीख को हुई थी ;

(ख) उक्त बैठक में क्या निर्णय किये गए थे ; और

(ग) क्या उन निर्णयों को क्रियान्वित किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) भारतीय श्रम सम्मेलन की आखिरी बैठक (27 वां सत्र), 22 और 23 अक्तूबर, 1971 को हुई थी।

(ख) सम्मलन के निष्कर्ष, 18 नवम्बर 1971 को सभा की मेज पर रखे गए थे। ये मुख्यत: निम्नलिखित से संबंधित थे :--

(i) त्रिपक्षीय सलाहकार तंत्र ;

(ii) उपदान के भुगतान के लिए केन्द्रीय अधिनियम ;

(iii) औद्योगिक उपक्रमों की बन्दी ;

(iv) बोनस भुगतान अधिनियम की पुनरीक्षा ; और

(v) संघो को मान्यता देना।

(ग) इन निष्कर्षों के अनुसार त्रिपक्षीय निकायों में सरकारी क्षेत्र के नियोजकों को पृथक प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव है।

उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 अब तक अधिनियमित कर दिया गया है और लागू किया गया है। ताकि अभिप्रेत बन्दी के प्रभावी होने से पहले किसी नियोजक पर जो किसी उपक्रम को बन्द करने का इरादा करता है, कम से कम 60 दिन के नोटिस देने को अनिवार्य करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 संशोधित किया गया है। बोनस पुनरीक्षासमिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिस का अध्ययन किया जा रहा है। संघों को मान्यता और अन्य मामलों की व्यवस्था करने के लिए सरकार एक व्यापक औद्योगिक संबंध कानून के ब्यौरों को अन्तिम रूप दे रही है।

Payment of Salary or Subsistence Allowance to Retrenched Employees of Hindal Co. Renukoot, Mirzapur (U.P.)

4210. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state

(a) whether 17 retrenched workers of Hindal Co. Renukoot, Mirzapur (Uttar Pradesh) are not being paid any subsistence allowance or salary by the management ;

(b) if so, the reasons for non-payment of subsistence allowance or salary to them ;

(c) whether the management is violating labour laws by not paying this allowance or salary to them ; and

(d) if so, the action being taken by Government against the management?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) to (d) The matter falls essentially in State sphere. Complaints, if any regarding non-payment of retrenchment compensation or subsistence allowance etc. in violation of the provisions of the relevant Law could be referred by the aggrived workers or their union to the State Government.

Re-instatement of the Employees of Hindustan Aluminium Corporation Renukoot, Mirzapur (U.P.)

4211. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether the management of Hindustan Aluminium Corporation , Renukoot Mirzapur (Uttar Pradesh) removed 17 employees from service in March 1974 ;

(b) whether the matter of reinstating these employees was referred to arbitration ; and

(c) if so, the time by which the award would be announced and the main reasons for delay in announcement thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) to (c) The matter falls essentially in the State sphere, and has been brought to the notice of the State Government. It could be pursued further by the parties concerned with the State Industrial Relations Machinery.

पाकिस्तानी नौसेना द्वारा विमान-भेदी एन्टी सब एयर शस्त्र बनाया जाना

4213. **श्री पी० गंगारेड्डी :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 फरवरी, 1975 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में पाकिस्तान की नौसना द्वारा विमान–भेदी शस्त्र बनाये जाने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

6—15 LSS (ND)/75

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) नौसेना का विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। रक्षा योजनाओं का लगातार समीक्षा की जाती है और इसे देश पर सभी सम्भावित खतरों का सामना करने के अनुकूल बनाया जाता है। प्रशिक्षण और अभ्यासों के अतिरिक्त नौसेना को एक प्रभावकारी बल बनाने के लिए जहां आवश्यक होता है स्वदेशी निर्माण और विदेशों से क्रय किया जाता है।

भारत में छूत की बीमारियां का फैलना

4214. **श्री प्रो० गंगादेव :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत में फैल रही छूत की नई बीमारियों के बारे में 24 फरवरी, 1975 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) यह समाचार स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के भाषण की सही रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में छूत की कोई नई बीमारी नहीं फैल रही है।

गोला बारुद और अत्यधिक विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले कारखाने का आधुनिकीकरण

4215. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोलाबारुद और अत्यधिक विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले कारखानों का आधुनिकीकरण करने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) योजनाओं की मुख्य-मुख्य बातों में वर्तमान उपस्कर के स्थान पर नए उपस्कर लाना, और इन फैक्टरियों के उत्पादन में किस्म और मात्रा दोनों में ही सुधार लाने के विचार से इन फैक्टरियों की सभी उत्पादन लाइनों की कार्यसंचालन दक्षता में सुधार करना है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी का प्रयोग आरम्भ करने पर खर्च

4216. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **विदेश** मंत्री नागपुर में आयोजित विश्व हिन्दी सम्मेलन के बारे में 20 फरवरी, 1974 के तारांकित प्रश्न सं० 43 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ हिन्दी को अपनी औपचारिक भाषा के रूप में तभी स्वीकार करेगा जब भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी का इस रूप में प्रयोग किये जाने पर होने वाले खर्च को सहन करने पर सहमत होगा ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ में औपचारिक भाषा बनाने के हमारे प्रस्ताव को किसी अन्य देश नें औपचारिक रुप से समर्थन किया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) सरकार को इस प्रकार के किसी भी समाचार की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नागपुर में आयोजित विश्व हिन्दी सम्मेलन में मारिशस के प्रधान मंत्री के समर्थन के अतिरिक्त हमें किसी अन्य देश के बारे में जानकारी नहीं है जिसने हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए सरकारी समर्थन दिया हो।

बोकारो इस्पात संयंत्रों में वैगनों की कमी

4217. श्री एम० कतामुतु : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र को अपना स्टाक उठाने के लिये वैगनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) फरवरी, 1975 के अन्त में बोकारो में विक्रेय कच्चे लोहे के स्टाक लगभग 43,000 टन और इस्पात पिण्ड का स्टाक 37,000 टन था। पर्याप्त संख्या में रेल डिब्बों के आबंटन के लिये कारखाने द्वारा रेलवे के साथ सतत संपर्क रखा जाता है। रेलवे की सहायता से हाल में प्रेषणों में कुछ सुधार हुआ है।

कर्नाटक में औषधियों की कमी

4218. श्री कें० लकप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में अधिकांश सरकारी अस्पतालों में आवश्यक औषधियों की कमी है ;

(ख) क्या पर्याप्त मात्रा में आवश्यक औषधियों उपलब्ध कराने के बारे में कर्नाटक सरकार से हाल ही में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा सामान्यतः विभिन्न राज्य में और विशेष रूप से कर्नाटक में सरकारी अस्पतालों को आवश्यक औषधियां सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही भेज दी जायेगी।

पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में किसी स्थान पर लघु इस्पात संयंत्र

4219. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में एक लघु इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) इस समय इन राज्यों में साधारण इस्पात पिण्ड/बिलेट के उत्पादन के लिए विद्युत भट्टियां लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि आसाम में एक इकाई, बिहार में आठ उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में 18 इकाइयों को आशय पत्र /सी० ओ० वी० लाइसेंस / औद्योगिक लाइसेंस दिए गए हैं और इन प्रयोजनों में से अधिकांश प्रायोजनाएं कार्यान्वयन के भिन्न चरणो में है।

इस्पात के लिए कच्चे माल का बैंक स्थापित करना

4220. **श्री भान सिंह भौरा :**

मौलाना इसहाक सम्भली :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के लिए कच्चे माल का बैंक स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है और इस बैंक के उद्देश्य क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का इस्पात की कच्ची सामग्री का बैंक वर्ष 1972-73 से चल रहा है।

यह बैंक इस्पात को विशिष्ट क्रांतिक श्रेणियों का अपेक्षित स्टाक रखता है और उसमें से प्राथमिक उदयोगों को वैध आयात लाइसेंसों/रिलीज आर्डरों पर अथवा प्रायोजना प्राधिकारियों के लिए इस्पात बैंक से इस्पात सामग्री लेने के लिए विदेशी मुद्रा के विशिष्ट आबंटनों पर अपने स्टाक से इस्पात देता है।

इस बैंक को 5 करोड़ रुपये की आवर्तक विदेशी मुद्रा दी गई है जिससे यह आयात करता है।

भारत और बंगला देश के बीच समुद्री (मेरिटाइम में) सीमा

4221. **श्री शंकरराव सावंत :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगलादेश के बीच समुद्री सीमा निर्धारित की गई है ;

(ख) परस्पर विवाद की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) समुद्री सीमा निर्धारित करने के लिये आम तौर से स्वीकृत सिध्दांत कौन-कौन से हैं

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) जी नहीं बातचीत अभी भी चल रही है और दोनों पक्ष इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि परस्पर सहमत कोई समझौता हो जाए।

(ग) इस बारे में आम सहमति है कि जल सीमा संबद्ध राज्यों के बीच न्यायोजित सिद्धांतों के आधार पर पारस्पारिक समझौते से तय की जानी चाहिए। आम तौर से राज्यों की यही प्रथा रही है कि वे समद्रस्थ रेंखा का ही अनुरक्षण करते हैं जब तक कि कोई और ऐसी विशेष परिस्थितियां न हों जिनको ध्यान में रखना जरूरी हो।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में सोना खनन

4222. श्री शंकरराव सावन्त : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में कितनी-कितनी मात्रा में सोना खनन किया जाता है;

(ख) वर्ष 1972-73, वर्ष 1973-74 और वर्ष 1974-75 में (31 जनवरी, 1975) तक किस-किस खान से कितने-कितने सोने का उत्पादन हुआ;

(ग) सोने के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण है; और

(घ) देश में सोने का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे ह ?

इस्पात और खान मंत्रालय म उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) दश में सोने का खनन केवल सरकारी क्षेत्र में भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, जो भारत सरकार का प्रतिष्ठान है, की खानों में तथा हट्टी गोल्ड माइन्स कम्पनी लिमिटेड, जो कर्नाटक राज्य सरकार की कम्पनी है और जिसमें लगभग 97 प्रतिशत शेयर राज्य सरकार के हैं, की खानों में ही किया जाता है।

(ख) सोने का खान-वार उत्पादन लाख ग्रामों में नीचे दर्शाया गया है :--

	1972-73	1973-74	1974-75
भारत गोल्ड माइन्स लि०			
			(31-3-75 तक)
(1) मैसूर खान	4.47	3.76	3.95
(2) चैम्पीयन रीफ खान	4.03	4.00	4.10
(3) नन्दी दुर्ग खान	11.50	10.26	6.89
जोड़	20.00	18.02	14.94
हट्टी गोल्ड माईन्स कम्पनी लि०			
हट्टी स्वर्ण खान	13.23	14.17	10.85
कुल जोड़	33.23	32.19	25.79

(ग) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड की खानों के स्वर्ण उत्पादन में गिरावट मैसूर खान के अयस्क भण्डार में शनैः शनैः कमी, जोरदार जट्टान प्रस्फुटन, उच्च ग्रेड अयस्क के अभाव, अलाभकार निखनन के आस्थगन, आदि के कारण हुई है।

(घ) उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से भारत गोल्ड माइन्स लि० ने कोलार स्वर्ण क्षेत्र तथा रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र में समन्वेषण गहरे स्तरों तक खुदाई, कुछ कार्यों के यंत्रीकरण, बालू-भराई में सुधार संपीडित वायु दाब में वृध्दि तथा माइन रीफ खान को पुनः खोलने की योजनाएं शुरु की हैं।

केरल में राष्ट्रीय राजपथों पर खर्च

4223. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में केरल राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय राजपथों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में केरल राज्य में उक्त अवधि में बहुत कम राशि इस प्रयोजनार्थ खर्च की गई; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	व्यय
	(रुपये लाखों में)
1971-72	157.85
1972-73	438.94
1973-74	321.28

(क) और (ग) स्थिति, राज्य-राज्य की-वर्ष वर्ष की अलग-अलग थी। जब कि बहुत से मामलों में केरल में हुआ खर्च, कुछ राज्यों में हुए खर्च से अधिक था परन्तु दूसरे मामलों में कुछ राज्यों की तुलना में विभिन्न परिमाण में यह कम था। इस विन्नती के तुलनात्मक कारण बताना संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई स्वीकृत योजनाओं की लागत निविदाओं को अन्तिम रूप देने जैसे कार्य को चालू करने की उनकी तयारी की अवस्था, कार्यों की प्रगति, आदि जैसे व्यय के कारण समय-समय पर प्रत्येक राज्य के मामले में अलग-अलग होते हैं।

केरल के तटवर्ती प्रदेशों में बड़े तथा छोटे बन्दरगाहों का विकास

4224. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**

श्री वयालार रवि :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने केरल के तटवर्ती प्रदेशों में बड़े तथा छोटे बन्दरगाह विकसित करने के लिये कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) आर (ख) केन्द्रीय सरकार ने केरल तट पर कोचीन पत्तन का एक बड़े पत्तन के तौर पर पहले ही विकास किया है। प्रत्याशित यातायात की धराउठाई की मांग पूरी करने के लिये निम्नलिखित कार्यों का प्रस्ताव किया गया है. या किया जाना है, अर्थात्:--

(1) जिन 4 घाट क्रेनों का पहले आर्डर दिया गया है, उनकी शीघ्र सुपुर्द किए जाने की संभावना है।

(2) 808 फुट तक खुले घाट का विस्तार पूरा हो गया है।

(3) पहले आधान मार्शल यार्ड, भाड़ा केन्द्र रेल एवं सड़क सुविधाओं-ट्रैक्टरों और ट्रेलरों द्वारा लदान प्रबन्ध तथा दूसरे, निर्मित होने पर आधार यातायात की धराउठाई के लिये आवश्यक अधिक आधुनिक उपकरण की व्यवस्था द्वारा क्यू० 9 घाट के एक आधान घाट में बदलने का प्रस्ताव है। धराउठाई आधान जहाजों के लिये क्यू-5 घाट पर अस्थायी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

(4) उर्वरक घाट के लिये एक योजना का प्रारम्भिक कार्य किया गया है, दो बजरा जेटियों के निर्माण द्वारा क्यू-10 घाट पर अन्तरिम प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

(5) बोलघट्टी में एक सुपर तेल पोत टर्मिनल के निर्माण का प्रस्ताव संबंधित अधिकारियों से परामर्श करते हुए स्वीकृति के लिये विचार के अगले चरण में हैं।

बड़े पत्तनों के अलावा अन्य पत्तन की समवर्ती सूची में दिये गये है, और उनके विकास की कार्यकारी जिम्मेदारी, संबंधित राज्य सरकारों की है। परन्तु केन्द्र यथावश्यकता, छोटे पत्तनों के विकास के लिये राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता देता है। इसके अलावा चौथी योजना में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत विशिष्ट छोटे पत्तन के विकासार्थ ऋण सहायता भी दी गई। इस सहायता के लिये केरल में बेपुर का छोटा पत्तन चुना गया। यथानुमोदित बेपुर योजना में निकर्षण संबंधी कार्य, सुधार बंध का निर्माण, बन्दरगाह जलयानों की अधिप्राप्ति, दिक्चालनों साधनों की व्यवस्था, नदीबांध घाट आदि शामिल हैं। 111.96 लाख रुपये की योजना व्यवस्था में से 10 लाख रुपये की ऋण सहायता, 1973-74 तक दी गई है। 1974-75 वर्ष के लिये 22.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की जा रही है।

केरल में पाये गये खनिजों का विकास

4225. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या इस्पात और खान मंत्री केरल में पता न लगाये गये खनिजों के बारे में 6 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2451 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में इन खनिजों का कहां तक विकास तथा उपयोग किया गया था;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने पांचवीं योजना के लिए राज्य में खनिजनिक्षेपों पर आधारित कोई योजना तैयार की है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) केरल में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जिन खनिजों की खोज की जा रही थी वे हैं अग्निसह–मिट्टी–केओलिन, चुनाश्म, सिलिमैनाइट, सिलिका सेंड और अन्य खनिज मिट्टी। चौथी योजना के दौरान केरल में 5.50 करोड़ रुपये का खनिज उत्पादन हुआ।

(ख) पांचवीं योजना के दौरान जहां केन्द्रीय क्षेत्र में केरल में खनिजों पर आधारित किसी बड़ी परियोजना को हाथ में लेने का प्रस्ताव नहीं है वहां भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था केरल में खनिजों के खोज कार्य की गति को तेज कर रही है। केरल राज्य सरकार को ऐसी कई स्कीमों के लिए योजनासहायता भी दी जा रही है जिनका उद्देश्य ऐसे और अधिक व्यापक भू-वैज्ञानिक आंकड़े एकत्रित करना है जो खनिज निक्षेपों के समन्वेषण के संबंध में कोई दृष्टिकोण निश्चित करने के लिए आवश्यक है। परमाणु ऊर्जा विभाग का परमाणु खनिज प्रभाग भी केरल सरकार के एक प्रतिष्ठान–मेसर्स केरल मिनरल्स एण्ड मेटल्स लि० द्वारा पट्टे पर धारित क्षेत्रों में परमाणु खनिजों के भण्डारों का पुन: अनुमान लगाने के लिए लगातार अन्वेषण कर रहा है। भारत राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार का एक प्रतिष्ठान–खनिज समन्वेषण निगम इस समय वालथार में चुना पत्थर के विस्तृत अन्वेषण कर रहा है।

(ग) अभी तक पांचवीं योजना में विभिन्न परियोजनाओं के लिए आबंटनों के बारे में अन्तिम रूप निश्चय नहीं हो पाया है और निधियों का आबंटन आवश्यकताओं के अनुसार किया जा रहा है।

केरल में दवाइयों की कमी

4226. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के जिला मुख्यालयों और डिवीजनल / ब्लाक मुख्यालय स्तर के अस्पतालों में दवाइयों उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केरल राज्य को दवाइयों के लिये कुछ विशष अनुदान देने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) केरल सरकार ने बताया है कि जिन फर्मों को दवाइयां सप्लाई करने के आदेश दिये गये थे उनके द्वारा पूरी सप्लाई न करने के कारण केरल राज्य के अस्पतालों में कुछ दवाईयों की कमी है। अत: प्रत्येक अस्पताल को उसके लिए निश्चित किए गए दवाइयों कोटे के अनुसार पूरी दवाइयों सप्लाई नहीं की जा सकती है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जब कभी भी उसे दवाइयों की सप्लाई प्राप्त होगी वह मांग पत्र के अनुसार ,नर्धारित मात्रा में दवाइयां सप्लाई करेगी।

(ख) दवाइयों की खरीद के लिए केरल सरकार को अनुदान देने के बारे में ऐसा कोई विशेष प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

एस० सी० आई० और इंडियन स्टीमरशिप कंपनी के अन्तर्गत जहाज

4227. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन निगम और इंडियन स्टीमरशिप कंपनी के अन्तर्गत कितने जहाज है

(ख) क्या इंडियन स्टीमरशिप कंपनी के जहाजों की खरीद और इनकी कम कीमत दिखाकर बीजक बनाने के बारे में कदाचारों को कोई शिकायत है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) 28–2–75 को स्थिति निम्नप्रकार है :—

कंपनी का नाम	जहाजों की संख्या
शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, बम्बई	117
इंडिया स्टीम शिप कंपनी लि०, कलकत्ता	184

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में गुट-निरपेक्ष देशों का सम्मेलन करने का प्रस्ताव

4228. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के पिछले सम्मेलन में गुट-निरपेक्ष देशों का एक सम्मेलन भारत में आयोजित करने के लिये गुट-निरपेक्ष देशों ने भारत से अनुरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी नहीं। गुट-निरपेक्ष देशों का अगला सम्मेलन श्री लंका में होगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्टील बिलेट परियोजना आरम्भ करना

4229. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश, औद्योगिक विकास निगम का राज्य में स्टील लि0 बिलैट परियोजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जी हां। आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का प्रतिवर्ष 50, 000 टन साधारण इस्पात तथा हाई कार्बन स्टील के बिलेट और 20,000 टन तार छड़ तैयार करने के लिए कोठागुडम के निकट एक औद्योगिक उपक्रम लगाने का विचार है। इस निगम को 30-7-1974 को औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था तथा इस प्रयोजना का काम आरम्भ हो चुका है।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में काम कर रहे गैर-राजनयिक कर्मचारियों द्वारा अपनी सेवावधि के समाप्त होने पर वापिस लौटने में इंकार करना

4230. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थित विभिन्न भारतीय मिशनों में काम कर रहे गैर-राजनयिक कर्मचारियों ने अपनी सेवावधि के समाप्त होने पर भी भारत लौटने से इंकार कर दिया और अपने पदों से त्यागपत्र भी दे दिये हैं और विदेशों में ही रहना पसन्द किया और वहां नई नौकरियों ढूंढ लीं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973–74 और 1974–75 के दौरान ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी थी जिन्होंने अपनी सेवावधि के बाद भारत आने से इंकार किया था और त्यागपत्र दिये थे ; और

(ग) इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई है और करने का प्रस्ताव है।

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1973–74 और 1974–75 के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन काम करने वाले ऐसे गैर-राजनायिक कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 9 और 6 थी जिन्होंने अपनी सेवावधि के समाप्त होने पर भारत लौटने से इंकार किया था और त्यागपत्र दिये थे।

(ग) सभी सम्बद्ध अधिकारियों के भारत लौटने के लिए निदेश दिया गया था और उन्हें यह बता दिया था कि इन आदेशों का पालन न करने पर उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। उनके भारत लौटने तक उनके सेवान्त लाभ और पेन्शन रोक ली गयीं हैं। उन्हें विदेश स्थित सभी सरकारी कार्यालयों में रोजगार प्राप्त करने से वंचित कर दिया जायेगा। उनके सरकारी पासपोर्टों के जब्त करने के लिये आदेश जारी किए गए हैं।

गुयाना में भारतियों के प्रति भेदभाव बरतना

4231. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुयाना में रह रहे भारतीयों के प्रतिनिधियों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें गुयाना की सरकार द्वारा उनके प्रति भेदभाव बरतने का आरोप लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में किस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) भारत सरकार को गुयाना के कुछ लोगों से समय-समय पर पत्र मिले हैं जिनमें भारतीय मूल के गुयानी

राष्ट्रिकों के विरुद्ध भेदभाव के आरोप लगाये गये हैं, खास तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र में, और सैनिक सेवाओं में भी, रोजगार के मामलों में।

(ग) भारत सरकार का मत यह है कि ऐसे मामले पर विचार –विमर्श करने से कोई लाभदायक उद्देश्य पूरा नहीं होगा जो कि एक प्रभुसत्ता प्राप्त मित्र राष्ट्र के आंतरिक अधिकर-क्षेत्र में आता है।

खेतड़ी तांबा संयंत्र के लिये तांबा अयस्क की आवश्यकता

4232. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खेतड़ी तांबा संयंत्र की प्रतिवर्ष की तांबा अयस्क की आवश्यकता कितनी है और क्षेत्र के वर्तमान अयस्क भांडारों के उपयोग से प्रतिवर्ष तांबा अयस्क की उपलब्धता कितनी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : खेतड़ी तांबा सांद्रक के लिए प्रतिवर्ष 28,75,000 टन ताम्र अयस्क की आवश्यकता है। खेतड़ी ताम्र परियोजना से 1974-75 के दौरान 6 लाख टन ताम्र अयस्क के वास्तविक उत्पादन की आशा है।

Army Recruiting Officer in Danapur Cantonment Board

4233. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether there is a regular army recruitment office in Danapur Cantonment Board ;

(b) if so, whether complaints containing serious allegations of corruption against the Recruiting Officer have been sent to him ;

(c) if so, the particulars thereof ; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b) Yes, Sir.

(c) and (d) Some pseudonymous complaints against the Branch Recruiting Officer and the Staff of the Recruiting Office, for alleged involvement in malpractices in recruitment were received. These allegations were investigated but were found to be baseless. The complainants were also not traccable at the addresses given by them.

Cantonment Board under Central Command

4234. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total number of cantonment boards under the Central Command;

(b) whether Government have formulated any scheme for the construction of septic lavatories under these cantonment boards ;

(c) if so, the facts thereof ;

(d) whether there is no such scheme to construct septic lavatories in other cantonment boards ; and

(e) if so, the reasons and justification for discrimination between different cantonment boards ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik): (a) There are 29 Cantonment Boards in Central Command.

(b) No, Sir.

(c) to (e) Do not arise.

Filing of Cases against House Owners by Danapur Cantonment Board

4235. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether under the Cantonment Board Act the officers of Danapur Cantonment Board had filed cases against some house owners there under Indian Penal Code, Criminal Procedure Code, etc. 1973-74 ;

(b) if so, facts/details thereof, separately ;

(c) the amount of expenditure Cantonment Board had to incur on those cases ; and

(d) the number of cases won and lost by the Board ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) 17 suits were filed by the Cantonment Board against house owners in Danapur during 1973-74 mainly under the provisions of the Cantonment Act, 1924.

(b) The details of the suits filed against house owners are :—

(i) 4 cases under Section 268 of the Cantonments Act for unauthorised constructions.

(ii) 4 cases under Section 184 of the Cantonments Act, 1924 for carrying on constructions without obtaining proper sanction for making the erection

(iii) 8 cases under Section 118 of the Cantonments Act, 1924 for committing certain nuisances.

(iv) 1 miscellaneous suit has been filed for asserting Government title to land in a case where a house owner had encroached on Government land.

(c) An expenditure of Rs. 66/- was incurred in filing these suits.

(d) All these cases are still pending in the courts for decision.

Payment of Provident Fund to Employees of Vishnu Sugar Mills Ltd., Gopalganj (Bihar)

4236. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether Vishnu Sugar Mills Limited, Gopalganj (Bihar) factory code No. 192 falls under the jurisdiction of the Regional Provident Fund Commissioner, Bihar ;

(b) whether there is a provision for final payment of provident fund to a worker on his retirement for giving an advance for marriage in the family on making an application therefor ;

(c) if so, the number of workers of the aforesaid factory from whom applications for final settlement of their claims on their resirement and for advance for

marriage purposes were received by the regional office during the period from 1st January, 1973 to 31st December, 1974 ; and

(d) the number of workers out of them who have been paid the provident fund and the reasons for not making payment to the remaining workers.

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : The Provident Fund Authorities have reported as under :

(a) Yes.

(b) Yes.

(c) No. of applications received for :

Final settlment	Marriage advance
63	68

(d) Out of 63 applications for final settlement, 11 cases were finally settled, 14 applications returned with objections and for rectification of defects and 38 cases are under scrutiny. Out of 68 applications or marriage advance, payment in 36 cases has been made. 8 cases have been returned with objections and 24 cases are under scrutiny. Reason for delay in settlement of final claims is due to non-segregation of family pension contributions from Provident Fund in form 12 by the employers. Reasons for delay in sanction of advance cases are due to the application forms submitted by the members being incomplete and defective.

खेतड़ी में तांबा तथा जस्ता परियोजना का विस्तार

4237. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उदयपुर के निकट खेतड़ी में तांबा तथा जस्ता परियोजना के विस्तार के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) खेतड़ी झुनझुनू (राजस्थान) में तांबा परियोजना के विस्तार की कोई योजना नहीं बनाई गई है। परन्तु देबरी (उदयपुर के निकट) मौजूदा जस्ता प्रद्रावक तथा बलारिया खान (राजस्थान) का जावर क्षेत्र के विस्तार की योजनाएं बनाई गई है।

(ख) देबरी (उदयपुर के निकट) के मौजूदा जस्ता प्रद्रावक की वार्षिक क्षमता को 18,000 से बढ़ाकर 45,000 टन किया जा रहा है। इस विस्तार के 1976-77 तक फलीभूत होने की आशा है।

2000 टन "निक अयस्क उत्पादन (समान परिष्करण सुविधाओं सहित) वाली एक नई खान बलारिया (जावर क्षेत्र, राजस्थान) में खोली जा रही है। इसके 1976-77 से चालू हो जाने तथा 1978-79 तक निर्धारित क्षमता प्राप्त कर लेने की आशा है।

बीड़ी श्रमिकों संबंधी केन्द्रीय अधिनियम से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करने के लिए समिति

4238. **श्री के० मालन्ना** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया बीडी इंडस्ट्री फेडरेशन के प्रेजिडेंट ने बीड़ी श्रमिकों संबंधी केन्द्रीय अधिनियम से उत्पन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए और उक्त उद्योग की स्थिति मजबूत करने के उपायों का पता लगाने के लिये एक उच्चशक्ति प्राप्त त्रिपक्षीय समिति नियुक्त करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) अखिल भारत बीडी उद्योग संगठन ने तारीख 16 अप्रैल और 8 अगस्त, 1974 के दो ज्ञापन पेश किए थे। उनका मुख्य सुझाव, बीडी और सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 और उसके अधीन नियमों के उपबन्धों ने संशोधनों पर उनके द्वारा प्रस्तावित विभिन्न विचार करन हेतु एक त्रिपक्षीय समिति की नियुक्ति के लिए तथा उन संशोधनों के पालन किए जाने तक अधिनियम की कार्यान्विति को रोकने के लिए था। उन्होंने यह सुझाव भी दिया था कि उपर्युक्त संशोधनों / रूप भेदों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद अधिनियम का सभी राज्यों में एक साथ प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(ख) त्रिपक्षीय समिति की नियुक्ति और अधिनियम की कार्यान्विति को रोकनें से संबंधित सुझाओं को स्वीकार करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है । अधिनियम, राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाना है और उन के द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जानी है ।

नेपाल को शांति क्षेत्र बनाना

4239. **श्री भागीरथ भंवर** :

श्री कुशोक बाकुला :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यभिषेक समारोह पर नेपाल के महाराजा ने प्रस्ताव किया था कि उनके देश को शांति क्षेत्र घोषित किया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस घोषणा को कार्यरूप देने में भारत द्वारा क्या सहायता की जा सकती है, इस बारे में नेपाल में हमारे राजनयिक प्रतिनिधियों से कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में और क्या उपाय किये गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां। नेपाल के महामहिम नरेश से यह प्रस्ताव एक भाषण में किया था जो कि उन्होंने 25 फरवरी, 1975 को दिया था।

(ख) और (ग) इस प्रस्ताव पर नेपाल के साथ कोई सारपूर्ण बातचीत नहीं हुई है ।

सिविलियन स्टोरकीपरों और रक्षा कर्मचारियों का अनुमान

4240. **श्री हरी सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा कमचारियों और सिविलियन स्टोरकीपरों के बीच 20 : 80 का अनुपात रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो सिविलियन स्टोर कीपरों की तुलना में एयरमैनों की संख्या कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जायेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) और (ख) सिविलियन स्टोरकीपरों और रक्षा कार्मिकों के बारे में 20:80 का अनुपात केवल स्थैतिक युनिटों के बारे में ही निर्धारित किया गया है। तथापि थोड़े बहुत अन्तर को छोड़कर निर्धारित अनुपात रखा जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा सेवाओं और आयुध कारखानों में असैनिक अधिकारी

4241. **श्री हरी सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थलसेना, नौसेना, वायुसेना और आयुध कारखाने के महानिदेशक के कार्यालय में सैनिक अधिकारियों की तुलना में भांडागारण स्टाफ में श्रेणी एक तथा दो के असैनिक अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) असैनिक अधिकारियों और सैनिक अधिकारियों के बीच कितना अनुपात है; और

(ग) क्या एक असैनिक अधिकारी पर सैनिक अधिकारी की तुलना में कम खर्च होता है और यदि हां, तो आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने असैनिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिये क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जानकी वल्लभ पटनायक) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में खनिज निक्षेप

4243. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा केरल में पाये गये विभिन्न खनिज निक्षेपों की किस्म तथा मात्रा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार ने केरल राज्य सरकार को उनके कार्यकारी दल की सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये सहायता देने हेतु क्या कार्यवाही की है; और

(ग) उस के क्या परिणाम निकले ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) केरल में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा पाए गए विभिन्न खनिजों में है सम्मिलित हैं——कोझिकोड

जिले में 31.46 से 41.24 प्रतिशत तक लौह वाले 587.10 लाख टन लौह अयस्क अलप्पी तथा कोट्टायम जिलों को वेम्बानद झील में 22.50 लाख टन चूना-शैल, कन्नानौर अलप्पी, क्विलोन तथा त्रिवेन्द्रम जिलों में 40% से अधिक एल्यूमिना तथा 10 प्रतिशत से कम सिलिका वाले लगभग 120 लाख टन बाक्साइट, क्विलोन तथा त्रिवेन्द्रम में 430 लाख टन चीनी मिट्टी, अलप्पी जिले में 130 लाख टन कांच रेत, एर्नाकुलम क्विलोन और त्रिवेन्द्रम जिलों में 0.8 लाख टन ग्रेफाइट। राज्य के तटीय क्षेत्रों में चूना-पत्थर, इल्मेनाइट, मोनाज़ाइट, सिलिमेनाइट वालू के व्यापक निक्षेप इसके अतिरिक्त हैं। इसके अलावा त्रिवेन्द्रम जिले के विभिन्न भागों में यत्र-तत्र क्राइसो-बेरिल होने का भी पता चला है।

(ख) तथा (ग) कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर राज्य सरकार अलग से अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है। इस बीच भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था खनिजों की खोज के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देना जारी रखेगी। इस प्रयोजन से भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने पांचवीं योजना अवधि के लिए एक व्यापक खनिज समन्वेषण कार्यक्रम बनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भू-भौतिकीय तथा भू-रासायनिक खोजों के अलावा मानचित्रण तथा भू-छेदन का काम भी सम्मिलित है।

बंगलादेश प्रवासियों के लिए मुरैना जिले (मध्य प्रदेश) में भूमि को कृषि-योग्य बनाना

4244. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

श्री जी० सी० दीक्षित :

श्री नाथू राम अहिरवार :

क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल देश के प्रवासियों को मुरैना जिला, मध्य प्रदेश में बसाने की कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) क्या इन प्रवासियों को बसाने के लिए मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के चम्बल घाटी के बीहड़ इलाकों को कृषि-योग्य बनाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) भूमि को कृषि योग्य बनाने तथा इन प्रवासियों के पुनर्वास का कार्य कब तक पूरा कर लिये जाने का प्रस्ताव है?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने नए प्रवासियों के पुनर्वास के लिए मुरैना जिले की शिओपुर तहसील में तंग घाटी वाली भूमिओं का एक विस्तृत सर्वेक्षण किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए 200 नए प्रवासी परिवारों के पुनर्वास के लिए एक मार्ग-दर्शी योजना तैयार की है।

(ग) इस प्रयोजन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना कठिन है। तथापि, संबंधित मंत्रालयों तथा योजना आयोग के परामर्श से प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

भिलाई इस्पात संयंत्र को जल सप्लाई

4245. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र अपनी जल की आवश्यकता सिंचाई के लिये बने अहमदाबाद टैंक से पुरी करता है ;

(ख) क्या भिलाई के लिए जल रक्षित रखने हेतु वर्ष 1974 में धान की तीसरी सिंचाई के लिये जल सप्लाई नहीं किया गया जिस के कारण धान की फसल खराब हो गई थी और दुर्ग जिले की बालोद और दुर्ग तहसीलों में सूखा पड़ा था ; और

(ग) क्या उन किसानों को जिन्हें हानि हुई थी, मुआवजा दिया जायेगा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पांडिचेरी में विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से मच्छर अनुसंधान एकक स्थापित करना

4246. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी में विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से मच्छर अनुसन्धान एकक स्थापित करने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की रूपरेखा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एम० इसहाक) : (क) मच्छर जनन नियंत्रण एकक परियोजना को नई दिल्ली से पांडिचेरी ले जाने का निर्णय कर लिया गया है।

(ख) इस परियोजना का लक्ष्य यह जानना है कि क्या उत्पत्ति तकनीकों का इस्तेमाल कर मच्छरों पर काबू पाया जा सकता है या नहीं। जिन तीन प्रजातियों पर यह कार्य जारी रखा जाएगा वे है—

(1) क्यूलेक्स फेटीगन्स, जो इस उप महाद्वीप का सर्वव्यापी दुख दायी मच्छर है और भारत के अधिकांश भागों में फाइलेरिया रोग का माना हुआ वाहक है।

(2) एनोपेलीज, स्टिफेसाइ जो भारत में, विशेषकर शहरों में, मलेरिया फैलाने वाले रोग वाहको में से एक है और जिसमें डी० डी० टी० और अन्य कीटनाशक दवाओं को हजम करने की शक्ति पैदा हो गई है और (3) इंडीज इंजिप्टाई जो भारत के अधिकतर शहरों में पाए जाने वाला जाना-माना शहरी मच्छर है और जो डेंगू और चिकुनगुन्या विषाणुओं का वाहक है।

आशा है कि यही परियोजना एक दिन वैक्टर नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र के रूप में बन जायेगी। यह केन्द्र जनन संबंधी और अन्य तरीकों का इस्तेमाल कर मच्छरों और अन्य कीटाणुओं से फैलने वाले रोगों के प्रसार और नियंत्रण संबंधी समस्याओं पर अन्वेषण करेगी।

पांण्डिचेरी में अपेक्षित प्रयोगशाला भवन और अन्य सुविधाओं का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

7—15 LSS(ND)/75

उद्योग जन-दिवसों की हानि

4247. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 से पहले वर्ष की तुलना में वर्ष 1974 के पहले आठ महीनों में काफी अधिक जन-दिवसों की हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी उद्योगवार, आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इस वृद्धि का क्या कारण है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचनानुसार जनवरी से अगस्त, 1974 के दौरान औद्योगिक विवादों (हड़तालों और तालाबंदियों) के कारण हानि हुए श्रम दिनों की संख्या 28,532,417 (अंतिम) थी, जबकि 1973 की तत्सम्बद्ध अवधि में यह 11,974,532 थी। संलग्न विवरण में [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9257/75**] 1973 और 1974 के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के दौरान मुख्य उद्योग प्रभाग वार हानि हुए श्रम दिनों की संख्या के बारे में उपलब्ध सूचना का सारांश दिया गया है। उपर्युक्त औद्योगिक विवाद मुख्यत: मजदूरियों और भत्तों, बोनस, कथित अनुशासन-हीनता/हिंसा, कार्मिक मामलों आदि से संबंधित विषयों के सम्बन्ध में थे। औद्योगिक संबंध तंत्र, केन्द्र और राज्यों, दोनों ही में, जैसा कि वर्तमान सांविधिक उपबन्धों और स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अधीन आवश्यक है, अनौपचारिक मध्यस्थता, संराधन, न्यायनिर्णय या विवाचन द्वारा काम बन्दियों को कम करने के लिए प्रयास करता रहता है।

राज्यों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को अर्हताओं में छूट देना

4248. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को रिक्त पदों पर नियुक्ति करने में भूतपूर्व सैनिकों के मामले में अपेक्षित अर्हताओं में छूट देने के संबंध में अनुदेश तथा मार्गनिर्देशक सिद्धान्त दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस पर विभिन्न राज्यों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं ; और

(ग) क्या केन्द्र भी इसके पश्चात् हुई भरती के मामलो में इनका अनुसरण कर रहा है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जानकी वल्लभ पटनायक) : (क) भूतपूर्व सैनिकों के बारे में चतुर्थ श्रेणी नियुक्तियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताओं और आयु में कतिपय छूट देते हुए 26-10-74 को जारी की गई केन्द्रीय सरकार की संबंधित अधिसूचना राज्य सरकारों के नियन्त्रण के अधीन रिक्त स्थानों को अपने आप ही लागू नहीं होती है और ना ही राज्य सरकारों को इस बारे में कोई अनुदेश जारी किए जा सकते हैं। फिर भी राज्य सरकारों से 30-11-74 को अनुरोध किया गया है कि उनके नियन्त्रण के अधीन चतुर्थ श्रेणी पदों के बारे में वे भी इसी प्रकार की अधिसूचना जारी करें।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के बारे में आयु/शैक्षणिक अर्हताओं में अधिकांश राज्य छूट दे रहे हैं ।

(ग) जी हां, श्रीमन् ।

भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद के स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारी

4249. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् में वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्मिकों के अस्थायी पदों की संख्या स्थायी पदों की संख्या से अधिक है;

(ख) क्या इस के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष सैकड़ों वैज्ञानिकों तथा प्रशिक्षित अनुसंधात कर्ताओं की छंटनी की जाती है तथा यहां तक कि उन में से कुछ की तो परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर ही छंटनी कर दी जाती है ; और

(ग) सेवा की शर्तों में ऐसी असुरक्षा के प्रतिकूल परिणाम के बारे में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की परीवीक्षा समिति (1968) की टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में जहां स्थायी पद 600 हैं तो अस्थायी पद 1863 हैं।

(ख) यह सही है कि तदर्थ अनुसंधान योजनाओं के अन्तर्गत नियुक्ति कुछेक वैज्ञानिक और अनेक सहायक गैर-वैज्ञानिक कार्मिकों की, अनुसंधान योजना के बन्द होने पर प्रति वर्ष सेवायें समाप्त कर दी जाती हैं किन्तु इस प्रकार हटाए जाने वाले कर्मचारियों के नाम और अन्य विवरण भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की योजनाओं के सभी कार्य प्रभारी अधिकारियों और स्थायी केन्द्रों के निदेशकों, मेडिकल कालेजों तथा अनुसंधान संस्थाओं को इस अनुरोध के साथ भेज दिये जाते हैं कि वे ऐसे कर्मचारियों को अपने अधीन रिक्त पदों पर रख लें।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की पुनर्विलोकन समिति की उस सिफारिश को भारत सरकार ने मान लिया है जिसमें इस समिति ने यह सुझाया है कि जहां तक सम्भव हो सके अनुसंधान योजनाओं पर सहायक अनुसंधान अधिकारियों, अनुसंधान अधिकारियों के स्थान पर रिसर्च-फैलोज़ को नियुक्त किया जाये और यदि ऐसी योजनाओं के लिये किसी तकनीको कर्मचारी की जरूरत पड़े तो अकुशल व्यक्तियों को भर्ती करने के बजाय संस्थाओं में कामकर रहे कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया जाये। 1973–74 से इन योजनाओं के लिए केवल सीनीयर अथवा जूनियर रिसर्च फैलोज़ की ही मंजूरी दी जाती है। यह भी निर्णय किया गया है कि 1 अप्रैल, 1973 से इन योजनाओं के लिए यदि परा मेडिकल और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की जरूरत पड़ी तो जिन संस्थानो के लिए ऐसी योजनाएं मंजूर हो चुकी हैं वहां पर उक्त कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया जाये और इन्हें ऐसे संस्थानों के कर्मचारियों को जो वेतन और भत्ते दिये जा रहे हैं। वही वेतन और भत्ते दिए जाएंगे तथा इन पर सेवा के वही नियम लागू होंगे जो सम्बन्धित संस्थानों के कर्मचारियों पर लागू होते हों।

परिवार पेंशन को उदार बनाना

4250. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1973 से पहले सेवा निवृत्त होने वाले और इसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन में भारी अन्तर है;

(ख) क्या उन व्यक्तियों को कम दर से पेन्शन मिलती है जो उस अवधि से अधिक समय तक जीवित रहते हैं जिस के लिये उन्होंने पेन्शन "कम्यूट" करवाई होती है;

(ग) क्या उन जवानों को विधवाओं को, जो नौकरी में हो मर जाते हैं, परिवार पेंशन के रुप में 40 रुपये प्रति मास और 4 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से मिलते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या जीवन निर्वाह की लागत में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उक्त पेन्शन सुविधाओं को बढ़ाया जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भूतपूर्व सैनिकों द्वारा ली जा रही धन राशि में दो चीजें शामिल हैं :—

(1) मूल पेंशन ; और

(2) समय-समय पर दी गई तदर्थ राहत।

जहां तक मूल पेंशन का सम्बन्ध है यह सेवानिवृत्ति के समय लिए गये वेतन को मात्रा पर आधारित है। क्योंकि वेतन आयोग को सिफारिशों पर निर्णय के परिणामस्वरूप 1-1-1973 से वेतन में वृद्धि को गई है 1-1-73 स पहले और उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की मूल पेंशन में अन्तर होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को तदर्थ सहायता देने की स्वीकृति भी दी है तथा यह 1-1-73 से पहले और बाद में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बराबर बराबर मिलेगी। इसके साथ 1-1-73 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मूल पेंशन कम होने के कारण होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता देने की स्वीकृति भी दी गई है।

(ख) एक पेंशनभोगी व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी पेंशन के कुछ भाग को एकमुश्त प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार पेंशन की एकमुश्त अदायगी सेवानिवृत्त व्यक्ति की आयु को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। इस समझौते को न तो सरकार तोड सकती है और न ही सेवानिवृत्त व्यक्ति। यदि सेवानिवृत्त व्यक्ति अनुमानित आयु से पहले मर जाता है तो उसे पेंशन की एकमुश्त राशि मिल चुकी होती है परन्तु यदि वह उस अनुमानित आयु से अधिक समय तक जीवित रहता है तो उसे पेंशन की कम राशि ही मिलेगी क्योंकि वह पेंशन की एकमुश्त राशि ले चुका है।

(ग) 1-1-73 से पूर्व मरने वाले जवानों की विधवाओं को अलग अलग दरों से पारिवारिक पेंशन दी जाती है परन्तु यह राशि 40 रुपये तिमाह से कम नहीं होती भले ही जवान की मृत्यु सैनिक कार्यवाही में हो अथवा किसी अन्य कारण से। सैनिक कार्यवाही में मारे जाने वाले जवानों के बच्चों को प्रति बच्चे को कम से कम 5 रुपये शिशु भत्ता दिया जाता है। गैर लाडाकू (भर्ती किए गए) कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन के साथ साथ प्रति बच्चा 3 रुपये प्रतिमाह शिशु भत्ता मिलेगा।

(घ) जी, हाँ, तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सामान्य पारिवारिक पेंशन और विशेष पारिवारिक पेंशन की पुनरीक्षित दरों को अधिसूचित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

नया मंगलौर पत्तन न्यास

4251. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने और नये मंगलौर पत्तनों के प्रशासन को मिला कर एक न्यासी बोर्ड बना दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो दो पृथक प्रशासन बनाये रखने के क्या कारण है ;

(ग) क्या पुराने पत्तन के वर्तमान कर्मचारियों के दावों को अपेक्षा करके नये पत्तन के लिये अन्य व्यक्तियों की भर्ती की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या छोटे पत्तन के पुराने कर्मचारियों को नये मुख्य पत्तन में रख लिया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी नहीं।

(ख) चूंकि नव मंगलौर पत्तन के लिये पत्तन न्यास के गठन का अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है, अतएव पुराने मंगलौर पत्तन न्यास में नव मंगलौर पत्तन न्यास के विलय के प्रश्न पर उचित समय पर विचार किया जायेगा।

(ग) और (घ) इस समय विभिन्न पत्तनों में भर्ती, भर्ती नियमों के उपबन्धों के अनुसार ही की जाती है छोटे पत्तन के कर्मचारियों के बड़े नव पत्तन में खपाने

के प्रश्न पर दोनों पत्तनों के विलय किये जाने के फैसले के बाद ही विचार किया जायगा।

Hospitals of Delhi

4252. **Shri Mulki Raj Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the names of the Government hospitals in Delhi ;

(b) the names of the hospitals where treatment for infections and serious diseases is available;

(c) the number of patients from Saharanpur district of Uttar Pradesh who got themselves admitted in Delhi hospitals ; and

(d) the number of patients admitted on the recommendation of the Members of Lok Sabha ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) The names of the Government hospitals in Delhi are as under :

Central Government :

1. Willingdon Hospital, New Delhi.
2. Safdarjang Hospital, New Delhi.
3. C.G.H.S. Hospital, New Police Lines, Delhi.
4. C.G.H.S. Hospital, Old Police Lines, Delhi.
5. Kastorba Niketan Hospital, New Delhi.

Delhi Administration :

1. Din Dayal Upadhyaya Hospital, Hari Nagar, New Delhi.
2. Dr. N. C. Joshi Memorial Hospital, Karol Bagh, New Delhi.
3. G. B. Pant Hospital, New Delhi.
4. Hospital for Mental Diseases, Shahdara.
5. Irwin Hospital, New Delhi.
6. Jail Hospital, Tehar, New Delhi.
7. Poor House Hospital, Kingsway Camp, Delhi.
8. Police Hospital, Rajpur Road, Delhi.

Railways :

1. Central Hospital, New Delhi.

(b) There is one infectious diseases hospital in Kingsway Camp under Delhi Municipal Corporation but the treatment for serious diseases is available in all major hospitals of Delhi.

(c) Information about the number of patients admitted in the Delhi hospitals from Saharanpur district of Uttar Pradesh is not available, as the patients, at the time of admission, normally give local addresses of their relatives/friends in Delhi.

(d) The information is not available.

अमरीकी विदेश सचीव द्वारा भारतीय राजदूत की आलोचना

4253. **श्री भाऊ साहेब धामनकर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "टाइम्स आफ इण्डिया" दिनांक 26 फरवरी, 1975 में

"किसिंजर चाइड्स कौल पब्लिकली" (किसिंजर द्वारा कौल को सार्वजनिक भर्त्सना) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई टिप्पणियों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पाकिस्तान को शस्त्र सप्लाई पर लगी पाबंदी उठाने से संबद्ध अमरीकी सरकार के निर्णय पर भारतीय राजदूत की टिप्पणियां भारत सरकार द्वारा बताई गयी प्रतिक्रिआओं के अनुरुप रही हैं।

बोकारो इस्पात संयत्र द्वारा भारी इंजीनियरी निगम को भुगतान

4254. **श्री ए० एस० पुरती : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्यूरो आफ पब्लिक ऐन्टरप्राइज़ ने बोकारो के विस्तार के दूसरे चरण के लिये सप्लाई किये जाने वाले उपकरणों के लिए बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा भारी इंजीनियरी निगम को दिया जाने वाला मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार उद्यम ब्यूरों, बोकारो स्टील लि० तथा भारी इंजीनियरी निगम को बोकारो के 40 लाख टन पिण्ड के विस्तार चरण के लिए भारी इंजीनियरी निगम द्वारा सप्लाई किए जा रहे उपस्करों के पारस्परिक रुप से स्वीकार्य मूल्य निश्चित करने में सहायता कर रहा है।

कैंसर के लिए औषधि

4255. **श्री एम० एस० पुरती : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में कैंसर के लिये एक औषधि बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों को कोई विशेष सहायता दे रही है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता में प्रयोगशाला पशुओं पर प्रारम्भीक आजमाइश के बाद कैंसर की एक प्रभावकारी औषधि अब क्लीनिकों में परखी जा रही है।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने क्लीनिकी परख के लिए बीस पलंगों वाला एक अनुसंधान वार्ड चित्तरंजन कैंसर अस्पताल में खोल दिया है।

विशेषज्ञों की एक समिति बना दी गई है जो इस परख के परिणामों का मूल्यांकन करेगी और इस औषधि की कैंसर विरोधी प्रभावकारीता का अनुमान लगाएगी।

सैनिकी स्कूलों सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन की क्रियान्विति

4256. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री नारायण चन्द पराशर :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सैनिक स्कूलों के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिये गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सैनिक स्कूलों से सम्बन्धित उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी ने सरकार को अभी तक कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के चन्दे की दर का पुनरीक्षण

4257. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औषधियों के मूल्यों मे और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन मानों में वृद्धि को ध्यान में रखत हुए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा से लाभान्वित कर्मचारियों से प्राप्त होने वाले चन्दे की दर का पुनरीक्षण करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) तीसरे वेतन आयोग ने इस पहलू पर विचार किया था और उसने इस योजना को अंशदायी आधार पर ही मौजूदा दरों पर चालू रखने की सिफारिश की है। सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया है। वैसे, उच्च वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारियों से लिये जाने वाले चन्दे की दर को बढाने के संबंध में एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बाजार से औषधियां खरीदने पर प्रतिपूर्ति

4258. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 1974 में उन औषधियों के लिये कुल कितनी धनराशि की प्रतिपूर्ति की गई जो उन्होंने बाजार से खरीदी थी और जो दिल्ली के अस्पतालों में उपलब्ध नहीं थी; और

(ख) क्या रसीदें प्रस्तुत किये जाने के बावजूद पूरी धनराशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) खुले बाजार से तथा सुपर बाजार से खरीदी गयीं दवाइयों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कर्मचारियों को 1974 के दौरान 19459 रुपये 44 पैसे की कुल रकम की प्रतिपूर्ति की गयी।

(ख) पूरी राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है क्योंकि इसे केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों के मेडिकल अफसर इंचार्ज के नुस्खे और इण्डेंट पर दवाई की वास्तविक मात्रा की कीमत के अनुसार ही देना होता है।

दिल्ली परिवहन निगम में बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों से वसूल की गई धनराशि

4259. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1974 और जनवरी 1975, में दिल्ली परिवहन निगम की बसों में बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों से दिल्ली परिवहन निगम ने कुल कितनी धनराशि वसूल की; और

(ख) उक्त अवधि में इस काम पर कितने निरीक्षक लगाये गये थे?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) मांगी गई सूचना नीचे दी गई है :—

	दिसम्बर 74 रुपये	जनवरी, 75 रुपये
(1) बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से प्रशमन शुल्क के रूप में वसूल की गई राशि	35,907	31,990
(2) चलते फिरते मजिस्ट्रेटों द्वारा बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों पर जुर्माने से वसूल की गई राशि	21,687	25,831
कुल	57,594	57,821
(3) प्रतिदिन चेकिंग कार्य पर लगाये कर्मचारियों की औसत संख्या	76	81

Chemical Factories' Benefit to Employees of Rayon Factories

4260. **Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether about 10 chemical factories in the country are giving benefit to their employeess and if so, the names of these factories and the total number of employees of these factories who are getting chemical factories' benefit ;

(b) whether the managements of the rayon factories in the country have declared their factories as textile factories ;

(c) if so, the names of these factories ; and

(d) the action being taken by Government to get them declared as rayon factories ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) to (d) The information is being collected from the respective states and will be placed on the table in due course.

Payment of Provident Fund and Advance Salary to Removed Employees of Kohinoor Mills Ltd., Bombay

4261. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the number of permanent and temporary employees in Kohinoor Mills Ltd., Bombay, separately :

(b) whether some of the employees have been removed from service by the mill without making any payment to them and if so, their number and the reasons for not paying two months' advance salary to these employees; and

(c) whether employees removed from service have been paid their dues on account of provident fund and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) to (c) Information is being collected. It will be laid on the Table of the sabha in due course.

Memorandum by Employees of Sri Ram Rayons, Kota, Rajasthan

4262. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Labour** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2474 on the 28th November, 1974 and state :

(a) whether the employees of Sri Ram Rayons, Kota, Rajasthan had given memo randum to the management of the company and the Central Government in regard to some of their demands and if so, the main demands in the memorandum ; and

(b) whether as soon as the management saw the memorandum, they immediately declared lock out in the factory in the middle of 1974 and if so, the duration of the lock-out made by the management and the action taken by Government against the persons found guilty of this illegal act ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House after it is received.

पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों का पश्चिम बंगाल के बाहर पुनर्वास

4263. **श्री समर गुह : क्या पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान के कितने शरणार्थियों को किन-किन स्थानों पर पश्चिम बंगाल के बाहर स्थायी रूप से बसा दिया गया है;

(ख) ऐसे कितने शरणार्थी हैं जिन्होंने पुनर्वास के इन स्थानों को छोड़ दिया है;

(ग) पुनर्वास के इन स्थानों के राज्यवार आंकड़े क्या हैं; और

(घ) इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए वर्ष 1974 तक आवंटित की गई धनराशि के राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ग) एक विवरण, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान से आए उन शरणार्थियों की संख्या दी गई है, जिन्हें पश्चिम बंगाल से बाहर विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों में पुनर्वास सहायता दी गई है, संलग्न है।

(ख) दण्डकारण्य से अन्यत्र क्षेत्रों को शरणार्थियों द्वारा प्रारम्भ से आज तक छोड़ने के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, बंगला देश की स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 15,500 प्रवासी परिवार जो 25 मार्च, 1971 से पूर्व भारत आये थे, विभिन्न शिबिरों और पुनर्वास स्थलों को छोड़कर चले गये जिनमें दण्डकारण्य भी शामिल है। इसके अतिरिक्त दण्डकारण्य के प्रारम्भ से आज तक 5071 परिवार स्थलों को छोड़कर चले गये हैं।

(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	उन परिवारों की संख्या जिनको पुनर्वास सहायता दी गई है: पुराने प्रवासी (हजारों में पूर्णांकित)	नए प्रवासी (31-12-1974 तक*)
1	आन्ध्र प्रदेश	..	996
2	अरुणाचल प्रदेश	..	2902
3	आसाम	90	11928
4	बिहार	14	1987
5	कर्नाटक	..	892
6	महाराष्ट्र	..	5265
7	मध्य प्रदेश	3	4180
8	मणिपुर	..	145
9	मेघालय	..	2138
10	उड़ीसा	3	253
11	पंजाब	..	3
12	त्रिपुरा	69	5883
13	उत्तर प्रदेश	4	1241
14	अन्डमान	3	737
15	दण्डकारण्य	8	13057
16	अन्य क्षेत्र	1	
	योग	195	51607

*इनमें वे परिवार शामिल नहीं हैं जो स्वयं पुनर्वास स्थल छोड़ गए हैं।

Raids on Ayurvedic and Allopathic Laboratories

4264. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether raids have been conducted by Government on Ayurvedic and Allopathic Laboratories and on the premises of Ayurvedic and Allopatnic drug manufacturers during 1973-74 ; and

(b) it so, State-wise number thereof; the results of the raids and the measures taken to check manufacture of spurious drugs ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) and (b) The information is being collected from the States/Union Territories and will be placed on the Table of the Sabha when received.

बंबई गोआ स्टीम सेवा का मंगलौर तक विस्तार करने से हानि

4265. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साफ मौसम में बंबई गोआ स्टीमर सेवा का मंगलौर तक विस्तार करने से कुल कितनी हानि होगी;

(ख) क्या इस हानि को पूरा करने के लिये राजसहायता देकर इस सेवा को चलाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) मौजूदा तटीय यात्री सेवा को बंबई से गोआ को मंगलौर तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नही है। राज सहायता देकर ऐसी सेवा चलाने के बारे में कोई भी अभ्यावेदन विचाराधीन नहीं है। ऐसी स्टीमर सेवा के चलाने में दी जाने वाली राजसहायता की मात्रा बताना कठिन होगा। चूंकि ऐसी सेवा को पूरी समुद्री यात्रा करने में 48 घंटे लग जायेंगे और इस लिये जहाजों पर अधिक प्रबंध करने की आवश्यकता होगी, अत: परिचालन संबंधी व्यय का बढना निश्चित है। उपयोग तत्व के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तटीय यात्री नौवहन सेवा को राज सहायता

4266. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय तटीय यात्री नौवहन सेवाएं घाटे में चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से इन लाइनों में से कुछ लाइनों को बंद ही कर दिया गया है और बार बार की गई मांगों के बावजूद इन्हें पुन: चालू नहीं किया गया है, जब कि अन्य लाइनें चल रही है; और

(ग) क्या इन लाइनों में से कुछ लाइनों को चलाने के लिये कोई राजसहायता दी गई है और यदि हां, तो इस राजसहायता को देने के मानदंड क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी हां।

(ख) हाल के वर्षों में कोई तटीय यात्री नौवहन सेवा बन्द नहीं की गई है

(ग) तटीय यात्री नौवहन सेवा चलाने के लिये शिपिंग कंपनियों को इस समय कोई राजसहायता नहीं दी जा रही है।

न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों को खोलना

4267. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों को खोलने के लिये पांचवीं योजना में कुल कितनी धनराशि आबंटित करने का विचार है; और

(ख) वर्ष 1974-75 में कितनी राशि खर्च की गई है और वष 1975-76 में कितनी राशि खर्च करने का प्रस्ताव है और इस का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है :—

	(रुपये करोड़ों में)
नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र खोलने के लिए पांचवीं पंच वर्षीय योजना में किया गया अस्थायी नियतन	42,58
1974-75 के दौरान पूर्वानुमानित खर्च	2.04
1975-76 के लिए प्रस्तावित राशि	2.02

गुज्जाडो और भायूंडा के बीच राष्ट्रीय राजपथ सं० 17 का पुनःमार्ग निर्धारित करने के लिय अभ्यावेदन

4268. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य के कूंडापुर तल्लूकें में गुज्जाडी और भायूंडा के बीच राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 का पुनः मार्ग निर्धारित करने के लिये कोई अभ्यावेदन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी हां।

(ख) कर्नाटक सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग, कर्नाटक के मुख्य इंजीनियर से अभ्यावेदन पर विचार मांगे गये हैं और उसकी प्रतीक्षा है।

भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों के विरुद्ध आरोप

4269. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन (दिनांक 9 अक्तूबर, 1974) प्रस्तुत किया गया था, जिस में श्री बी० आर० आहूजा, महाप्रबन्धक श्री बी० मुखर्जी मुख्य इंजीनियर, खान विभाग तथा भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबन्ध मंडल के कुछ अन्य अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार पक्षपात तथा भाई भतीजावाद के आरोप लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में सम्बन्धित अधिकारियों में प्रत्येक के विरुद्ध क्या क्या विशिष्ट आरोप लगाये गये हैं;

(ग) क्या इन आरोपों के सम्बन्ध में कोई जांच कारवाई जाने का आदेश दिया गया था और यदि हां, तो किस ऐजेंसी के माध्यम से;

(घ) सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये मुख्य आरोपों में से प्रत्येक पर सरकार की टिप्पणी क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में यदि कोई अनुवर्ती कार्यवाही करने का विचार है, तो वह क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) जी, हां ।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) हिन्दुस्तान स्टील लि० के अधीन चार इस्पात कारखानें है । जिनमें एक भिलाई इस्पात कारखाना है इस प्रकार के मामले इस कम्पनी के क्षेत्राधिकार में आते हैं। उचित कार्रवाई अवश्य हो तथा यथाशीघ्र की जाएगी।

रक्षा संबंधी उत्पादन के लिए प्राइवेट फर्मों के ठेके

4270. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में बहुत सी फर्मों की रक्षा संबंधी उत्पादन के ठेके दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1972 से वर्ष 1974 की अवधि में मदवार कुल कितने मूल्य के ठेके दिए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) अनुमानतः माननीय सदस्य रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्योग द्वारा प्राइवेट क्षेत्र में उत्पादन के लिए दिए गए आर्डरों के बारे में सूचना मांग रहे हैं। यदि ऐसा है तो उत्तर सकारात्मक है ।

(ग) रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्डर सारे देश में बहुत से प्राधिकारियों द्वारा दिए जाते हैं और उनके द्वारा 1972 से 1974 तक दिए गए सभी आर्डरों के विश्लेषण से ही अपेक्षित सूचना एकत्र की जा सकती है। तथापि, रक्षा पूर्ति विभाग

द्वारा दिए गए आर्डरों का विश्लेषण कर लिया गया है और 1972, 1973, और 1974 वर्ष के लिए प्राइवेट सैक्टर को दिए गए आर्डरों का मूल्य और उसमें सम्मिलित मद निम्नांकित हैं :—

वर्ष	मदों की संख्या	कुल मूल्य (लाख रुपयों में)
1972	1773	3319.82
1973	2906	2104.67
1974	3240	2959.96

रक्षा पूर्ति विभाग द्वारा दिए गए आर्डरों में रक्षा सेवाओं द्वारा उपस्कर की आवश्यकताए और विभिन्न प्रकार के अपेक्षित पुर्जे सम्मिलित हैं।

भारत और चीन के बीच बातचीत

4271. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की प्रधान मंत्री ने जापानी राष्ट्रीय दैनिक "असरही शिम्बुन" के संवाददाताओं को 27 जनवरी 1975 को यह बताया था कि भारत और चीन के बीच वार्ता प्रारम्भ करने का यह उपयुक्त अवसर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में यदि कोई ठोस उपाय किये जा रहें हैं, तो वे क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) प्रधान मंत्री ने, 24 जनवरी 1975 को "असरही शिम्बुन" का एक इन्टरव्यू दिया था।

(ख) एशिया के संदर्भ में चीन-भारत संबंधों की बात करते हुए, उन्होंने यह भाव व्यक्त किया था कि अब समय आ गया है जब कि एशिया के देश मिल कर प्रत्येक देश को अलग अलग और महाद्वीप के समग्ररूप से भी मजबूत बनाएं।

(ग) भारत सरकार ने अपनी ओर से विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किये हैं परन्तु चीन की ओर से अभी भी ठोस प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

सोनीपत में एक "स्टेराइल मास्कोटों (बांझ मच्छर) प्रयोग आरम्भ करना

4272. **श्री एन० के० सांघी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोगं से सोनीपत में एक "बांझ मच्छर" प्रयोग आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो इस परीक्षा के उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस बारे में अब तक किये गये इस परीक्षण के क्या परिणाम निकले है और क्या इस से मच्छरों से उत्पन्न होने वाले रोगों से मुकाबला करने के किसी रहस्य का पता लगाने में सहायता मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) 17 फरवरी, 1975 से सोनीपत में प्रजनन शक्ति-हीन मच्छरों पर जो बाहर प्रयोग किया जाने वाला था उसे स्थगित कर दिया गया है।

(ख) केमियो-स्टेरिलाइज्ड प्रजनन शक्ति-हीन नर मच्छरों से मच्छरों पर काबू करने की व्यवहार्यता पर परीक्षण करना इस प्रयोग का उद्देश्य था।

(ग) चूंकि इस प्रयोग को चलाया ही नहीं गया, इसलिए इसके परिणाम का प्रश्न ही नहीं उठता।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन

4273. **श्री मधु दण्डवते :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा और इस्पात तथा सम्बद्ध उद्योगों के लिए "स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड" होल्डिंग कम्पनी में हाल में कोई परिवर्तन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कंपनी की अंतर्नियमावली और कंपनी की बहिर्नियमावली में किये गये परिवर्तन कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को इस्पात और खान मंत्रालय से कोई सहायता मिली हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सम्भवत: अभिप्राय भारत कोकिंग कोल लि० के जो एक स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० की एक सहायक कम्पनी थी, ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग को अन्तरित किये जाने से हैं। यह अन्तरण भारत सरकार (कार्य का आवंटन) नियमों में कुछ परिवर्तनों के अनुसार किया गया था, जिससे कोकर कोयला सम्बन्धी विषय इस्पात विभाग से लेकर ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग को सौंप दिया गया था ।

(ख) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० के निगमन से लेकर अब तक इसकी अन्तर्नियमावली में केवल दो परिवर्तन किए गए है। पहले परिवर्तन के अनुसार निदेशमंडल को जब कभी आवश्यक हो कम्पनी की असाधारण सामान्य बैठक बुलाने का अधिकार दिया गया है, तथा दूसरे परिवर्तन के अनुसार प्रत्येक वार्षिक सामान्य बैठक में सभी अंश कालिक निदेशकों की बजाय उनमें से एक-तिहाई निदेशकों (उन निदेशकों को छोड़कर जो वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करते है) को कार्यनिवृत्त करने की व्यवस्था की गई है ।

(ग) और (घ) सरकार और सेल के सम्बन्ध कम्पनी अधिनियम, के सम्बन्धित उपबन्धों सेल की अन्तर्नियमावली और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार चलते हैं। इन परिसीमाओं के अन्तर्गत तथा कम्पनी के गठन के उद्देशों को प्राप्त करने के

लिए सेल को वित्तीय और कुछ अन्य शक्तियां दी गई है तथा कार्य चालन के बारे में सरकार के साथ इसके सम्बन्ध इस प्रकार हैं जिससें इस अधिकतर मामलों में निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई है ताकि यह कम्पनी वाणिज्यिक तथा लागत के आधार पर निर्णय ले सके।

सेना मुख्यालय के इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग सेण्टर द्वारा प्रबन्ध सूचना पद्धति का विकास

4274. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना मुख्यालय के इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग सेन्टर ने बहुत-सी प्रबन्ध सूचना पद्धतियों (मैनेजमेंट इंफार्मेशन सिस्टम्ज) का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो इन पद्धतियों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र को यह पद्धतियां उपलब्ध होती हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) सेना की विशिष्ट आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए सेना मुख्यालय इलैक्ट्रानक्सि डाटा प्रोसेसिंग सेण्टर द्वारा एक टेलर-मेड सेना प्रबंध और संक्रियात्मक सूचना पद्धति का चरणवार विकास किया जा रहा है। इन सुविधाओं का ऐसा स्वरूप है कि वे गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए किसी मतलब की नहीं होंगी।

अहमदाबाद में कपड़ा श्रमिकों की भविष्य निधि पर ब्याज की दर में वृद्धि करना

4275. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद और देश के अन्य भागों में कपड़ा श्रमिकों को उनकी भविष्य निधि पर किस दर पर व्याज दिया जाता है;

(ख) क्या वह दर बहुत ही कम है और क्या सरकार उसे बढाने के बारे में सोच रही है, और यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या श्रमिकों को 20 वर्षों के पश्चात् अपने भविष्य निधि लेखों से कितनी भी राशि निकालने की अनुमति दी जायेगी; और यदि हां, तो कब तक और किस प्रकार से; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) वर्ष 1974-75 के लिए छूट-न-प्राप्त प्रतिष्ठानों के अंशदाताओं, अहमदाबाद और दूसरी जगहों में ऐसे प्रतिष्ठानों के कपड़ा श्रमिकों सहित, को स्वीकार किए जाने वाले सूद की दर 6.50 प्रति वर्ष है।

(ख) व्याज की दर की न्यासी बोर्ड द्वारा निवेशों से प्राप्त उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए वर्षानुवर्ष के आधार पर सिफारिश की जाती है। बोर्ड ने फरवरी, 1975 में हुई अपनी पिछली बैठक में सिफारिश की है कि वर्ष 1975-76 के लिए 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से सूद जमा खाते लिखा जाए बशर्ते कि आय-कर अधिनियम के अधीन भविष्य निधि की जमा राशियों से प्राप्त आय पर कर लगाने की छूट की सीमा 6.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 7 प्रतिशत कर दी जाए। इस मामले में उचित कार्रवाई की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) सदस्यों को, ऐसी सम्भाव्य घटनाओं में, जैसी कि सेवा छोड़ने, 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वार्धक्य की स्थिति में, स्थायी विग्लांगता, छंटनी कारखाने प्रतिष्ठान की बन्दी, विदेश में स्थायी अधिवासन के लिए प्रवास, 15 वर्षों से अधिक की सदस्यता और सेवा निवृत्ति की स्वैच्छिक योजना के अन्तर्गत सेवा की समाप्ति में अपनी जमा राशियों को योजना के उपबन्धों के अनुसार निकालने की अनुमति दी जाती है।

इसके अतिरिक्त कुछ परिस्थितियों में वासगृह या वासस्थान खरीदने या वासगृह के निर्माण के लिए, पुत्री के विवाह, बच्चों की मैट्रिकुलेशन के बाद की शिक्षा, गंभीर बीमारी आदि के लिए वापस न करने योग्य अग्रिम भी दिये जाते।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

नौसेना (पेंशन) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 1975

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (जे० बी० पटनायक) : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना (पेंशन) दूसरा संशोधन विनियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 8 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 95 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 9247/75]**

अल्यूमिनियम (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1975

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अल्यूमिनियम (नियंत्रण) संशोधन आदेश 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 11 मार्च 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 134 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 9248/75]**

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के अधीन अधिसूचना

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 की धारा 28 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रसूति प्रसुविधा (खान) संशोधन नियम 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 27 फरवरी 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 59 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 9249/75]**

Shri Shankar Dayal Singh (Chetra) : It is really bad thing that chapals were thrown at Shri Pilloo Mody.

अध्यक्ष महोदय : किसी भी माननीय सदस्य का इस प्रकार अपमान किया जाना अत्यन्त निन्दनीय कार्य है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि जो सूचनाएं हमने 377 के अधीन दी थी उनका क्या बना। कानपुर में एक मिल बन्द पड़ी है। त्रिपुरा से समाचार मिला है कि विरोधी दलों के नेताओं को 'आसुरा' के अधीन गिरफ्तार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अगामी सप्ताह के लिए कार्यक्रम की घोषणा सप्ताहान्त में कर दी जानी है।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : The translators of Lok Sabha Secretariat translate U.S.S.R. as Russia (रूस) Please direct your translator to translate it as Soviet Union (सोवियत संघ).

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

सोवियत संघ के स्टेट बैंक द्वारा रूबल-रुपये के विनियम दर का कथित एकतरफा पुनर्मुल्यन

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न लिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि इसपर एक वक्तव्य दे

सोवियत संघ के स्टेट बैंक द्वारा रूपये के मूल्य की तुलना में रूबल को एकतरफा कथित पुन मुल्यन और रूस से लिय गये ऋणों की अदायगी पर उसका अत्यन्त प्रतिकुल प्रभाव।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रम्हण्यम) : जाहिर है, माननीय सदस्य उन खबरों का उल्लेख कर रहे है जो भारतीय रुपये और रूबल की विनिमय दर के बारे में भारत सरकार और सोविया समाजवादी जनतंत्र संघ के अधिकारियों के बीच हो रहीं बातचीत के बारे में पिछले कुछ दिनो अखबारों में देखने में आयी है।

वस्तुस्थिति यह है कि कुछ दिनों से, खास तौर से मार्च, 1974 से, सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ का स्टट बैंक समय समय पर रूपय और रुबल की विनिमय दर जिसे वह "सरकारी विनिमय दर" कहता है, घोषणा कर रहा है। इस दर में और दोनों देशों की मुद्राओं के बीच ले मौजूदा विनिमय दर में अन्तर है जो सम्बन्ध मुद्रा में सोने के ठोक-ठोक मूल्य के अनुसार तय की गयी है। सोवियत अधिकारियों के अनुसार विनिमयम को संशोधित दरें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मुख्य मुद्राओं की तुलना में रुपये की पारस्पारिक दरों का औसत निकाल कर रुपये का दो आंकने के बाद तय की जाति है। लेकिन हमारा यह कहना है कि भारतीय रूपय में सोने में कानूनी अंश उतना ही है जितना पहले था। सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के स्टेट बैंक ने अब जो दरें बतायी है वह सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ में किये गये गैर-वाणिज्यिक लेन देनों पर ही लागू होती है। माननीय सदस्यों ने इस कारवाई परिणामस्वरुप ऋणों की वापसी पर पड़ने वाले असर का जिक्र किया है। मैं यहां यह स्पष्ट कर रहा हूं कि इस समय ऋण कि रकम सरकारी विनियमदर के आधार पर लौटायी जा रही है जो दोनों देशों की मुद्राओं में कानूनी तौर पर निहित सोने के अंशके आधार पर तय की गयी है।

रुसी अधिकारियों ने प्रस्ताव किया है कि रूपये और रुबल की विनिमय दर के प्रश्न पर आगे बातचीत की जाय। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, यह बहुत पेचीदा और नाजुक मामला है और इस विषय पर सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के अधिकारियों के एक दल के साथ बातचीत चल रही है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात पर सहमत होंगे कि ऐसी स्थिति में इससे संबंधित विभिन्न विषयों के बारे में चर्चा करना उचित नहीं होगा।

श्री शाम नन्दन मिश्र : वित्त मंत्री ने बताया है कि सोवियत संघ के स्टेट बैंकों रूपए और रूबल की विनिमय की दर समय समय पर घोषित करता रहा है जिसे वह 'सरकारी विनिमय दर' कहते है मार्च 1974 के बाद यह परिवर्तन प्रायः प्रतिमास होते रहे हैं। डालर के विमूल्यन के पश्चात इसमें कितने परिवर्तन हुए है। क्या यह घोषणा एक तरफा की जाती है अथवा दोनों सरकारों में परामर्श किया जाता है।

क्योंकि वित्त मंत्री ने बताया है कि अदायगी सरकारी अदायगी दरपर की जाती है परिवर्तनशील मुद्रा एवं गैर-परिवर्तनशील मुद्रा को एक स्तर पर नहीं रखा जा सकता। हमें सोवियत संघ को स्पष्ट बता देना चाहिये था कि उनकी ऐसी परिवर्तन शीघ्र नहीं है।

वित्त मंत्री ने बताया रुपए के कानूनी स्वर्ण मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

क्या यह सत्य नहीं है कि वर्तमान इस बात से पैदा हुआ कि रुपये की सोने के रुप में मूल्य निर्धारित रहता जबकी पूर्व-यूरोपीय देशों जिनमें सोवियत संघ भी हैं, की मुद्रा की सोने की मात्रा निर्धारित नहीं रहती। इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

हाल ही में पोलैंड के साथ भी एक समझौता हुआ है परन्तु पौलैंड ने विनिमय दर में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की है। यही स्थिति सोवियत संघ पर भी लागू होनी चाहिए थी।

भारत के पर्यटक जो सोवियत संघ की यात्रा करते है उनके लिये रूपये को उनकी मुद्रा में परिवर्तन की सुविधा मिलनी चाहिए। जब भारतीय वहां पर रूपयों मे खाता खोल सकते है तब हम यहां पर रूबलों में खाता क्यों नहीं खोल सकते?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य ने कई बाते उठायी हैं एवं कई सुझाव दियें है जबकी मामले पर गयी वार्ता हो रही है। मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूं वार्ता के दौरान इन सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा।

यह बात गलत है कि सोवियत संघ आर्थिक स्तर पर हमारे लिये कठिनाईयां पैदा कर रही है।

हमारे सभी वाणिज्यिक लेन-देन प्रति रूबल 8.33 रुपए की दर से किये जा रहे है।

तीन बातें ही उठाई गई हैं। पहले से लिये गये ऋणों की अदायगी कैसे की जायेगी? सोवियत संघ के साथ वर्तमान विनिमय किन दरों पर किया जायेगा? तथा भविष्य में अदायगी किन दरों पर की जायेगी?

वार्ताएं जारी हैं। अतएव किसी बात का हमारे पर सोपे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा निर्णय नहीं किया जायेगा जो हमारे लिये कठिनाइयां पैदा करे।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : बेशक हम चाहते हैं कि जो वार्ताएं हो रही है उनमें बाधा न पैदा की जाये। परन्तु कुछ तथ्यपरक जानकारी मंत्री महोदय सभा को दे सकेगी। हम जानना चाहते हैं कि मुद्रा विनिमय की दरों में किये गये परिवर्तन एक तरफा हैं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैंने वक्तव्य में बताया कि यह घोषणा वे स्वयं करते हैं परन्तु यह केवल पर्यटकों द्वारा मुद्रा विनिमय पर लागू होती है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मंत्री महोदय ने अच्छा वक्तव्य दिया है तथा सोवियत संघ से हो रही वार्ताओं को हानि पहुंचाने वाली कार्यवाही न करने की अपील की है । यह सच है सोवियत संघ के साथ हमारा समझौता है। परन्तु स्वतंत्रता के पूर्व भी उक्त देश हमारा पक्ष लेता रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हमारा पक्ष लेता रहा है।

न केवल सरकार के पास अपितु 5 लाख गांवों में जनता के पास इतना सोना है कि यदि उसे एक स्थान पर एकत्र किया जाये तो भारत विश्व का सर्वाधिक धनी देश बन सकता है। मैं मंत्री महोदय से जानना जाहता हूं कि क्या सोने की उच्चतम सीमा निर्धारित की जायेगी ?

हमें सोवियत संघ के प्रति कोई विद्वेष भावना नहीं रखनी जाहिए।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं पुन: आश्वासन देन चाहता हूं कि दोनों देशों का अमैत्री पूर्ण होने का कोई प्रश्न ही नहीं है वार्ताएं मैत्रीपूर्ण वातावरण में की जा रही है। कोई भी व्यक्ति सोना विशुद्ध रूप में नहीं रख सकता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : सिवाय जयपुर के शाही खानदान के ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इसी लिये हमने उसे अधिकार में कर लिया है। अब कोई शाही परिवार नहीं है। मैं समझता हूं कि अभी समय नहीं आया कि हम अपने सारे सोने को एकत्र करें। हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सोने के रुप में विनिमय के स्थान पर नये आधारों की खोज पर चर्चा कर रहे हैं ?

श्री राम सहाय पांडे (राजनन्दगांव) : समाचार पत्रों में जो समाचार छपा है वह माननीय वित्त मंत्री की बात भिन्न है। समाचार का शीर्षक बहुत अमैत्रीपूर्ण है। मैं हिन्दुस्तान टाइम्स और फिनांस एक्सप्रैस के समाचारों की बात कर रहा हूं। रुपये और रुबल की विनिमय दर सोने के आधार पर निर्धारित की जाती है मंत्री महोदय ने यह बात स्पष्ट की है। मुझे पता चला है कि सोवियत संघ से एक दल भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक से बातचीत करने के लिये आया था। मैं आशा करता हूं कि यह दल सफल होगा। परन्तु यदि बातचीत असफल रहती है तो क्या सरकार राजनीतिक स्तर पर बातचीत करेगी तथा रुबल और रुपये के विनिमय पर समझौता हो सके।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : वर्तमान लेन-देन 8.33 रुपये प्रति रुबल की विनिमय दर से हैं। हमारे समाचारपत्रों की खबरें गलत तथा शरारतपूर्ण हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : इसमें शरारतपूर्ण क्या है, यदि रुबल के मूल्य में 39 प्रतिशत की वृद्वि कर दी गई है ? हमारे रुपये का उतना अवमूल्य हो जायेगा।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यदि आप ऐसे समाचारपत्रों के समाचारों पर विश्वास करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि अभी बातचीत हो रही है। जब समझौता हो

जायेगा तो उसे अन्तिम रूप राजनीतिक स्तर पर ही दिया जायेगा। मुझे विश्वास है कि हम इसका सन्तोषजनक हल निकाल लेंगे। यदि यह अधिकारी स्तर पर नहीं तो राजनीतिक स्तर पर यह हो जायेगा ।

श्री एच० एम० पटेल (ढढूंका) : मंत्री महोदय का वक्तव्य बहुत निराशाजनक है । जब बातचीत चल रही है तो इस प्रकार के प्रश्न पूछना ठीक नहीं है। जब यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है तो वित्त मंत्री हमें चल रही बातचीत को हानि पहूंचाये बिना अधिकतम जानकारी दे सकते थे। इस बातचीत को आरंभ करने का क्या कारण था? क्या इसके लिए हमने पहल की है या सोवियत संघ की सरकार ने ?

1966 में जब रुपये का अवमूल्यन किया गया था तो इस सम्बन्ध में कुछ व्यवस्था कर दी गई थी। फिर स्टर्लिंग के साथ रुपये को जोड़ने के कारण भी अवमूल्यन हुआ है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय बतायें कि पहले की स्थिति के संदर्भ में रुपये का अब क्या मूल्य है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं समझ नहीं पाया कि मेरा उत्तर क्यों सन्तोषजनक नहीं है। शायद यदि मैं यह कहता कि हमारा सोवियत संघ के साथ मतभेद है तो उन्हें सन्तोष होता। परन्तु ऐसी बात नहीं है। रुपये और रुबल की विनिमय दर को मुद्राओं में सोने के आधार पर निश्चित की गई थी। अब भी लेनदेन उसी आधार पर हो रहा है। इस सम्बन्ध में कोई आशंका नहीं है।

बातचीत का मुख्य विषय भविष्य के सम्बन्ध में है। क्योंकि रुपया स्टर्लिंग के साथ सम्बद्ध है और स्टर्लिंग का मूल्य स्थिर नहीं रहता। हमारा कहना है कि हमारा लेनदेन द्विपक्षीय है। ऐसे मामलों पर बातचीत हो रही है। हमें आशा है कि सन्तोषजनक समाधान निकाल लिया जायेगा ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हम कुछ विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं। यह स्पष्ट हैं कि जो भी परिवर्तन विनिमय दर में हुए है वे एकतरफा हैं। मैं वित्त मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सोवियत संघ ने विनिमय दर में अनेक बार और थोड़े-थोड़े समय बाद परिवर्तन किया है? क्या 1966 में रुपये के अवमूल्यन के बाद सोवियत संघ ने 12 सवालके लिये 100 रुपये की दर तय की थी। फिर दिसम्बर, 1971 के स्थित सोवियत समझौते के बाद जब डालर का अवमूल्यन हुआ था सोवियत संघ ने 11.39 रुबल के बदले में 100 रुपये की विनिमय दर तय की थी। इसके बाद एक बार फिर परिवर्तन किया गया और बडी दिलचस्प बात यह है कि ऐसे एकतरफा परिवर्तन एक-एक महीने बाद किये गये। इस समय विनिमय दर 8.66 रुबल 100 रुपये के बराबर है। इसका अर्थ यह हुआ कि 1971 से रुपये की तूलना में रुबल के मूल्य में लगभग 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

भारत का भुगतान दायित्व लगभग दुगना हो गया है। सोवियत संघ का तर्क युक्तिसंगत नही है ।

फिर सोवियत संघ के साथ हमारा व्यापार अपसी व्यवस्था के आधार पर होता है। ऐसी स्थिति दोनों के बीच समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में अन्तरके आधार परिवर्तन नहीं हो सकते। अब होने वाली बातचीत में सरकार को अपने पक्ष पर दृढ़ रहकर माल के मूल्यों की समानता में अन्तर नहीं आने देना चाहिये। गैर-वाणिज्यिक सौदों की बात भी कही गई है। उसे स्पष्ट किया जाये। क्या भारत द्वारा सोवियत संघ से खरीदे जाने वाले हथियारों भी इसके अन्तर्गत आयेंगे ?

[श्री मधु दण्डवते]

भारत से सोवियत संघ जाने वाले पर्यटकों को रुबल के बदले जो रुपये मिलते है वे नई विनिमय दर के आधार पर मिलते है जबकि वहां से भारत आने वाले व्यक्ति को सोवियत संघ में भारतीय राशि से पूरा लाभ उठाने की अनुमति होती है। इस प्रकार से भेदभाव हो रहा है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या हम अपनी मुद्रा के स्टर्लिंग के साथ के सम्बन्ध को समाप्त नही कर सकते ? इस विनिमय दर के मामले सोवियत संघ का रुख पूंजीवादी देशों के समान है।

श्री सी० सुब्रम्हण्यम : हम सोवियत संघ जो सामान खरीद रहे है वह हमारे समझौते के अन्तर्गत आता है। अत: 8.33 रुपये की दर लागू होती है। इस विषय पर विशेषज्ञों में विचार किया है और उनकी राय में यह व्यवस्था सब से उचित है। इसी आधार पर हमारा निर्यात हो रहा है। हम सोवियत संघ से माल खरीदते समय अपने हितों को ध्यान में रखते हैं। हम सभी सुझावों पर ध्यान देंगे। स्टर्लिंग के साथ रुपये को जोड़े रखे के प्रश्न पर विचार किया गया है। हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वर्तमान व्यवस्था को बनाये रखना हमारे हित में है।

लाभ कें पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति
JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

12 वां प्रतिवेदन

श्री पट्टाभिराम राव (राजामुद्री) : मैं लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का 12 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करतां हूं।

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक
TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL

(एक) प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (वेतुल) : मैं आयकर अधिनियम 1961, धनकर अधिनियम, 1957 उपहार कर अधिनियम, 1958 तथा कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1965 के अग्रतर संशोधन वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर-समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(दो) साक्ष्य

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं आयकर अधिनियम, 1961, धनकर अधिनियम, 1957 उपहार कर अधिनियम, 1958 तथा कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1965 के अग्रेतर संशोधन वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य का अभिलेख सभापटल पर रखता हूं।

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक
CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति के सदस्य की नियुक्ति

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री देवेन्द्र नाथ मेहता के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर श्री सी० एम० स्टीफन को नियुक्त करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री देवेन्द्र नाथ मेहता के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर श्री सी० एम० स्टीफन को नियुक्त करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
THE MOTION WAS ADOPTED

नियम 377 के अधीन मामला
MATTER UNDER RULE 377

पाकिस्तान और भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के भारतीय लोगों की सम्पत्तियों के लिए अनुग्रह पूर्वक मुआवजे का भुगतान

श्री समर गुह (कन्टाइ) : महोदय, मैं वाणिज्य मंत्री का ध्यान पश्चिम और भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान में भारतीय लोगों की सम्पत्ति के लिए अनुग्रहात मुआवजे संबंधी गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। यदि यह मामला 31 मार्च, से पहले हल नहीं हुआ तो तीन करोड़ रुपये संचित निधि में चले जाएंगे। वर्ष 1971 से 1974 तक प्रतिवर्ष 12 करोड़ रुपये बजट में इसके लिए रखे जाते रहे हैं। 1971 में घोषित नीति के अनुसार सरकार ने उक्त दावा करने वालों को दावे की 25 प्रतिशत राशि अनुग्रहात देने की घोषणा की थी। 1965 के युद्ध के बाद भारतीयों की 109 करोड़ की सम्पत्ति पाकिस्तान में रह गई थी जबकि पाकिस्तान की 29.6 करोड़ की सम्पत्ति भारत में थी। इससे सरकार को 25 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए जो अनुग्रहात मुआवजे के रूप में देने का निर्णय किया गया परन्तु भारत में शत्रु सम्पत्ति के कस्टोडियन इस राशि का भुगतान ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं और 1971-74 में 12 करोड़ की राशि में से केवल 3.11 करोड़ और इस वर्ष 3 करोड़ की राशि में से केवल 64 लाख रुपये ही मुआवजे के रूप में दिए गए हैं।

जहां पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों के लगभग सभी दावे निपटा दिए गए हैं, वहां पूर्व पाकिस्तान के विस्थापितों के 90 प्रतिशत दावे बकाया पड़े हैं। मैंने अनेक बार पत्र लिखे और यह मामला सभा में भी उठाया जिसके परिणामस्वरूप कलकत्ता में दो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेनल बनाया गया है। इस पेनल और उक्त कस्टोडियन के कार्यालय-अध्यक्ष ने मिल कर एक

[श्री समर गुह]

हज़ार से अधिक दावेदारों के दावे मंजूर किए परन्तु अब केन्द्रीय सरकार भुगतान से इन्कार कर रही है। आन्तरिक वित्त विभाग ने, यद्यपि इस मामले से इसका कोई संबंध नहीं है, कहा है कि 4 लाख रुपये से अधिक की सम्पत्ति वालों को 60 प्रतिशत और इससे कम वालों को 80 प्रतिशत मुआवजा दिया जाए। यह सरकारी घोषणा के विरुद्ध है।

अत: मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यहां वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। मैं यह भी चाहता हूं कि उक्त पेनल द्वारा एकमत से की गई सिफारिशों को लागू किया जाए और उसी के अनुसार मुआवजा दिया जाए।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : गंटूर और प्रकाशम जिलों के कपास और तम्बाकू उत्पादक राज्य सरकार के कार्यालयों के समक्ष सत्याग्रह कर रहे हैं...

अध्यक्ष महोदय : यह इस समय कैसे संगत है ?

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : उक्त उत्पादक बाध्य हो कर अपने उत्पाद कम मूल्य पर बेच रहे है और सरकार अपने कर वसूल करने के लिए उनकी सम्पत्ति नीलाम कर रही है। यह मामला मैं नियम 377 के अधीन उठाता हूं और आपके द्वारा मंत्री महोदय से इस संबंध में वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा-पश्चिम) : श्रीमन्, त्रिपुरा में पांच विधायकों को 'मीसा' के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। श्री हाल्दर ने भी राज्य संबंधी मामला उठा दिया। यह मूलत: गलत है।

गुजरात बजट, 1975-76—सामान्य चर्चा, लेखानुदानों की मांगे (गुजरात), 1975-76 और अनुदानों की अनुपूरक मांगे (गुजरात) 1974-75

GUJARAT BUDGET, 1975-76—GENERAL DISCUSSION, DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (GUJARAT,) 1975-76 AND SUPPLIMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GUJARAT), 1974-75

अध्यक्ष महोदय : हम मद 10, 11 और 12 पर एक साथ चर्चा करेंगे। श्री चावड़ा कुछ आपत्ति उठाना चाहते थे। वह अब अपनी बात कह सकते हैं।

श्री के० एस० चावडा (पाटन) : मैं नियम 376(2) के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। गुजरात में 22.9 करोड़ रुपये के कर जनता पर संदिग्ध रूप से लगाए गए हैं, और इसपर वहां के राज्यपाल, श्री विश्वनाथन का कहना है कि विक्रय कर और अन्य शुल्कों में वृद्धि आदि के मामले में इसे संसद से पास कराना आवश्यक नहीं है जबकि संविधान में धन विधेयक की परिभाषा के अनुसार ऐसा करना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि इस मामले का सभा में इस समय विचाराधीन मामले से कोई संबंध हीं है अत: आप इसे पृथक रूप में फिर किसी समय उठा सकते हैं, इस समय नहीं।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : कल मेरे व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर उपाध्यक्ष महोदय का कहना था कि...

अध्यक्ष महोदय : मैं वह क्रम नहीं तोड़ना चाहता। उपाध्यक्ष महोदय यहां उपस्थित हैं, वही पीठासन होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR

श्री सेझियान : कल आप ने कहा था कि उक्त मामले को नियम समिति को सौंपा जाये परन्तु उस स्थिति में, जहां विवरण सभापटल पर रखा जा चुका है, क्या होगा ?

वर्ष 1974–75 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों पर व्यवस्था के मेरे तीन प्रश्न हैं। इसके बारे में लिखा गया पत्र क्योंकि मंत्री महोदय को प्रेषित कर दिया गया है, अतः आशा है वह उनका उत्तर देंगे।

1974-75 के बजट-प्राक्कलनों में 5.6 करोड़ का अनुदान मांगा गया था और इसीमें से कर्मचारियों को देय महंगाई-भत्ते को अदायगी को जाती रही है परन्तु उन्होंने मांग संख्या 24 का लोप नहीं किया है। इसका अर्थ है कि सरकार उन मदों पर यह धन खर्च करती रही है जिन्हें संसद ने प्राधिकृत नहीं किया है। यह बजट बनाने के सिद्धान्तों और संविधान के भी विरुद्ध है।

इसके अलावा 5.6 करोड़ की यह राशि वित्त विभाग के लिए ही थी जबकि अब सरकार यह कहना चाहती है कि यह राशि अन्य विभागों के लिए भी थी। मेरा प्रश्न यह है कि क्या संसद की अनुमति के बिना सरकार ऐसा कर सकती है, विशेष कर उस स्थिति में जब सरकार बिना संसद् की अनुमति लिए या उसे बताये यह राशि अन्य मदों पर खर्च कर चुकी हो ? यह अनियमित है।

आकस्मिक निधि अनपेक्षित मदों पर खर्च के लिए होती है परन्तु सरकार का यह स्वभाव बन गया है कि अपेक्षित मदों के लिए भी वह धन इसी निधि में से खर्च करती रही है जैसे मांग संख्या 40 के अधीन 9-1-75 को 1.98 लाख रुपये नियोजन संवर्धन कार्यक्रम और मांग संख्या 42 के अधीन 15-1-75 को 2 लाख रुपये राशन कार्डों के लिए निकाले गए। इन्हें अनपेक्षित कार्य नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार मांग संख्या 53 के अधीन गुजरात मत्स्य केन्द्रीय सहकारी संस्था को 1-2-75 को 5.95 लाख रुपये शेयर पूंजी के रूप में आकस्मिक निधि में से दिए गए जबकि निकट भविष्य में संसद का सत्र आरंभ होने वाला था।

इसी प्रकार मांग संख्या 55, 56, 66 और 69 के अधीन भी धन आकस्मिक निधि में से ही निकाला गया जो किसी भी प्रकार से अनपेक्षित नहीं कहे जा सकते जैसे सरदार पटेल की जन्म शताब्दी मनाने के लिए निकाले गए 9.51 लाख रुपये।

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री इसे ध्यान से सुनें क्योंकि ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और मैंने श्री सेझियान को इसलिए अनुमति दी है क्योंकि मैं चाहता हूं कि कार्यपालिका मनमानी न करे और सभा को ऐसे ही मोहरमात्र न समझे।

श्री सेझियान : मांग संख्या 84 के अधीन एक लाख रुपये गुजरात पर्यटन विकास निगम के लिए उसी दिन निकाले गए जब सभा का सत्र आरंभ होना था। ऐसा क्यों किया गया ? इसे अनपेक्षित मामला या मद नहीं कहा जा सकता। ये कदम और भी गंभीर बन जाते है जब हमें पता

[श्री सेझियान]

है कि दिसम्बर में दो पूरक मांगें और अगस्त में एक पूरक मांग पास की गई थीं। इसी प्रकार मांग संख्या 127 के अधीन 10 लाख रुपये 21 ट्रकों के लिए 14-2-75 को निकाले गए जबकि सत्र 17 फरवरी को आरंभ होने वाला था।

अब प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने संविधान की आत्मा के अनुकूल आचरण किया है? सभा की उपेक्षा क्यों की गई और क्या मैं ने जिन कार्यों का उल्लेख किया है उनमें से एक भी अनपेक्षित कहा जा सकता है?

शायद आकस्मिक निधि का सहारा इसीलिए लिया गया है क्योंकि इसके लिए कोई नियम नहीं है और नही अनुमति की आवश्यकता होती है और सरकार सभा को गौण समझती है।

इस सभा को इस पर चर्चा का अवसर नहीं मिल पाया। आकस्मिक निधि से धन निकलवा कर उन्होंने संविधान की आत्मा का हनन किया है।

मांग संख्या 22, पहले से किय गये व्यय सम्बन्धी अनुपूरक मांग है जिसकी बजट में स्वीकृति नहीं दी गई थी। इस मद पर अतिरिक्त व्यय का कारण अनुपूरक मांग की आवश्यकता हुई है। गुजरात कृषि उद्योग निगम द्वारा 5 लाख रोजगार के अवसर जुटाने के लिये 1.48 लाख रुपए की मांग की मंजूरी दी गई थी।

अनुसूचित जातियों के विकास के लिये 1974-75 में 15 लाख की व्यवस्था थी और 1975-76 के अनुमानित व्ययों में भी 15 लाख रुपए की ही व्यवस्था की गई है। 1.49 लाख रुपए के बारे में मंत्री महोदय का कथन है कि धन का व्यय अभी नहीं हुआ है। परन्तु शब्दों से पता चलता है कि प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आपने इस वर्ष की मांग संख्या 49 का तथा बाद में 1975-76 की मांग संख्या 27 का उल्लेख किया। इनका परस्पर क्या सम्बन्ध है?

श्री सेझियन : यदि आप वर्ष 1975-76 की अनुदानों की मांगों को ले तो उसमें तीन बातें दी गई हैं। एक 1974-75 के बजट अनुमान, दूसरे 1974-75 के संशोधित अनुमान तथा वर्ष 1975-76 के बजट अनुमान।

1.49 लाख रुपए की व्यवस्था बजट में नहीं की गई थी जोकि अब की जा रही है। मैं समझता हूं कि यह धन व्यय हो चुका है। सभा की अनुमति के बिना ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। इन बातों पर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं।

बजट अनुमानों पर किस का नियंत्रण रखा है। हम बजट का आबंटन करते हैं परन्तु वर्ष के अंत में ऐसी बातें पाते जो कि सर्वथा अनियंत्रित हैं। यह कार्य नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का है। उसका मुख्य कार्य लेखों की परीक्षा नहीं होना चाहिए। यह कार्य तो मंत्रालय स्वयं करते हैं। उसका मुख्य कार्य तो है नियन्त्रण। ब्रिटेन में नियंत्रक की अनुमति के बिना एक पैसा भी व्यय नहीं किया जा सकता। भारत में ऐसा नहीं होता। 10 लाख के आबंटन पर 15 लाख व्यय किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह ली।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : कुछ बातें तो प्रक्रिया सम्बन्धी है। उन्होंने 40 मदों पर जानकारी पूछी है जोकि गुजरात सरकार से पूछ कर बताई जा सकती है।

आकस्मिक निधि पर ऐसे व्ययों के बारे में जिनका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सका, मेरा निवेदन है कि पहले भी हमनें अध्यक्ष महोदय को बताया था कि कुछ मदों पर इसकी आकस्मिक आवश्यकता पडती है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया है कि जब संसद सत्र में हो तब ऐसे व्यय न किये जायें हमनें तदनुकूल आदेश जारी कर दिये हैं।

कौन सी मद इसके अंतर्गत आती है इसका निर्णय आपको और सदन को करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा दुर्भाग्य है कि मैं सभी सदस्यों के प्रति अत्यन्त सम्मान रखता हूं तथा सभा के अधिकारों के प्रति अत्यन्त जागरूक हूं।

कल भी मैंनें बताया था कि मेरे पास और अधिक बातें हैं जिन्हें मंत्री महोदय ने नोट नहीं किया और आज भी मैं वही स्थिति पाता हूं। श्री सेझियान ने कुछ महत्वपूर्ण सांविधानिक प्रश्न उठाये हैं।

यदि आप अनुपूरक मांगों के पृष्ठ 1 को देखेंगे जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की स्वीकृति दी थी। उसके लिये 5.60 करोड रुपए तदर्थ व्यवस्था की गई थी।

मांग संख्या 24 के अंतर्गत आपको 5.60 करोड रुपया मिला जिसका आपने व्यय नहीं किया क्या आपने उक्त राशि गुजरात राज्य के सरकारी कर्मचारियों को दे दी है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : यह जानकारी मुझे प्राप्त करनी पडेगी। (**व्यवधान**) इस की अदायगी कर दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : तब तो यह अत्यन्त गम्भीर मामला है।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : यदि यह संसद द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक नहीं है तो इसमें क्या आपत्ति है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस सभा के अधिकारों में बाधा डालता है। कृपया संविधान का अनुच्छेद 114(2) देखें। उसके अंतर्गत किसी ऐसे विधेयक में ऐसा संशोधन नहीं रखा जा सकता जिसके द्वारा संसद द्वारा स्वीकृत राशि में फेरबदल अथवा उसका अन्य मदों के लिये व्यय किया जाये।

डा० महीपतराय मेहता (कच्छ) : एक मुश्त व्यवस्था की गई थी उसे विभिन्न मदों में बांट दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इसे विभिन्न मदों में बांट दिया गया। अब वह अनुपूरक मांगों द्वारा इस सभा से प्राप्त करना चाहते हैं।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : सदस्यों ने कुछ बातें रखी हैं। मैं इनका कल उत्तर देना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । आप कल उत्तर दे सकते हैं । दूसरी बात है आकस्मिक निधि-का अधिकाधिक उपयोग ।

श्री सेझियान ने अत्यन्त परिश्रम करके यह महत्त्वपूर्ण बातें उठायी हैं । हम उनकी जागरूकता के लिये अभारी हैं । इस सभा के समवेत होने से दो दिन पूर्व तथा समवेत होने के दिन 17 फरवरी को भी आकस्मिक निधि से धन लिया गया ।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : यह मामला पहले ही उठाया गया है तथा हम अध्यक्ष महोदय से पत्र व्यवहार कर रहें हैं । परन्तु हमारी कठिनाई यह है कि विनियोजन विधेयक के समय लोक सभा तो सत्र में होगी परन्तु राज्य सभा नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां तक धन विधेयकों का सम्बन्ध है राज्य सभा को कुछ नहीं करना है ।

अभी हम अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं ।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैंने अपना निवेदन कल दिया है निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं । आकस्मिक आवश्कताओं के लिये आकस्मिक निधि से धन लिया जाता है । परन्तु उसके अन्तर्गत क्या मामले आसकते है यह स्वविवेक पर निर्भर है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब मामला इस सभा में आता है तब यह सभा सर्वोच्च है ।

मांग संख्या 49 पृष्ठ 22 के बारे में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या 1.49 लाख रुपया व्यय किया जा चुका है अथवा नहीं, इसका आपको उत्तर देना है ।

श्री सेझियान ने गुजरात राज्य की मांगों अनुपूरक नहीं मुख्य मांगों की ओर ध्यान दिलाया है । कृपया पृष्ठ 54 देखें ।यदि आप पृष्ठ 54 पर देखें तो आपको पता चलेगा कि बायीं ओर 1974-75 के बजट प्राक्कलन तथा संशोधित प्राक्कलन दिखाये गए हैं । दायीं ओर 1975—76 के लिए बजट प्राक्कलन दिखाये गए हैं । अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत कोई मांग नहीं दिखाई गई है ।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : श्रीमान्, मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य इस समय सामान्य अवलोकन कर लें और मैं इन बातों को कल स्पष्ट कर दूंगा ।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : श्रीमान जब मांगें सही रूप में नहीं हैं तो उन पर आज चर्चा करनी बेकार है । **(व्यवधान)**

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : श्रीमान, मैं सभा से एक अनुरोध करता हूं । आज गुरुवार है और कल शुक्रवार है । इन मांगो को इस सभा में पारित करवाने के बाद उन्हें राज्य सभा से भी पारित करवाना है । 26 मार्च के बाद सभा की बैठक नहीं हो रही है । 31मार्च, इस वर्ष का अंतीम वित्तीय दिन है । गुजरात के लोग अत्यधिक कठिनाइयों में है और वहां कई प्रशासनिक समस्यायें है । इसलिए मेरा निवेदन है कि कुछ बातों का उत्तर मैं आज दे दूंगा और जो शेष रहेंगे उनके बारे में जानकारी मैं कल दे दूंगा **(व्यवधान)**

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख की बात है कि कुछ सदस्य अनावश्यक रूप से इस सारी बात को विवादग्रस्त बना रहे हैं । यह सरकार और विपक्ष

का मामला नहीं है यह तो समूची संसद का प्रश्न है । मेरे कुछ मित्रों ने कहा है कि गुजरात के प्रति सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता है । यह ठीक है । हम इस सम्बन्ध में आज चर्चा कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सारी कठिनाइयां समझता हूं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सिरमपुर) : श्रीमान् , आप अपना विनिर्णय पहले ही दे चुके हैं । . . (**व्यवधान**) . .

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह धारणा त्याग दीजिये कि मुझ पर दबाव डाला जा सकता है । मैं एक तरफा निर्णय नहीं देना चाहता । समय के बारे में मैं सरकार की सभी कठिनाईयां महसूस करता हूं । किंतु इसके अधिक महत्वपूर्ण संवैधानिक औचित्य हैं और यदि यह सभा उनकी रक्षा है नहीं करती तो फिर हमारा यहां रहने का क्या लाभ है ? जबतक मैं यहां हूं तबतक मैं ऐसा नहीं होने दूंगा । मैं सोचता हूं कि मंत्री जी ने यह महसूस कर लिया है जबकि उन्होंने प्रस्ताव किया कि मैं इस मामले पर कल स्पष्टीकरण दूंगा । चूंकि उन्हें इसे स्पष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए था क्योंकि श्री सेझियान ने काफी समय पहले उन्हें, पत्र लिख दिया था । उन्हें उस पत्र पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए था और प्रत्येक बात का उत्तर देने के लिए तैयार होकर आना चाहिए था । यदि आप अध्यक्ष को कुछ लिखकर भेजते हैं और अध्यक्ष उन्हें सरकार के पास भेजता है तो उन्हें उसमें लिखी बातों को स्पष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए । वास्तविकता यह है कि मंत्री जी तैयार नहीं है और उन्होंने इस विषय को कल तक के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया है । उससे मैं सहमत हूं किन्तु मैं उनके दूसरे अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकता । जब सभा की स्वीकृति के बिना कुछ धन व्यय कर लिया गया है तो यह बहुत ही अनियमित बात है। इस लिए मैं इस बात को कैसे स्वीकार कर लूं कि चर्चा हम आज करें और मंत्री महोदय हमें कल संतुष्ट करें ? अब यह एक व्यवस्था का प्रश्न है जिसको निपटाये बिना हम इस पर विचार नहीं कर सकते ।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : विनियोग विधेयक दोनों सभाओं द्वारा पारित किया जाना है । . . (**व्यवधान**) . . उपाध्यक्ष महोदय को अपना विनिर्णय देना है कि क्या चर्चा को स्थगित करने की बजाय इसे पूरा नहीं किया जा सकता ? और बाद में विनिर्णय दिया जा सकता है । मामले की अविलम्बनीयता को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जा सकता है क्योंकि निश्चित तिथि तक इसे दोनों सभाओं से पारित करवाना है । . . (**व्यवधान**) . .

उपाध्यक्ष महोदय : सभा को परस्पर सहयोग से कार्य करना चाहिए । किन्तु यहां कुछ मूलभूत संवैधानिक प्रश्न खड़े हो गए हैं । मुझे संतुष्टि होनी चाहिए कि अनुपूरक मांगों में किसी प्रकार का गंभीर संवैधानिक उल्लंघन नहीं होना चाहिए । यही मुख्य बात है । यदि इसमें कुछ गंभीर अनियमितताएं हो गई हैं जिन्हें मंत्री जी स्पष्ट नहीं कर पाये तो फिर हम इस पर किस तरह विचार कर सकते हैं ? और यदि समय का प्रश्न है तो हमें इस पर सोच लेना चाहिए था । मंत्री जी को श्री सेझियान द्वारा उठाई गई बातों का उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए । आज 20 तारीख है और 6 दिन बीत चुके हैं । उन्होंने उन बातों का उत्तर क्यों नहीं दिया ? संसद ही हर कार्य में शीघ्रता क्यों करें और ये लोग अपनी इसी धीमी गति से चलते रहें ? यही मुख्य कठिनाई है ।

पांडिचेरी बजट, 1975-76—सामान्य चर्चा, लेखानुदानों की मांगें (पांडिचेरी), 1975-76 और अनुदानों की अनुपूरक मांगे (पांडिचेरी), 1974-75

PONDICHERRY BUDGET 1975-76 GENERAL DISCUSSION, DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (PONDICHERRY) 1975-76 AND SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (PONDICHERRY) 1974-75

श्री सेंझियान (कुम्भकोणम) : मैं पांडिचेरी के सम्बन्ध में वर्ष 1974–75 के लिए अनुपूरक मांगों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैं जब किसी बात को उठाता हूं तो मेरा ध्येय यह नहीं है कि सभा की कार्यवाही में बाधा डाली जाये। संसद् सदस्य के रूप में मैं चाहता हूं कि संवैधानिक तथा संसदीय नियमों का सही पालन हो।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मेरी कठिनाइयां महसूस करनी चाहिए। मैं इन पत्रों को पढे बिना पीठासन होता हूं। इसलिए मुझे आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना पड़ता है। यह मेरा दुर्भाग्य है।

श्री सेंझियान : मैंने यह मामला इसलिए नहीं उठाया कि मैं सभा की कार्यवाही में बाधा डालूं अपितु इसलिए उठाया कि सभा की सहायता करूं। इसी भावना से मैंने यह बात उठाई है। अब मैं पांडिचेरी की अनुदानों की अनुपूरक मांगों को लेता हूं। हम पृष्ठ 4 तथा 5 पर मांग संख्या 6 को लें। इसमें कहा गया है कि 1974 में मानसूनों के न आने के कारण सूखा स्थिति उत्पन्न हो गई जिसके कारण वहां राहत कार्य करने पड़े। इन कार्यों पर 1974–75 में 23, 35 लाख रुपये व्यय हुए जिसके लिए यह अनुपूरक अनुदान मांगनी पड़ी। यह फिर वही बात हुई जो गुजरात बजट के बारे में हुई। यह राशि 1974–75 के बजट में नहीं दी गई थी। यह धनराशि पांच मद्दों पर हुई। ये नई सेवाएं हैं जो 1974–75 के बजट में नहीं दी गई है। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि ये कार्य क्यों किए गए या नहीं किए जाने चाहिए थें? मेरा कहना यह नहीं है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों पर व्यय क्यों किया गया। हमें ये सब कार्य करने हैं किन्तु संवैधानिक ढंग से।

आपने उन योजनाओं पर धन व्यय किया है जिन्हे, मूल बजट में सम्मिलित नहीं किया गया था। आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि ये नई सेवाएं थीं। किन्तु आपने जिस पर धन व्यय कर लिया यह नियम के विपरीत है। यदि मूल बजट में इन्हें सम्मिलित नहीं किया गया हो तो इन पर धन व्यय नहीं किया जा सकता है।

एक और बात है। 1974-75 का बजट प्राक्कलन मार्च 1974 में पेश किया गया था और अप्रैल में यह पारित हुआ था। वहां मांग संख्या 6 में मूल अनुदान केवल 27.45 लाख रुपय किया गया था। अतः कुछ भी नहीं बचाया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि संसद को स्वीकृति के बिना नई सेवा आरम्भ को गई।

इसके बाद पांडिचेरी के सम्बन्ध में लेखानुदानों पर आइये। पृष्ठ 2 पर 29.6 लाख रुपये को राशि दी गई है यहां सरकार एक बात करने में असफल रही है। लेखानुदान इसलिए दिया जाता है ताकि अनुदानों को मांगों तथा विनियोग विधेयक के पारित होने तक सरकार अपना कार्य करती रहे। चूंकि लेखानुदान एक औपचारिक मात्र कार्य है, इस पर सभा में कोई चर्चा नहीं होती, इसके पीछे यही साधारण सी बात रहती है कि मतदान के न होने के कारण सरकार का कार्य न रूके।

इसे नई सेवाओं को पूरा करने के लिये संसद को स्वीकृति लेने का साधन नहीं बनाया जा सकता। यह एक वित्तीय प्रक्रिया है कि जब तक किसी नई सेवा के लिए संसद की अनुमति न ले ली जाये, तब तक उस पर कोई व्यय न किया जाये। किन्तु जब सभा द्वारा लेखानुदान पारित कर लिया जाता है तो सरकार द्वारा वचन दिया जाता है कि लेखानुदान किसी नई सेवा पर व्यय नहीं किया जायेगा। यहां ऐसा नहीं किया गया है।

लेखानुदान बिना चर्चा किए दे दिया जाता है और जब भी लेखानुदान पारित होता है तो सरकार यह वचन देती है कि इसे नई सेवाओं पर व्यय नहीं किया जायेगा क्योंकि सभी मांगों को पारित किए जाने के पश्चात ही वे नई सेवाओं को लिया जा सकता है।

यह एक गंभीर त्रुटि है। यदि अब मंत्री जी आश्वासन देते भी हैं कि इसे नई सेवाओं पर व्यय नहीं किया जायेगा तो यह काफी नहीं होगा।

राष्ट्रपति ने 14 तारीख को इस मांग के आधार पर यह व्यय करने की अनुमति दे दी है। यदि यह मांग दोषपूर्ण है तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पास सभी सामग्री नहीं दी गई जिस पर वह अपनी सिफारिश देते अतः श्रीमान जब तक वे यहां वचन नहीं देते और राष्ट्रपति के पास नया विधेयक नहीं भेजते और उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं ले लेते तब तक वे विनियोग विधेयक को पारित नहीं करवा सकते। अतः इन दो लेखों पर अनुपूरक मांग दोषपूर्ण है और दोषपूर्ण विवरण पर आधारित यह लेखानुदान भी दोषपूर्ण है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणाब कुमार मुखर्जी) : अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सिंचाई तथा राहत कार्य आदि नई सेवाएं नहीं है और पहले अनुदान में स्वीकृत धनराशि से अधिक धन व्यय नहीं किया गया है। अतः माननीय सदस्य का यह कहना सही नहीं है कि हमने नई सेवाओं पर धन व्यय किया है क्योंकि स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय नहीं किया गया है। ये न्यूनाधिक रूप से नई बातें हैं। जहां तक वचन देने का सम्बन्ध है लेखानुदान में कोई नई सेवा नहीं है, और इसलिए मैं आश्वासन दे सकता हूं कि लेखानुदान के क्षेत्र-के अन्तर्गत किसी भी नई सेवा को नहीं लिया जायेगा। राष्ट्रपति को हमेशा ही भांति के पूरी जानकारी दी जाती है और उनसे सिफारिश प्राप्त करने के पश्चात इन्हें सभा में पेश किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे मानना होगा किये उप शीर्षक हैं न कि नई सेवाएं।

श्री सेझियान : अनपूरक मांगें पहले ही व्यय की गई धनराशि के लिए नहीं होती अपितु व्यय की जाने वाली धनराशि के लिए होती है। वह हमें आश्वासन दें कि 23.55 लाख रुपये की यह राशि विनियोग विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात व्यय की गई है। क्योंकि कहा गया है कि 1974 में मौनसूनों के न आने के कारण राहत के रूप में कई कार्य करने पड़े। यदि आप यह कहें कि 26 मार्च के पश्चात् ये राहत कार्य किए गए तो मैं विश्वास कर सकता हूं।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : मैं व्यक्तिगत रूप से मंत्री महोदय के स्पष्टीकरण से सहमत हूं। किन्तु श्री सेझियान का तर्क भी ठीक है कि मूल बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। प्रश्न यह है कि क्या लोक सभा इस अनुदान पर मतदान कर सकती है या नहीं। संविधान के अनुसार लोकसभा को इस पर मतदान का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इन दोनों मांगों को नहीं मिलाना चाहिए। यहां केवल अनुपूरक अनुदान का मामला है। मैं इस मामले को अधिक नहीं बढ़ाना चाहता। केवल प्रश्न यह है कि क्या 23.55 लाख रुपये की यह राशि निकाली गई है और व्यय की गई है?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : यह बचत में से व्यय की गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ मंत्री जी ने कहा है मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं किन्तु इसके लिए उन्हें स्वय जिम्मेदार होना पड़ेगा । मूल अनुदान की राशि 27.45 लाख रुपये थी । क्या आप कहेंगे कि 23.55 लाख रुपये की बचत हुई है ।

श्री सेझियान : कोई बचत नहीं हुई है । समूचे वर्ष के लिए कितना अनुदान मिला ? वर्ष 1974-75 के लिए बजट प्राक्कलन 27.45 लाख रुपये था और संशोधित प्राक्कलन 61.98 लाख रुपये का । अतः किसी भी प्रकार की बचत नहीं हुई है । किन्तु वर्ष 1975-76 के लिए बजट प्राक्कलन 48 लाख रुपयें है । जिन चार मद्दों पर 23.55 लाख रुपया व्यय हुआ है, उनका बजट प्राकलन में कहीं भी उल्लेख नहीं था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री को एक सलाह देना चाहता हूं । यदि वह गलत वक्तव्य देतें हैं--मैं नहीं कहता कि यह वक्तव्य गलत है--और यदि वह अनजाने में भी ऐसा करत ह तो भी उन्हें क्षमा याचना करनी होगी और यदि वह जानबूझकर ऐसा करतें हैं तो यह एक गम्भीर बात हो जाती है, क्योंकि यह विशेषाधिकार का प्रश्न बन जाता है । अतः उन्हें चाहिये कि पहले आंकडों को जांच कर ले और फिर एक निश्चित वक्तव्य दें अन्यथा कठिनाई में फंस जायेंगे । इसलिये मंत्री महोदय को मेरा परामर्श है कि वह अपने आप को खतरे में न डाले तथा पहले यह निश्चित करके कि उन का कथन सही हैं, तब सभा में वक्तव्य दें । यदि बाद में यह सिद्ध हो गया कि उन्होंने जान-बूझकर सभा को गुमराह किया है, तो यह गम्भीर मामला हो जायेगा ।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मरा सुझाव यह है...

उपाध्यक्ष महोदय : ये व्यवस्था के प्रश्न हैं । हमने अभी चर्चा आरम्भ नहीं की है ।

Shri Phool Chand Varma (Ujjain) **:** You can adjourn the House for one hour (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह चाहें तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, न कि अपनी मर्जी से ।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) **:** महोदय, मेरा निवेदन है कि समूचा प्रश्न यह है कि लोकसभा इस अनुदान को स्वीकृति दे सकती है अथवा नहीं । मेरे विचार में महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि मांग किस प्रकार से प्रस्तुत की गई है, अपितु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि लोकसभा को इस मांग को स्वीकार करनें का अधिकार है अथवा नहीं ।

हो सकता है कि अध्यक्षपीठ मुझ से सहमत न हो, परन्तु इस समूचे मामले का निचोड़ यह है कि लोक सभा अनुच्छेद 116(ग) के अधीन इस अनुदान को स्वीकृति देने के लिये सक्षम है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) **:** महोदय, आप पहले ही इस बारे में विनिर्णय दे चुके हैं । प्रश्न लोक सभा की सक्षमता का नहीं है 'अपितु प्रश्न यह है कि सरकार-उस वित्तीय प्रणाली का पालन नहीं किया, जो संविधान के अन्तर्गत उसे करना चाहिये था ।

श्री एच० के० एल० भगत : मेरा निवेदन यह है...

उपाध्यक्ष महोदय : मैंनें आप की बात सुन ली है । आप के कथन का सार यह है कि लोक-सभा किसी भी अनुदान को स्वीकृति देने में सक्षम है । मैं इस बात से सहमत हूं ।

मैं इस बात से भी सहमत हूं कि सभा किसी असामान्य अनुदान को भी स्वीकृति प्रदान कर सकती है। परन्तु मेरी कठिनाई यह है कि हम किसी असामान्य अनुदान पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम अनुपूरक अनुदान पर चर्चा कर रहे हैं।

मैं समझता हूं अनुपूरक अनुदान दो रूप से दिया जा सकता है। पहले तरीका यह है कि किसी चालू सेवा के लिये अतिरिक्त राशि दी जाये, क्योंकि दी गई राशि पर्याप्त नहीं है। दूसरा तरीका यह है कि किसी नई सेवा के लिये अनुदान दिया जाये। परन्तु समूचे मामले का सार यह है विनियोग निधि द्वारा विनियमित राशि से एक पैसा भी अधिक खर्च नहीं किया जा सकता। इसलिये यदि यह अनुपूरक अनुदान है, तो भी इस खर्च किये जाने से पूर्व सभा की स्वीकृति अनिवार्य है।

इसलिये मैं मंत्री महोदय से कह रहा हूं कि वह आंकड़ों के बारे में जल्दी न करें। इस बात को मानते हुए कि सभा को किसी अनुदान को स्वीकृति देने के सम्बन्ध में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है, यह सुनिश्चित करना भी मेरा कर्तव्य है कि सभा के समक्ष जो अनुदान भी लाया जाये, वह समुचित रूप में हो। यदि सभा के समक्ष ठीक रूप में अनुदान नहीं लाया जाता, तो मैं सभा से यह कैसे कह सकता हूं कि वह इस ओर ध्यान न दे।

श्री प्रणव कुमार मुकर्जी : महोदय, माननीय सदस्य का कहना है कि हम ने अनुदान से अधिक राशि खर्च की है। परन्तु मेरा कहना है कि हम अनुदान से अधिक राशि खर्च नहीं की है। मूल अनुदान 27.45 लाख रुपये का था तथा अनुपूरक अनूदान 9.75 लाख रुपये का और हम 24.78-लाख रुपये की मांग कर रहे हैं। कुल जो 61.98 लाख रुपये है जिसे माननीय, सदस्य ने पुनरीक्षित अनुमान बताया है। ईस में स 13.7 लाख रुपये खर्च किये गये है अतः यह सच नहीं है कि वास्तविक अनुदान से अधिक राशि खर्च की गई है।

श्री सेझियान : मुझे पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। नई सेवा के बारे में क्या स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय : नई सेवा के बारे में मैं ने कहा है कि यह केवल उपशीर्षक हैं और मैं मंत्री महोदय की इस बात को स्वीकार करता हूं कि ये उस सेवा के उपशीर्षक ह, जिन के लिये सभा पहले ही स्वीकृति प्रदान कर चुकी है। हमें इस सीमा तक नहीं जाना चाहिये कि सरकार एक सेवा जिसके लिये मंजूरी दी जा चुकी है, के उपशीर्षकों पर खर्च न कर सके।

उस पत्र की प्रति मेरे समक्ष है जो सरकार ने श्री सेझियान को लिखा था। यह पत्र दिनांक 18 मार्च, 1975 का है, जिसमें यह बताया गया है कि सूखा राहत उपायों पर, जिन के लिये 23.55 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया था, 13.63 लाख रुपये खर्च किए गये हैं।

मंत्री महोदय ने यही कहा है कि मूल अनुदान तथा अनुपूरक अनुदान मिला कर कुलराशि 13.63 लाख रुपये होती है। उनका कथन है कि 13.63 लाख रुपये की राशि बचत में से खर्च की गई है।

श्री सेझियान : यदि यह सच है कि राशि बचत में से खर्च की गई है, तो फिर अनुपूरक अनुदान की क्या जरूरत थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हू कि बात स्पष्ट है। उन्होंने कहा है कि धन बचत में से खर्च किया गया है और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं।

दूसरे यदि वे कहते हैं कि उन्हें और अधिक धन चाहिये और वे अधिक धन की मांग करते हैं, तो हम इस पर कैसे आपत्ति कर सकते हैं।

लेखानुदान के बारे में नरम रवैया अपनाता हूं। यद्यपि यह आवश्यक था कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये था कि इस राशि से कोई नई सेवा आरम्भ नहीं की जायेगी, तथापि मैं इस लिखा-पढ़ी को गलती मानता हूं। हम पांडिचेरी बजट को ले सकते हैं।

पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की वर्ष 1975-76 की लेखानुदानों की निम्नलिखित मांग प्रस्तुत की गई

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपये)	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	2	4	5
1	विधान सभा	2,06,000	..
2	प्रशासक	4,000	..
3	मंत्रिपरिषद्	2,33,000	..
4	न्याय-प्रशासन	6,08,000	..
5	निर्वाचन	1,84,000	..
6	राजस्व	20,02,000	..
7	विक्रय-कर	3,19,000	..
8	यानों पर कर	68,000	..
9	सचिवालय	8,73,000	..
10	जिला प्रशासन	18,20,000	1,29,000
11	खजाना और लेखा प्रशासन	5,86,000	..
12	पुलिस	32,92,000	..
13	जेल	1,68,000	
14	लेखन-सामग्री और मुद्रण	5,21,000	.
15	प्रकीर्ण प्रशासनिक साधारण सेवाए	3,65,000	..
16	सेवानिवृत्ति फायदे	9,24,000	..
17	लोक निर्माण	87,69,000	56,88,000
18	शिक्षा	1,38,22,000	13,000

1	2	3	4
19	चिकित्सा	71,14,000	..
20	सूचना और प्रचार	3,59,000	..
21	श्रम और रोजगार . .	5,22,000	..
22	समाज कल्याण .	22,76,000	13,000
23	सहकारिता .	7,50,000	5,32,000
24	प्रकोर्ण साधारण आर्थिक सेवाएं . .	3,33,000	..
25	कृषि . . .	37,00,000	2,44,000
26	पशु पालन	7,19,000	83,000
27	मोन उद्योग . . .	18,75,000	21,000
28	सामुदायिक विकास . . .	15,22,000	35,000
29	उद्योग . .	3,78,000	5,22,000
30	खाद्य और पोषण	1,23,000	..
31	विद्युत . . .	84,83,000	38,16,000
32	पत्तन और नौ-चालन . .	1,89,000	1,22,000
33	सरकारो सेवकों को उधार . .	..	11,94,000

पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की वर्ष 1974–75 की अनुदानों की निम्नलिखित अनुपुरक मांग प्रस्तुत की गई

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		रुपये	रुपये
1	2	3	4
4	न्याय प्रशासन . . .	64,000	..
5	चुनाव	2,000	..
6	राजस्व	24,78,000	..
7	बिक्री कर .	30,000	..
8	गाड़ियों पर कर	7,000	..
9	सचिवालय	76,000	..

1	2	3	4
10	जिला प्रशासन	39,000	..
11	राजकोष और लेखा प्रशासन . .	58,000	.
12	पुलिस . . .	2,89,000	..
13	जेलें	13,000	..
14	लेखन सामग्री और मुद्रण . .	22,000	
15	विधि प्रशासनिक सामान्य सेवाएं . .	8,000	..
17	लोक निर्माण	7,73,000	1,63,000
18	शिक्षा	13,27,000	..
19	चिकित्सा	3,32,000	..
20	सूचना और प्रचार . .	17,000	..
21	श्रम और नियोजन .	34,000	..
30	खाद्य और पोषाहार . .	13,000	
32	बन्दरगाह और नौ-चालन . . .	13,000	..

पांडिचेरी बजट 1975-76 की लेखानुदानों की मांगों के सम्बंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौति का आधार	कटौति को राशि
1	2	3	4	5
4	1	(श्री अरविंद बाला पजनौर :	पांडिचेरी में एक उच्च न्याया-लय न्यायिक आयोग स्थापित करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपय घटा दिए जाए
5	2	,,	बिना किसी कारण के चुनावों को टाला जाना।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए
	3		तुरन्त चुनाव कराने की आवश्यकता	राशि में से 100 रुपय घटा दिए जाए
6	4	,,	पांडिचरी में कराधान तंत्र द्वारा वसूली और सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मानवीय दृष्टिकोण को महत्व देने में असफलता।	

1	2	3	4	5
8	5	श्री अरविंद बाला पजनौर :	वाहनों पर नये कर तथा उनका जन-साधारण पर बोझ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाए
9	6	,,	तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन से उत्पन्न विषमताओं को दूर करने की आवश्यकता।	,,
11	7	,,	लेखाओं के समुचित प्रबंध में प्रशासन की असफलता।	,,
12	8	,,	पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र मे पुलिस बल का पुनर्गठन।	,,
17	9	,,	पाण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्र मे सड़कों की खराब हालत।	,,
18	10	,,	शिक्षा विभाग के लिए तीसरे वेतन आयोग के वेतनमानों की घोषणा करने मे असफलता।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
18	11	,,	अध्यापकों और कालेज के प्रोफेसरों के वेतनों मे विषमताएं तथा उनकी दयनीय स्थिति।	राशि मे से 100 रुपये कम किये जायें।
19	12	,,	प्रत्येक गाव में नये स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता	,,
21	13	,,	बेरोजगारी की समस्या को हल करने मे असफलता।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये
22	14	,,	बेरोजगारी की भीषणता।	राशि मे से 100 रुपये कम किये जायें।
32	15	,,	कराकल पर एक बन्दरगाह की आवश्यकता।	

***श्री जगदीश भट्टाचार्य** (घाटल) : महोदय यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस बजट को पाण्डिचेरी विधान सभा द्वारा पास किया जाना चाहिये था, उसे इस सभा में पास किये जाने के लिये रखा जा रहा है। गत चुनाव के बाद पाण्डिचेरी में एक प्रतिनिधि सरकार बनाई गई थी जो अधिक समय तक नहीं चल सकी। परंतु उसके बाद वहां कोई चुनाव नहीं हुए और कोई प्रति-

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English Translation of the speech delivered in Bengali.

निधि सरकार नहीं बनाई गई । इस का क्या कारण है ? पाण्डिचेरी छोटा सा क्षेत्र है जिस की जनसंख्या 4,71,707 है । मैं समझता हूं कि वहां चुनाव कराने के लिये पांच अथवा छ: दिन की तैयारी काफी है, लेकिन फिर भी वहां चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं । पाण्डिचेरी की भांति गुजरात में भी चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं । गुजरात के बारे में तो सरकार कहती है कि कुछ राजनीतिक आन्दोलनों तथा सूखे जैसी दैवी विपदाओं के कारण वहां चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं, परन्तु मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि पाण्डिचेरी में चुनाव क्यों नहीं कराये जा रहे हैं । वास्तविकता यह है कि सत्तारूढ दल अपने लिये वहां की परिस्थितियां अनुकूल नहीं समझता और इसलिये वहां चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं ।

इस गजट को वहां प्रशासन चलाने वाले नौकरशाहों द्वारा बनाया गया है तथा मंत्री महोदय का इस में कोई योगदान नहीं है । यह बजट वहां की जनता तथा प्रतिनिधियों की आशाओं के अनुकूल नहीं है । अभी हाल में जिन अन्य राज्यों के बजट इस सभा द्वारा पास किये गये है उन में उन राज्यों के संसद् सदस्यों से विचार विमर्श करके वे बजट तैयार किये गये । परन्तु पांण्डिचेरी का सभा में केवल एक ही सदस्य है तथा वह समूचे लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता । ईसलिये मैं बिना हिचकिचाहन के कह सचता हूं कि यह बजट वहा के लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं तथा इच्छाओं के अनुसार नहीं है ।

महोदय जैसा कि आप को ज्ञात है, पाण्डिचेरी में अरविन्द आश्रम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छों कार्य कर रहा है । उस ने वहां के लोगों के पुनर्वास तथा वहां कुटीर उद्योग स्थापित करने की योजना बनाई है । मैं समझता हूं कि ऐसी संस्था द्वारा किये गये अच्छे कार्य की सराहना करना ही काफी नहीं है, अपितु राज्य सरकार को उसे वित्तीय सहायता भी देनी चाहिये ।

पाण्डिचेरी एक छोटा सा पत्तन है । वहां सागर शांत रहता है । वहां कई शराब की दुकान खुल गई हैं और विदेशी शराब का बहुत इस्तेमाल होता है । तस्करी द्वारा विदेशी शराब वहां लाई जाती है । इसे बन्द किया जाना चाहिये । शराब की दुकानें खोलने के अनगणित लाइसेंसों के प्रश्नों पर भी विचार किया जाना चाहिये । इस प्रकार की दुकानों की संख्या कम की जानी चाहिये ।

मैं बजट में दी गई विभिन्न मांगों का विस्तृत उल्लेख नहीं करना चाहता, क्योंकि ईस में कोई नई बात नहीं है । हम ने केन्द्र और विभिन्न राज्यों के बजट देखे हैं । इन बजटों से लोगों का कोई भला नहीं हुआ है । पाण्डिचेरी का वर्तमान बजट भी इसी प्रकार का है ।

Shri Phool Chand Verma : Mr. Speaker, Sir, the term of the President's Rule has been extended in Pondicherry for the fourth time and that is why this Budget has been presented here. This shows the thinking of the Government. The truth of the matter is that the ruling party does not feel that the present situation in Pondicherry is not favourable to them otherwise they would have taken no time in holding election there. The ruling party is in hot waters in Pondicherry and that is why the term of President's rule has been extended for a further period of six months.

In Gujarat also election are not being held on the protext of famine and drought. But the actual position is quite different altogether. The citizens in Gujrat are being deprived of their rights and the budget that should have been passed by their representatives in the Assembly is being passed here. The President's rule is being extended again and again for a period of six months. This is against the spirit of democracy.

No doubt Pondicherry is a small area but it's development is of paramount importance. At present medical and other facilities are not available to the people there. Had there been the representative Government there, that Government would have work hard to meet the aspirations of the people. But unfortunately the people themselves are being deprived of their fundamental rights and Presideut's rule is being extended again and again. It is murder of democracy. The elections should be held there as early as possible.

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटुर) : हम यह मांग करते आ रहे हैं कि पांडिचेरी में चुनाव कराये जायें तथा प्रजातंत्रीय सरकार कायम की जाये ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके क्योंकि प्रजातंत्रीय सरकार ही लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकती हैं।

वहां की अनेक समस्याओं का समाधान काफी समय से नहीं हो रहा है। उदाहरणत: मार्च 1970 में सरकार ने घोषणा की थीं कि वहां के सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतनमान दिये जायेंगे। इन्हें करने का एक अवसर और दिया जाये।

पांडीचेरी में रेल सुविधायें प्रदान करने की ओर रेलवे प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पांडीचेरी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुये वहां के लिये आवश्यक रेल सुविधायें प्रदान की जानी चाहियें।

बिजली के लिये हम मुख्यत: तमिलनाडू पर निर्भर करते हैं। बिजली केरल से तमिलनाडू होकर आ रही है। चार वर्ष पहले पांडीचेरी के लिये एक तापीय बिजली कारखाने का प्रस्ताव था। 1973 में प्रस्ताव तथा प्रतिवेदन भेजने के बाद केन्द्रीय सरकार से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। बजट के कागजातों से प्रतीत होता है कि सरकार का विचार तापीय बिजली संयंत्र बनाने का नहीं है।

अरियंगुप्पन एक दूसरी परियोजना है। कुछ सदस्यों ने पत्तन सुविधाओं के बारे में चर्चा की है। उर्वरक को मद्रास तथा कुंडालौर में उतारने के बजाय आर्थिक दृष्टि से यह अधिक अच्छा है यदि कुछ मात्रा पांडिचेरी में भी उतारी जाये। अरियंगुप्पन नदी का पूरा उपयोग किया जा रहा है और हम घाट भी बना सकते हैं। लेकिन योजना में इसका कोई जिक्र नहीं है।

लोग सूखे से पीड़ित हैं। पांडीचेरी सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है। केन्द्रीय सरकार ने 38 लाख रुपये देने के लिये कहा है। बाद में यह राशि घटाकर 23.55 लाख रुपए की गयी। हमारी सरकार को सूखे की राहत की योजना के अंदर ही समायोजित करने के लिय बाध्य होना पड़ा।

पांडिचेरी के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए इसकी बहुत मांग है

पांडीचेरी औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। वहां एक औद्योगिक विकास निगम है। लेकिन उस निगम के लिये पर्याप्त राशि का नियतन नहीं किया जाता, पांडीचेरी की समस्याओं की जांच करने के लिए उधर एक आयोग भेजा जाना चाहिये वेतनमानों को कुछ विभागों में तो लागू किया गया लेकिन कुछ विभागों में लागू नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकार के पांडीचेरी स्थित प्रेस के कर्मचारियों को ये वेतनमान नहीं दिये गये। उन्होंने अनेक ज्ञापन भेजे और नवम्बर, 1974 में गृह मंत्रालय ने पांडीचेरी के वित्त विभाग को सूचित किया कि ये वेतनमान केन्द्रीय सरकार के प्रेस के कर्मचारियों पर भी लागू किये जायेंगे। सरकार ने 4½ वर्ष में यह निर्णय लिया। इसलिए ये वेतनमान पिछली तिथि से लागू होने चाहिए। इन कर्मचारियों को उस तारीख से वेतनमान क्यों नहीं दिये जाते जब से पांडीचेरी के कर्मचारियों को दिये गये हैं? मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये और देखना चाहिये कि इस प्रकार का अन्याय दूर किया जाये।

आज सारा दक्षिण भारत सूखे की भयंकर स्थिति से गुजर रहा है और हम अकाल की स्थिति का सामना भी कर रहे हैं। पेयजल सुविधाएं देना, लोगों को सूखे की राहत देना तथा कर्मचारियों को सूखों सम्बन्धी अग्रिम धन तथा राहत देना, ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मंत्री महोदय को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ये समस्याएँ हल की जायें तथा इस बजट द्वारा इनका हल हो।

पांडीचेरी के चुनावों में और अधिक देर नहीं होनी चाहिये। जब तक लोगों को अपनी सरकार का चुनाव करने का अवसर नहीं मिलेगा उस समय तक स्थिति बिगड़ती ही जायेगी। पांडीचेरी में नौकरशाही प्रशासन समाप्त होना चाहिये।

श्री अरविंद बाला पजनौर (पांडिचेरी) : प्रजातंत्र के प्रति जो भावना होनी चाहिये उसे हम भूल रहे हैं। हम चुनाव के लिये कहते आये हैं और हमने ज्ञापन के बाद ज्ञापन भेजें। जब तक सरकार चुनाव कराने का निश्चय नहीं करती उस समय तक पांडीचेरी में कोई भी प्रजातंत्र नही होगा।

कुछ लोगों ने कहा है कि पांडीचेरी की नौकरशाह सरकार के कारण ही हमारी समस्याओं की उपेक्षा की गयी है। वास्तविकता यह है कि वहां के नौजवान अधिकारियों को कुछ कर्तव्य निभाने के लिये बाध्य किया जाता है। यदि वे उन कर्तव्यों को नहीं निभाते तो उन्हें वापस भेजा जाता है। नौकरशाह सरकार ही दोषी नहीं है। केन्द्रीय सरकार भी वर्तमान स्थिति के लिये जिम्मेवार है।

पांडीचेरी को एक पूर्ण राज्य माना जाये। भारत सरकार किन्हीं कारणों से इस मांग का विरोध कर रही है। जब हम गृह मंत्री से मिले तो उन्होंने वित्तीय क्षमता के बारे कहा और जब हम वित्त मंत्री को मिल तो उन्होंने भिन्न उत्तर दिया। इस मांग को पूरा किया जाना चाहियें।

पांडीचेरी कानूनी तौर पर 1962 में भारत में विलीन हुआ लेकिन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम अभीतक भी पांडीचेरी पर लागू नहीं किया गया है।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम ईसाईयों पर लागू नहीं है, जो सिविल कोड के अन्तर्गत नहीं आते हैं। हिन्दू विवाह अधिनियम भी उन पर लागू नहीं है। जो ईसाई महिलायें अपनी नागरिक प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ती उन्हें अपनी सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है और वह स्थिति बहुत पहले से चलती आ रही है। हम इस साधारण बात के बारे काफी समय से कहते आ रहे हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार इस पर कोई भी विचार नहीं कर रही है।

1965 में फ्रांस के भूतपूर्व कर्मचारियों ने अपने भविष्य के बारे कोई कल्पना नहीं की थी। उन्होंने केवल फ्रांस के वेतनमानों के लिये अपनी इच्छायें प्रकट कीं और उनमें से कुछ ने मद्रास के वेतनमानों के लिये कीं। बाद में जब केन्द्रीय योजना लागू की गयी तो यह उनके लिये लाभदायक सिद्ध हुई। अत: उन्हें अपनी इच्छायें प्रकट करने का अवसर दिया गया और उनमें से अधिकांश ने भारतीय वेतनमानों के लिये अपनी इच्छायें प्रकट कीं। इच्छा प्रकट करने का दूसरा अवसर 1968 अथवा 1969 में दिया गया। पांडीचेरी, करायीकल, माहे तथा यानम स्थित फ्रांस के भूतपूर्व कर्मचारियों को भारतीय वेतनमान के लिये इच्छा प्रकट की।

Dr. Kailas (Bombay South) : The economic condition of the people of the Pondicherry is bad. They are not getting even the basic necessities of their life. The popular government will be in a better position to look into the

problems of the people. The Minister should tell us as to why elections are being delayed in Pondicherry. What are the reasons for continuing Presidents rule there ? Whether delimitation work has since been completed there ? In case the Election Commission has not completed delimitation work there it should be completed immediately.

[श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी पीठासीन हुए ।
SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI *in the chair.*]

A port should be developed i1 Pondicherry. This will help in the expeditious economic development in Pondicherry.

The Industrial Development Corporation in Pondicherry has not been able to function effectively because of lack of funds. Unless adequate money is provided to the Corporation, it will not be able to do any useful work. Due attention should be given to this matter.

The lot of teachers in Pondicherry should also be improved. In view of the special political, moral and cultural considerations, Pondicherry should be given the status of statehood. Attention should also be given to for the export of coconut and coffee from Pondicherry.

In Pondicherry, seventy percent of the budget is spent on non-plan expenditure. The rest of 30 percent is to be spent on schemes which are already in progress but no provision has been made for new schemes.

Elections in Pondicherry should be held at the earliest so that people can have a popular Government which can look after the needs of the masses in a better way. More funds should be provided to hondicherry so that it can develop properly.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरे अपने राज्य गुजरात के बजट पर चर्चा स्थगित करके, पांडिचेरी बजट पर चर्चा को पहले ले लिया गया है। खैर संसद की सभा सर्वोच्च है। अब जहां तक पांडिचेरी का सवाल है, यह प्रसन्नता की बात है कि सत्ताधारी कांग्रेस तथा साम्यवादी दल के सदस्यों ने भी पांडिचेरी में शीघ्र चुनाव करवाने की मांग की है। मुझे आशा है कि गुजरात के बारे में भी यह लोग ऐसा रवैया अपनायेंगे ।

मेरे माननीय मित्र श्री अरविंद बाल पजनौर ने पांडिचेरी के लोगों की दयनीय दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। उनका तथा डा० कैलास का यह कहना ठीक ही है कि पांडिचेरी की निरन्तर उपेक्षा की जाती रही है। वहां गरीबी ने बहुत ही भीषण रूप धारण कर रखा है ।

पांडिचेरी में चुनाव शीघ्र करवाये जाने चाहिये। वहां मतदाता सूचियां तैयार हैं। हम यह चाहते हैं कि सत्ताधारी दल को यह चिंता नहीं करनी चाहिये कि कौन सत्ता ग्रहण करता है, परन्तु सरकार को तो वहां चुनाव करवा, लोगों को लोकप्रिय सरकार देकर, अपने दायित्व का पालन करना चाहिये। राजनीति की अपेक्षा लोकहित को अधिक महत्व दिया जाना चाहिये ।

पांडिचेरी में भयंकर सूखे की स्थिति भी है। वैसे तमिलनाडु तथा दक्षिण भारत में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। इन परिस्थितियों में यदि लोगों को लोकप्रिय सरकार दी जाये, तो उनके जनप्रतिनिधि ऐसी स्थिति में उनकी समस्याओं का समाधान और अधिक कारगर ढंग से कर सकेंगे। ऐसी परिस्थितियों में स्वस्थ लोक तांत्रिक परिपाटियों का परित्याग नहीं किया जाना चाहिए ।

पांडिचेरी में भी गुजरात के तरह दो शिक्षकों को स्थिती बहुत दयनीय है। कालेज के प्रोफेसरों को पर्याप्त वेतन नहो दिया जाता है। आज यदि वहां लोकप्रिय सरकार होती तो वह नौकरशाही को अपेक्षा अधिक सशक्त रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करती ।

हमें ऐसा पता चला है कि केन्द्र ने पांडिचेरी के लिए एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की स्वीकृति दे दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह विद्यालय शीघ्र खोलने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं। पांडिचेरी में सड़के अपर्याप्त है तथा जो सड़कें वहां है उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। इसी प्रकार राज्य मे स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या भी पर्याप्त नहीं है। इस ओर भी उपयुक्त ध्यान दिया जाना चाहिये। भारत सरकार को कराइकल के विकास की ओर भी उचित ध्यान देना चाहिये ।

पांडिचेरी को अरविन्द आश्रम होने का गौरव प्राप्त है। वहां 'ओरोविलो' नामक एक विशिष्ट प्रकार की संस्था भी है। इस संस्था के लिए यूनेस्को आदि अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से धन आता है। हम चाहते है कि पांडिचेरी की आम जनता की हालत सुधारने की ओर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिये ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मेरे से पूर्व के जिन वक्ताओं ने पांडिचेरी में शीघ्र चुनाव करवाने की बात की है, मैं उनका समर्थन करता हूं। कारण यदि कुछ भी रहा हो मार्च 1973 में . . .

श्री एन० एम० गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) कारण स्वय आप ही है ।

श्री सेझियान : कारण केवल मैं ही नहीं हूं। पांडिचेरी में सरकार के पतन का कारण मेरे साथ साथ आप भी है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव को कांग्रेस सदस्यों का समर्थन भी प्राप्त था और कांग्रेस सदस्यों की संख्या, हमारे दल से अधिक थी ।

पांडिचेरी में चुनाव कराये जाएं तथा वहां शीघ्र ही लोकप्रिय सरकार स्थापित की जाये। यह अलग बात है कि चुनावों में मेरे दल को संख्या प्राप्त हो या न हो। मैं तो यह चाहता हूं कि हमें दलगत तथा व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा, स्वस्थ्य लोकतांत्रिक परम्पराओं को स्थापना करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिये। जहां राष्ट्रपति राज्य रहेगा वहां नौकरशाही प्रगति करती रहेगी। अत: मेरा पुन: यही अनुरोध है कि पांडिचेरी में चुनाव शीघ्रातिशीघ्र करवाये जाने चाहिये ।

पांडिचेरी में राष्ट्रपति का शासन लागू रखने के लिए वहां का प्रशासक दो बार अपनी रिपोर्ट भेज चुका है। मैं चाहता हूं कि यह रिपोर्ट सभा को दिखाई जानी चाहिये ताकि हमें यह मालूम हो सके कि किन आधारों पर राष्ट्रपति का शासन लागू रखने की सिफारिश की गई है।

14 मार्च को मने इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय को एक पत्र लिखा था जिसमें मैंने प्रशासक के प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। जब किसी राज्य को राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत लाया जाता है तो इस सभा को उस राज्य की विधान सभा के रूप में कार्य करना चाहिये लेकिन यह सभा उस विधान सभा के अधिकारों को दबाती है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है ।

आप कह सकते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम में ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्रशासक के प्रतिवेदन को सभापटल पर रखा जाये। यह तकनीक की बात हो सकती है, परन्तु लोकतांत्रिक नहीं ।

जहां तक योजना में राशि आंबटित करने का प्रश्न है पांडिचेरी के साथ न्याय नहीं किया गया है। पांचवीं पांच वर्षीय योजना में पहले यह राशि 32 करोड़ रुपये रखी गई थी। पर अब तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों से वेतनमान में वृद्धि के कारण यह राशि 40 करोड़ पये हो जाने की आशा है। इस प्रकार इस राशि का औसत 8 करोड़ रुपये होता है जो राज्य को प्रतिवर्ष मिलना चाहिये लेकिन 1974-75 और 1975-76 में क्रमश: 5.29 करोड़ और 5.11 करोड़ रुपये ही दिये गये हैं।

प्रशासक और अधिकारी पांडिचेरी का उपयोग अपनी पदोन्नति के लिये कर रहे हैं। यह राज्य के हित में नहीं है।

पांडिचेरी का एक अलग केडर बनाया जाये जिससे ईस केडर के अधिकारियों का राज्य की समस्याओं से कु संबंध रहे

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं माननीय सदस्यों के साथ में इस बात से सहमत हूं कि अच्छा यही होता यदि पांडिचेरी की समस्याएं वहां की विधान सभा मेही सुलझा ली जातीं लेकिन आप को पता ही कि किन परिस्थितियों में संघराज्य क्षेत्र को निर्वाचित सरकार कार्य नहीं कर पायी। उसकी असफलता के कारणों की खोज करना निरर्थक है।

चुनाव शीघ्र कराने के सम्बन्ध में सरकार की स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। हम उसके विरूद्ध नहीं है। परन्तु उस क्षेत्र की मूल समस्याओं पर विचार किया जाना चाहिये। वहां पड़े अभूतपूर्व सूखे को देखना है और किये जा रहे विभिन्न राहत कार्यों को चलाना है और उसके साथ ही सामान्य स्थिति को लाना है जिससे चुनाव हो सके।

केन्दीय विश्वविद्यालय का उल्लेख किया गया है। यह ध्यान में है परन्तु यह विचार करना है कि यदि शिक्षा मंत्रालय उसे चालू करता है तो सारा व्यय वह उठायेगा, पांडिचेरी प्रशासन अथवा संघ राज्य क्षेत्र से उसका कोई सम्बन्ध नहीं। शिक्षा मंत्रालय उस पर विचार कर रहा है।

संघ राज्य क्षेत्र का पूरा घाटा के उठा रहा है। राजस्व के घाटे, की सहायता द्वारा पूरा किया जा रहा है और पूंजीगत घाटे को ऋणों द्वारा पूरा किया जायेगा।

यह सही है कि योजना में लोगों की आशा के अनुकूल रुपया नहीं दिया जा सका परन्तु उसमे चालू वर्ष के लिये कुछ लाख रुपयों की वृद्धि कर पाये हैं। गत वर्ष यह 4.45 करोड़ था जबकि इस वर्ष वह राशि 5.14 करोड़ रुपये है। यह सहायतानुदान के रूप में या ऋण के रूप में दिया गया है।

तापीय बिजली परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट इस मास के अन्त तक मिलने की आशा है। इसके बाद ही सरकार कोई निर्णय ले पायेगी। अरियांकुप्पमे पत्तन परियोजना सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन भी पूरा किया जाना है। जैसे ही उसे अन्तिमरूप दिया जायेगा तो सरकार कोई निर्णय ले लेगी।

यदि केन्दीय क्षेत्र की ये दोनों परियोजनाएं जिनमे बहुत अधिक निवेश किया जाना है, आरम्भ की जाती हैं तो निस्सदेह सारा खर्च केन्दीय सरकार वहन करेगी।

श्री सेझीयान ने अधिसूचना और संघ राज्य के प्रशासक द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट, सभा पटल पर रखे जाने की बात उठायी थी। मैंने पहले भी इस सम्बध्र में कानूनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी।

जब 356 के अन्तर्गत किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तब तो राज्यपाल की सिफारिशें और अधिसूचना सभा पटल पर रखीं जातीं हैं परन्तु यह संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत किया गया है इसलिये इसके लिये ऐसी कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय : श्री पजनौर, क्या आप चाहते है कि आपके कटौती प्रस्ताव पर मत-विभाजन हो ?

श्री अरविंद बाला पजनौर : मैं चाहता हूं कि कटौती प्रस्ताव संख्या 2 के लिये मत-विभाजन करावा जायें।

सभापति महोदय : मैं श्री अरविंद बाला पजनौर का कटौती प्रस्ताव संख्या 2 सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

अब प्रश्न यह है :

'कि निर्वाचन शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ5) को कम करके 1 रुपया कर दिया जाये।"

[बिना किसी कारण निर्वाचन स्थगित किया जाना]

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

The Lok Sabha Divided :

पक्ष मे – 18	Ayes—18
विपक्ष मे – 63	Noes—63

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

सभापति महोदय : अब मैं सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The cut motions were put and negatived.

अब मैं अनुदानों की मांग रखता हूं।

प्रश्न यह है :

सभापति महोदय द्वारा निम्नलिखित अनुदानों की मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

The following Demands for grants were put and adopted:

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
1	2	3	4
1	विधान सभा	2,06,000	..
2	प्रशासक	4,000	..
3	मंत्रि-परिषद्	2,33,000	..
4	न्यायप्रशासन	6,08,000	..
5	निर्वाचन	1,84,000	..
6	राजस्व	20,02,000	..
7	विक्रय-कर	3,19,000	..
8	यानों पर कर	68,000	
9	सचिवालय	8,73,000	..
10	जिला-प्रशासन	18,20,000	4,29,000
11	खजाना और लेखा-प्रशासन	5,86,000	..
12	पुलिस	32,92,000	..
13	जेल	1,68,000	
14	लेखन-सामग्री और मुद्रण	5,21,000	.
15	प्रकीर्ण प्रशासनिक साधारण सेवाएं	3,65,000	..
16	सेवानिवृत्ति फायदे	9,24,000	..
17	लोक निर्माण	87,69,000	56,88,000
18	शिक्षा	1,38,22,000	13,000
19	चिकित्सा	71,14,000	..
20	सूचना और प्रचार	3,59,000	..
21	श्रम और रोजगार	5,22,000	..
22	समाज कल्याण	22,76,000	13,000
23	सहकारिता	7,50,000	5,32,000

1	2	3	4
24	प्रकीर्ण साधारण आर्थिक सेवाएं . .	3,33,000	..
25	कृषि	37,00,000	2,44,000
26	पशु पालन	7,19,000	83,000
27	मीन उद्योग	18,75,000	21,000
28	सामुदायिक विकास . . .	15,22,000	35,000
29	उद्योग	3,78,000	5,22,000
30	खाद्य और पोषण . . .	1,23,000	..
31	विद्युत	84,83,000	38,16,000
32	पत्तन और नौ-चालन . . .	1,89,000	1,22,000
34	सरकारी सेवकों को उधार . .		11,94,000

सभापति महोदय द्वारा निम्नलिखित अनुदानों की अनुपूरक मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

The following supplementary Demands for Grants were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	2	3	4
4	न्याय-प्रशासन	64,000	..
5	चुनाव	2,000	..
6	राजस्व	24,78,000	
7	बिक्री कर	30,000	..
8	गाड़ियों पर कर . . .	7,000	..
9	सचिवालय	76,000	..
10	जिला प्रशासन . . .	39,000	..
11	राजकोष और लेखा प्रशासन . .	58,000	..
12	पुलिस . . .	2,89,000	..

1	2	3	4
13	जेले . . .	13,000	..
14	लेखन सामग्री और मुद्रण . .	22,000	..
15	विधि प्रशासनिक सामान्य सेवाएं . .	8,000	..
17	लोक निर्माण . .	7,73,000	1,63,000
18	शिक्षा . .	13,27,000	..
19	चिकित्सा . . .	3,32,000	..
20	सूचना और प्रचार . .	17,000	..
21	श्रम और नियोजन .	34,000	..
30	खाद्य और पोषाहार . .	13,000	..
32	बन्दरगाह और नौ-चालन . .	13,000	..

पांडिचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1975

PONDICHERRY APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1975

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1975-76 के एक भाग की सेवाओ के लिये पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि वित्तीय वर्ष 1975-76 के एक भाग की सेवाओं के लिये पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Tae Motion was Adopted

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अरविंद बाला पजनौर (पंडिचेरी) : मैं पहले आप को पर्ची नहीं भेज सका।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1975-76 के एक भाग की सेवाओं के लिये पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1975-76 के एक भाग की सेवाओ के लिये पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री अरविंद बाला पजनौर : मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं :

सभापति महोदय : इसके लिये मुझे खेद है; यह एक विनियोग विधेयक है और उसके कुछ विशिष्ट नियम है आप को पहले सूचना देनी चाहिये। आप अब जोर न दीजिये। मंत्री महोदय ने पहले ही शिकायत की है।

श्री अरविंद बाला पजनौर : आप एकदम गुजरात से पांडिचरी पर आ गये हैं। समय से पूर्व ही पांडिचरी पर चर्चा होने लगी है।

सभापति महोदय : एक अन्य विनियोग विधेयक भी। आप उस पर बोलिये।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक के खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और शीर्ष को विधेयक का भाग माने जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक के साथ जोड़े गये

Clauses 2 and 3, the schedule clause 1, the enacting formula and the title were added to the Bill.

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

पांडिचेरी विनियोग विधेयक, 1975

PONDICHERRY APPROPRIATION BILL, 1975

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1974–75 की सेवाओं के लिये पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : महोदय, मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं ।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1974–75 की सेवाओं के लिये पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निध में से कतिपय और राशियों को संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1974–75 की सेवाओं के लिये पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जायें ।"

श्री अरविंद बाला पजनोर (पांडिचेरी) : बोलने का अवसर देने के लिये आपका धन्यवाद । पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के साथ मकान किराया भत्ता के मामले में किये जा रहे पक्षपात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । पांडिचेरी क्षेत्र में केवल पांडिचेरी शहर में मकान किराया भत्ता दिया जाता है । माहे और यनम आदि नगरों में यह भत्ता नहीं दिया जाता । मेरा अनुरोध है कि पांडिचेरी नगर को 'ए' श्रेणी दी जाये और माहे तथा यनम जैसे अन्य नगरों को 'बी०' श्रेणी में लाया जाये ।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : माननीय सदस्य ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन पर विस्तार से विचार किये जाने की आवश्यकता है । मैं उन पर गौर करुंगा ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1974–75 की सेवाओं के लिये पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : मैं विधेयक के खण्ड मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं :

प्रश्न यह है :

खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक के अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Cluases 2 and 3, the schedule clause 1, enacting formula and title were added to the Bill.

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव पास किया गया ।

The motion was adopted.

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) 1974-75

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1974-75

सभापति महोदय : अब हम अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा करेंगे ।

निम्नलिखित अनुपुरक अनुदानों (सामान्य) 1974—75 की मांगे प्रस्तुत की गई ।

The following Supplementary Demands for Grants (General) 1974-75 were presented.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपये)	
1	2	3	4
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	कृषि विभाग . . .	5,65,000	..
3	कृषि . . .	..	481,74,00,000
8	खाद्य विभाग . .	66,00,00,00	
11	वाणिज्य मंत्रालय . .	6,52,000	
12	विदेश व्यापार तथा निर्यात प्रोत्साहन संचार मंत्रालय . .	8,00,00,000	21,00,00,000

1	2	3	4
15	डाक और तार-कार्य संचालन व्यय .	36,92,29,000	..
17	डाक और तार की पूंजी परिव्यय .		6,57,00,000
18	रक्षा मंत्रालय . .	2,85,000	..
19	रक्षा सेवायें स्थल सेना . .	17,75,85,000	
21	रक्षा सेवायें वायु सेना . .	22,23,78,000	
22	रक्षा सेवायें पेंशनें . .	34,58,00,000	
24	शिक्षा विभाग .	6,50,000	
25	शिक्षा . .	1,71,74,000	
27	विदेश मंत्रालय . .	1,75,00,000	
28	वित्त मंत्रालय .	5,62,46,000	..
29	सीमा शुल्क . . .	41,20,000	..
30	संघ उत्पादक शुल्क . .	14,63,70,000	..
31	आय कर सम्पदा शुल्क धन कर और दान कर . . .	2,00,34,000	..
32	स्टाम्प . .	2,20,37,000	..
33	लखा परीक्षा . . .	5,66,37,000	..
34	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	62,40,000	..
37	राज्यों और संघीय क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण . . .	55,82,50,000	..
38	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय		
40	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय . . .	5,07,000	
41	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य .	8,58,66,000	32,39,000
42	परिवार नियोजन . .	4,75,89,000	
	उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय		
43	भारी उद्योग मंत्रालय . .	2,86,000	
44	भारी उद्योग . .	..	6,64,92,41,000

1	2	3	4
45	गृह मंत्रालय . . .	15,61,000	
46	मंत्रिमंडल . . .	13,51,000	
47	कार्मिक विभाग और प्रशासनिक सुधार	44,97,000	
48	पुलिस . .	32,54,53,000	
50	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	5,60,41,000	
51	दिल्ली .	3,75,20,000	25,80,000
52	चण्डीगढ़ . . .	1,82,52,000	39,14,000
53	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	43,14,000	19,51,000
54	अरुणाचल प्रदेश	1,70,50,000	
55	दादरा और नगर हवेली	14,70,000	
56	लक्षद्वीप . .	..	19,95,000
57	औद्योगिक विकास मंत्रालय	1,28,000	
58	उद्योग . .	2,96,77,000	64,74,000
60	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	2,91,000	
62	प्रसारण .	4,59,11,000	
65	विद्युत योजनायें	13,42,000	5,13,00,000
66	श्रम मंत्रालय . .	1,61,000	
68	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	14,25,000	
70	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	16,19,75,000	1,000
74	नौवहन और परिवहन मंत्रालय .	28,82,000	
75	सड़कें . .	1,51,06,000	8,99,89,000
76	बन्दरगाह द्वीस्तम्भ और नौवहन	20,00,000	9,82,52,000
78	इस्पात विभाग	1,000	27,93,15,000
79	खान विभाग . . .	6,79,000	
80	खान और खनिज . .	1,69,00,000	65,83,65,000

1	2	3	4
81	पूर्ति विभाग .	45,000	
82	पूर्ति और निपटान . .	48,64,000	
84	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	1,27,000	
86	विमानन . . .	25,00,000	
87	पर्यटन . . .	37,38,000	
88	निर्माण और आवास मंत्रालय .	14,44,000	
89	लोक निर्माण .	3,64,24,000	
91	आवास और नगर विकास	21,76,000	61,00,000
92	लेखा सामग्री और छपाई,	3,35,79,000	
94	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान विकास और औद्योगिक परियोजनायें .		6,000
95	न्यूकलीयर वि्युत योजनायें .		1,000
101	विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को अनुदान .	1,99,90,000	
102	अन्तरिक्ष विभाग .	17,76,000	
104	राज्य सभा . . .	3,06,000	

***श्री जगदीश भट्टाचार्य (घटल)** : सभापति महोदय, वर्ष 1974-75 सम्बधी अनुदामों की अनुपूरक मांगों में, 1761.44 करोड रुपये की राशि की मांग की गई हैं । यह छोटी राशि नही है। अनुपूरक बजट में इतनी बडी राशि की मांग करना अस्वाभाविक लगता है

*यह बताया गया है कि केन्द्रीय कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने पर 120 करोड़ रुपये खर्च होंगे । इस महगाई भत्ते का 50 प्रतिशत तो अनिवार्य जमा के रूप में रोक लिया गया है तथा गरीब कर्मचारियों को केवल आधा ही दिया जा रहा है । अतः उन्हें कोई खास फायदा नहीं मिल रहा है। जब सरकार स्वयं महंगाई का सहारा लेकर अधिक धन की मांग करती है तो उन गरीब कर्मचारियों की स्थिति की कल्पना की जा सकती है, जिनका आधा महंगाई भत्ता रोक लिया गया है।

*रक्षा के विभिन्न अंगों के लिए 228.64 करोड रुपये मांगे गये है। सामान्य बजट

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translation version based on English Translation of the Speech delivered in Bengali.

[श्री जगदीश भट्टाचार्य]

में इस के लिये पहले ही काफी धन रखा जा चुका है। हमारे देश पर किसी ओर से आक्रमण का अभी खतरा नहीं है। इसलि ये रक्षा के लिये इतनी बड़ी राशि रखना न्यायपूर्ण नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम को देशी अनाज पर भी राजसहायता दी गई है। इसका क्या औचित्य है समझ में नहीं आता। अकेले पूर्वी क्षेत्र में ही सरकार ने खाद्य निगम को 30 करोड़ रुपये की राज सहायता दी। लगता है खाद्य निगम में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार व्याप्त है जिस कारण यह राजसहायता देनी पड़ती है।

कोयला खान प्राधिकरण और भारत कोकिंग कोयला कं० में पिछले अगस्त में 25 आदमी जाली कोयला लाइसेंस बेचने के अपराध में गिरफ्तार किये गये थे। ये लोग कोयला प्राधिकरण के सहयोग से बड़ा पैसा बना रहे हैं। इसकी पूरी जांच की जानी चाहिये तथा अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : In this Supplementary budget, a provision has been made for the payment of dearness allowance to Central Government employees. It has been a very important issue and lakhs of workers all over India are very much agitated over this issue. It is understood that an agreement has been reached with them in regard to payment of three instalments of D.A. That agreement must be enforced. Besides, Government should also take steps for the payment of other instalments as well that has since fallen due. Further, Government should also scrap the law in regard to depositing the half of D.A. under the Compulsory Deposit Scheme.

Reference has been mde to fertilisers. The prices of fertilisers are being raised as a result of which the fertilisers are now beyond the means of a small peasant. A foolproof system of distribution of fertilisers should be so devised as to stop blackmarketing in it and to make it available even to petty cultivators.

The Government policy in regard to procurement of foodgrains is quite wrong. It is learnt that Government forcibly recovers foodgrains from small and poor peasants and rich cultivators are exempted. In fact, foodgrains should be procured from rich cultivators first. Then, all malpractices in the rationing system should be removed and arrangements should be made for the distribution of all essential commodities through fair price shops.

The telephone communication system is in disorder in the entire country. Steps should be taken to bring about improvements in it. There is an autocratic rule of bureaucrats in Government offices. The Controller of Defence Accounts in Patna is very corrupt officer and still, he is not being transferred as required by rules. On the other hand, trade union members are being transferred, which is very unusual. It might cause the situation to take a violent turn and Government must pay attention to it.

As regards industry, a decision has been taken to set up a tractor factory in Fatwah in Bihar, but no land has been acquired for it so far. Now, it is learnt that a conspiracy is being hatched to shift it to some other place. This is wrong. Action should be initiated immediately to set up that factory there. A scooter factory has been set up by Government but local people are not being given employment there. Government should see to is that local people are given preference over others in the matter of employment.

There is a serious problem of land erosion by river Ganga in my area of Maner and Danapur in Bihar and the Bihar Government is unable to make

arrangements for the rehabilitation of the people who have been uprooted by it Government should pay attention to the task of rehabilitating them.

There are still 32 unauthorised mines working in Bihar. These mines should be taken over by Government.

In the present supplementary demand, there is a provision for slum clearance schemes. Patna has become the dirtiest city due to slums and the Bihar Government have asked for Rs. 42 lakhs for implementing the slum clearance schemes, but they have been granted only Rs. 20 or 22 lakhs. There is also a great menace of mosquitoes in the city of Patna. In order to remove it, underground drains should be constructed.

Government should also see to it that the money realised from the people in the form of taxes is judiciously utilised to fulfill the requirements of the people and the Government officials do not misuse it arbitrarily for their own ends.

Shri Maha Deepak Singh Shakya (Kasganj) : In the Demands for grants there is an item under which Rs. 68 crores have been demanded as an additional assistance to the Food Corporation of India. In fact, there is no need for this grant. The Food Corporation of India is suffering from various maladies. There has been several cases of bungling; strikes are going on there and its functioning is not proper which has often resulted in huge loss to the Government. The transportation charges are being allowed to the Corporation at the rate of Rs. per quintal, when it can be done in Rs. 2. Ultimately, it has to be borne by the consumer. Government purchase wheat from abroad at the rate of Rs. 26 155 per quintal but they pay only Rs. 105 per quintal to the cultivators in their own country. In fact, Government should declare the prices well in advance of the sowing season so that it can provide an incentive to the cultivators to increase their production. Government should increase the present procurement price of Rs. 105 per quintal.

As regards levy, directions can be issued to authorities not to realise any levy from the marginal farmers possessing a holding of three to five acres of land. It is found that levy is not realised from rich farmers. A survey should be made in this regard and the levy should be realised from the rich cultivators, and the small peasants should be exempted from it.

An amount of Rs. 79·21 crores has been demanded for social welfare and scheduled castes. It is well and good but it has to be seen that the amount is judiciously used. There is still 2 lakhs of villages in the country where even the drinking water is not available to the people. Funds have been demanded in order to implement the measures to combat floods and famines but it is quite apparent that nothing has been done to provide relief to earthquake-affected people in Himachal Pradesh. In Uttar Pradesh also, the cultivators have suffered a great loss as their agricultural crops have been destroyed by hailstorms. Measures should be taken to provide some relief to these cultivators also.

श्री समर गुह (कन्टाई) : पश्चिम बंगाल सरकार ने सम्भवतः केन्द्रीय नीति के अनुसार हो यह निर्णय किया है कि 6 एकड़ और अधिक गैर-सिंचाई वाली भूमि तथा 4 एकड़ और इससे अधिक सिंचाई वाली भूमि पर निर्धारित दर पर शुल्क लगाया जायेगा। लेकिन यह दर विभिन्न जिलों के लिये अनुचित रूप में निर्धारित की गयी है और यह किसी सामान्य सिद्धान्त पर आधारित नहीं है। यह मनमाने ढंग से निर्धारित की गयी है। इससे पश्चिम बंगाल में विशेषकर मिदनापुर जिले में किसानों पर आतंक छाया हुआ है। इस लगान की उगाही के लिये सरकार कृषकों की फसल से उनके धान पर कब्जा कर रही है और लगान निर्धारित दर से वसूल नहीं कर रही है।

[श्री समर गुह]

अमीर किसानों ने लगभग 99 प्रतिशत मामलों में उच्च न्यायालय से रोकादेश प्राप्त कर लिये हैं। उच्च न्यायालय से प्राप्त रोकादेशों का लाभ उठाकर और अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव डलवा कर वे इस लगान से बच रहे हैं। इस लगान वसूली की नीति के फलस्वरूप छोटे किसानों और मध्यम वर्ग के किसानों को न केवल उनकी वर्ष भर की कमायी से ही वंचित रखा जाता है बल्कि उन्हें आंसुका आदि के अन्तर्गत गिरफ्तार भी किया जाता है।

समूचे भारत में गेहूं का वसूली मूल्य 100 रुपये या 105 रुपये प्रति क्विटल है। अब मांग की जा रही है इसे बढ़ाकर कम से कम 125 रुपये प्रति क्विटल किया जाये। लेकिन बंगाल के किसानों को केवल 74 रुपये प्रति क्विटल ही दिया जाता है। इससे उनकी उत्पादन लागत भी पूरी नहीं हो रही है। इनके साथ न्याय किया जाये और जब गेहूं का वसूली मूल्य निर्धारित किया जाता है तो उसी अनुपात में धान का मूल्य भी निर्धारित किया जाना चाहिये। उत्तरी क्षत्र में दिये जाने वाले गेहूं के वसूली मूल्य के अनुपात से ही पूर्वी क्षेत्र के किसानों को भी उचित मूल्य दिया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में कुछ उचित समानता होनी चाहिये और धान का वसूली मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिये कि चावल का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों के साथ न्याय हो।

यद्यपि फरक्का बांध का बहुत नाजुक मामला है लेकिन यह पश्चिम बंगाल के सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र और कलकत्ता पत्तन के लिये जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। यदि कलकत्ता में नौवहन यातायात में अड़चन आती है तो पश्चिम बंगाल का समूचा औद्योगिक कम्पलैक्स ठप्प हो जायेगा। कलकत्ता पत्तन से समूचे पूर्वी क्षेत्र का यातायात होता है और समूचे पूर्वी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। यह एक गम्भोर समस्या है और सरकार को इसपर विचार करना चाहिये। यद्यपि फरक्का बान्ध का मामला बहुत नाजुक है लेकिन यह पश्चिम बंगाल के सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र और कलकत्ता पत्तन के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। फरक्का के लिए तुरन्त पानी छोड़ना चाहिये। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में सी० एम० डी० ए० के लिए वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में विश्व बैंक से वार्ता करने हेतु अपना मुख्य सचिव भेजा था। विश्व बैंक कलकत्ता में विकास कार्य के लिए कुछ वित्तीय सहायता निर्धारित करना चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य से वित्त मंत्री ने अन्य सूत्र अपनाया और पश्चिम बंगाल सी० एम० डी० ए० को अधिकारियों के वचनों से वंचित रहना पड़ा है। केन्द्रीय सरकार ने इस सदन में कई बार यह घोषणा की है कि कलकत्ता के विकास के लिए धनराशि की कमी नहीं होगी। कलकत्ता के भीतर और इसके चारों ओर 13 शरणार्थी कालोनियां हैं लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ है।

Shri Ram Kanwar (Tonk) : Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not getting their due share in services Special attention should be paid to this matter so that these people get proper representation in various services.

Every year Rajasthan faces drought and floods. Rajasthan Canal Project has not yet been completed. The Central Government should pay special attenttion to this project.

The levy scheme should be applicable to big farmers only. Small farmers who do not have surplus foodgrains should not be harassed. There are instances in the past when small farmers are compelled to give levy even though they do not have surplus foodgrains. There are no proper arrangements for supply of seeds and fertilizers to farmers. Seeds and fertilizers should be made available to farmers at cheap rates.

The quality of controlled cloth meant for common people is very poor. The quality of this cloth should be improved. Also there should be proper

arrangements for distribution of cloth to poor people. Small farmers are not in a position to use tractors or other mechanical devices. Facilities should be provided to small farmers so that they are able to purchase tractors.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लिचेरी) : केरल राज्य में नारियल जटा उद्योग, काजू उद्योग, हाथ करघा और बीड़ी उद्योग में लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ हैं । आज इन सभी उद्योगों में गम्भीर संकट व्याप्त है । योजना आयोग ने नारियल जटा उद्योग के विकासार्थ कुछ करोड़ रुपये की राशि आबंटन करने की सिफारिश की है । लेकिन केन्द्र ने बहुत कम धन दिया है । औद्योगिक विकास मंत्रालय के अन्तर्गत 'कोयर बोर्ड' ने राज्य में नारियल जटा उद्योग का पुनर्गठन करने में उसे सहायता देने के बजाय इस उद्योग के विकास के प्रतिकूल कार्य किया है । कई वर्ष पहले इसी सदन में यह प्रस्ताव किया गया था कि सरकार के किसी अवर सचिव के स्थान पर किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को इसका चेयरमैन बनाया जाये और बोर्ड को और अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहियें । इस प्रस्ताव पर समुचित विचार किया जाना चाहियें ।

आज काजू उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है । काजू न मिलने के कारण अधिकांश काजू उद्योग पहले ही बन्द हो गये हैं । सरकार को यह कच्चा माल देने के लिए कदम उठाने चाहियें ताकि यह उद्योग चलता रहे ।

केरल सरकार ने कई बार अनुरोध किया है कि समुद्र तट-स्खलन को अलग विषय माना जाये । इसे अब बाढ़ नियंत्रण के साथ मिला रखा है । ये दोनों विषय बिल्कुल अलग-अलग विषय हैं । बाढ़ नियंत्रण और समुद्र तट स्खलन को अलग-अलग किया जाये और समुद्र तट स्खलन की समस्या से निपटने के लिए केरल को और अधिक धनराशि दी जानी चाहिये ।

वैनाद पर्वतीय क्षेत्र में मन्नानथोडी में तारघर कार्यालय सन्तोषजनक कार्य नहीं कर रहा है टेलीफोन ग्राहक अंशदान तो करते हैं लेकिन वे कन्नानौर, तेल्लिचेरी, कालीकट, आदि शहरों में टेलीफोन नहीं कर सकते । यहां यह स्थिति कई वर्षों से है । हमने कई बार अभ्यावेदन दिये हैं । लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाये हैं । सरकार को इस दिशा में कुछ गम्भीर कदम उठाने चाहियें ताकि स्थिति सुधर जाये । छोटे पत्तन विकास के सम्बन्ध में एलेप्पी और आर्जाकल को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : The Food Corporation Officials gave foodgrains of good quality to traders and inferior quality foodgrains were supplied to the people. The F.C.I. officials are making lot of money by indulging in such corrupt practices. Attention should be paid to this matter.

A national policy should be formulated in regard to levy. Also farmers should be given proper price for their produce so that they do not take to cash crops in place of wheat and other foodgrains.

Certain refugee families have been shifted in Khajurana village in Madhya Pradesh. There are no proper housing arrangements for them. Also food and drinking water are not available to there people. The Government should pay immediate attention to this matter.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : हमने दिल्ली में 3 करोड़ रुपये की लागत से संसदीय सौध का निर्माण किया है । समूचे देश भर में यह मांग हो रही है कि यह देश की एकता को दृष्टि में रखते हुए संसदीय क्रियाकलाप देश के अन्य भागों में भी किये जाने चाहियें । आशा है कि भारत की एकता के लिये देश के अन्य भागों के निर्माण कार्य की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जायेगा ।

[श्री बी० वी० नायक]

काली पनबिजली परियोजना में बिजली पैदा करने के लिये जल अवरुद् करने के कारण देश को 110 लाख मीटरी टन उच्च ग्रेड के अयस्क, जिसमें 100 लाख मीटरी टन लौह अयस्क ग्रौर 10 लाख मीटरी टन मैंगनीज अयस्क की हानि उठानी पड़ेगी। इससे राष्ट्र को लगभग 160 करोड रुपये की हानि उठानी पड़ेगी। सरकार को इस ग्रोर तुरन्त ध्यान देना चाहिये।

सेलम, विजयवाड़ा ग्रौर विजय नगर में इस्पात कारखानों को बहुत कम मात्रा में इस्पात दिया जाता है। इस्पात आबंटन की मात्रा में वृद्धि की जानी चाहिये।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : वित्त मंत्री ने वित्त आयोग सिफारिशों के सम्बध में राज्यों को दी जाने वाली सहायता के बारे मे सरकार के रवैये को विस्तार से स्पष्ट किया है। जब कभी कोई राज्य अपनी परियोजना तैयार करता है तो केन्दीय यही अपेक्षा करता है कि केन्द्र से राज्य को मिलने वाली कुल सहायता से ही उस विशेष परियोजना पर धन लगाया जाये।

जहां तक कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण का सम्बन्ध है यह कोई नयी परियोजना नहीं है बल्कि यह तो पहले से चली आ रही परियोजना है ग्रौर चालू वर्ष के लिये भी योजना को आबंटन कर दिया गया है।

एक माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है रक्षा परिव्यय इतना अधिक क्यों किया गया है ग्रौर इसे अनुपूरक मांग में क्यों रखा गया है। उन्होंने यह प्रश्न भी किया है कि रक्षा कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है। यदि वास्तविक आबंटनों को देखा जाये तो पता चलेगा कि 94 करोड़ रुपये की राशि मंहगाई भत्ते के भुगतान के लिये रखी गई है।

सभापति महोदय द्वारा निम्नलिखित अनुदानों अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1974-75 मतदान के लिये रखीं गई तथा स्वीकृत हुई।

The following Supplementary demands for grants (General) 1974-75 were to put vote by the Speaker and were adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपये)	
		राजस्व (रुपये)	पूंजी (रुपये)
1	2	3	4
1	कृषि विभाग .	5,65,000	..
2	कृषि . . .	..	481,74,00,000
8	खाद्य विभाग. .	66,00,00,000	..
11	वाणिज्य मंत्रालय . .	6,52,000	..
12	विदेश व्यापार तथा निर्यात प्रोत्साहन संचार मंत्रालय . .	8,00,00,000	21,00,00,000
15	डाक ग्रौर तार—कार्य संचालन व्यय	36,92,29,000	..

1	2	3	4
17	डाक और तार की पूंजी परिव्यय .	..	6,57,00,000
18	रक्षा मंत्रालय . . .	2,85,000	..
19	रक्षा सेवायें स्थल सेना . .	17,75,85,000	..
21	रक्षा सेवायें वायु सेना . .	22,23,78,000	..
22	रक्षा सेवायें पेंशनें . .	34,58,00,000	..
24	शिक्षा विभाग . .	6,50,000	..
25	शिक्षा . .	1,71,74,000	..
27	विदेश मंत्रालय . .	1,75,00,000	..
28	वित्त मंत्रालय . .	5,62,46,000	..
29	सीमा शुल्क . .	41,20,000	..
30	संघ उत्पादक शुल्क . .	1,63,70,000	..
31	आय कर सम्पदा शुल्क धन कर और दान कर . . .	2,00,34,000	..
32	स्टाम्प . . .	2,20,37,000	..
33	लेखा परीक्षा . . .	5,66,37,000	..
34	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	62,40,000	..
37	राज्यों और संघीय क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण . . .	55,82,50,000	..
38	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय .	..	..
40	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय . . .	5,07,000	..
41	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	8,58,66,000	32,39,000
42	परिवार नियोजन	4,75,89,000	..
43	भारी उद्योग मंत्रालय . .	2,86,000	..
44	भारी उद्योग . . .	..	6,64,92,41,000
45	गृह मंत्रालय . . .	15,61,000	..
46	मंत्रिमंडल . . .	13,51,000	..

1	2	3	4
47	कार्मिक विभाग और प्रशासनिक सुधार	44,97,000	
48	पुलिस	32,54,53,000	
50	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	5,60,41,000	
51	दिल्ली . .	3,75,20,000	25,80,000
52	चण्डीगढ़ . .	1,82,52,000	39,14,000
53	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह .	43,14,000	19,51,000
54	अरुणाचल प्रदेश . .	1,70,50,000	
55	दादरा और नागर हवेली	14,70,000	..
56	लक्षद्वीप . .		19,95,000
57	औद्योगिक विकास मंत्रालय .	1,28,000	..
58	उद्योग . .	2,96,77,000	64,74,000
60	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	2,91,000	..
62	प्रसारण . . .	4,59,11,000	..
65	विद्युत योजनायें	13,42,000	5,13,00,000
66	श्रम मंत्रालय . . .	1,61,000	
68	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय . . .	14,25,000	..
70	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	16,19,75,000	1,000
74	नौवहन और परिवहन मंत्रालय .	28,82,000	..
75	सड़कें . . .	1,51,06,000	8,99,89,000
76	बन्दरगाह द्वीस्तम्भ और नौवहन .	20,00,000	9,82,52,000
78	इस्पात विभाग . .	1,000	27,93,15,000
79	खान विभाग . . .	6,79,000	..
80	खान और खनिज . .	1,69,00,000	65,83,65,000
81	पूर्ति विभाग . . .	45,000	..

1	2	3	4
82	पूर्ति और निपटान . .	48,64,000	..
84	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	1,27,000	..
86	विमानन . .	25,00,000	..
87	पर्यटन . . .	37,38,000	..
88	निर्माण और आवास मंत्रालय .	14,44,000	..
89	लोक निर्माण . . .	3,64,24,000	..
91	आवास और नगर विकास .	21,76,000	61,00,000
92	लेखा सामग्री और छपाई .	3,35,79,000	..
94	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान विकास और औद्योगिक परियोजनाएं .	..	6,000
95	न्यूकलीयर विद्युत योजनायें .	..	1,000
	विज्ञान और शिल्प विज्ञान विभाग—		
101	विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को अनुदान . .	1,99,90,000	..
102	अन्तरिक्ष विभाग . .	17,76,000	
	संसद—		
104	राज्य सभा . . .	3,06,000	..

विनियोग विधेयक, 1975

APPROPRIATION BILL, 1975

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी ।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि खंड 2 और 3, अनुसूची खंड, 1 अधिनियम सूत्र और पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2 और 3, अनूसूची, खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोडे गये ।

That clauses 2 and 3 the schedule, clause I the enacting formula and the title were adopted to the Bill.

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

प्रैस परिषद (दुसरा संशोधन, अध्यादेश 1974 के निरनुमोदन कें बारे) में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF THE PRESS COUNCIL (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE, 1974.

सभापति महोदय : हम अब प्रेस परिषद (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1974 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प को लेते हैं । डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय ।

Dr. Laxminarayan Pandeya (Mandsaur) : Mr. Chairman, I move the resolution that this House disapproves of the Press Council (Second Amendment) Ordinance, 1974 (Ordinance No. 14 of 1974) promulgated by the President on the 27th December, 1974.

सभापति महोदय : आप अपना भाषण फिर जारी रखेंगे । सभा कल 11 बजे म० पू० समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 21 मार्च, 1975/30 फाल्गुन 1896 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगीत हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 21st March, 1975/ Phalguna 30, 1896 (Saka)

भा०स०मु०ना०—से 7—15 लोक सभा/75—6-9-75—200